खण्ड-187, अंक-5
शुक्रवार, 15 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(6 सितम्बर, 1957 ई0)

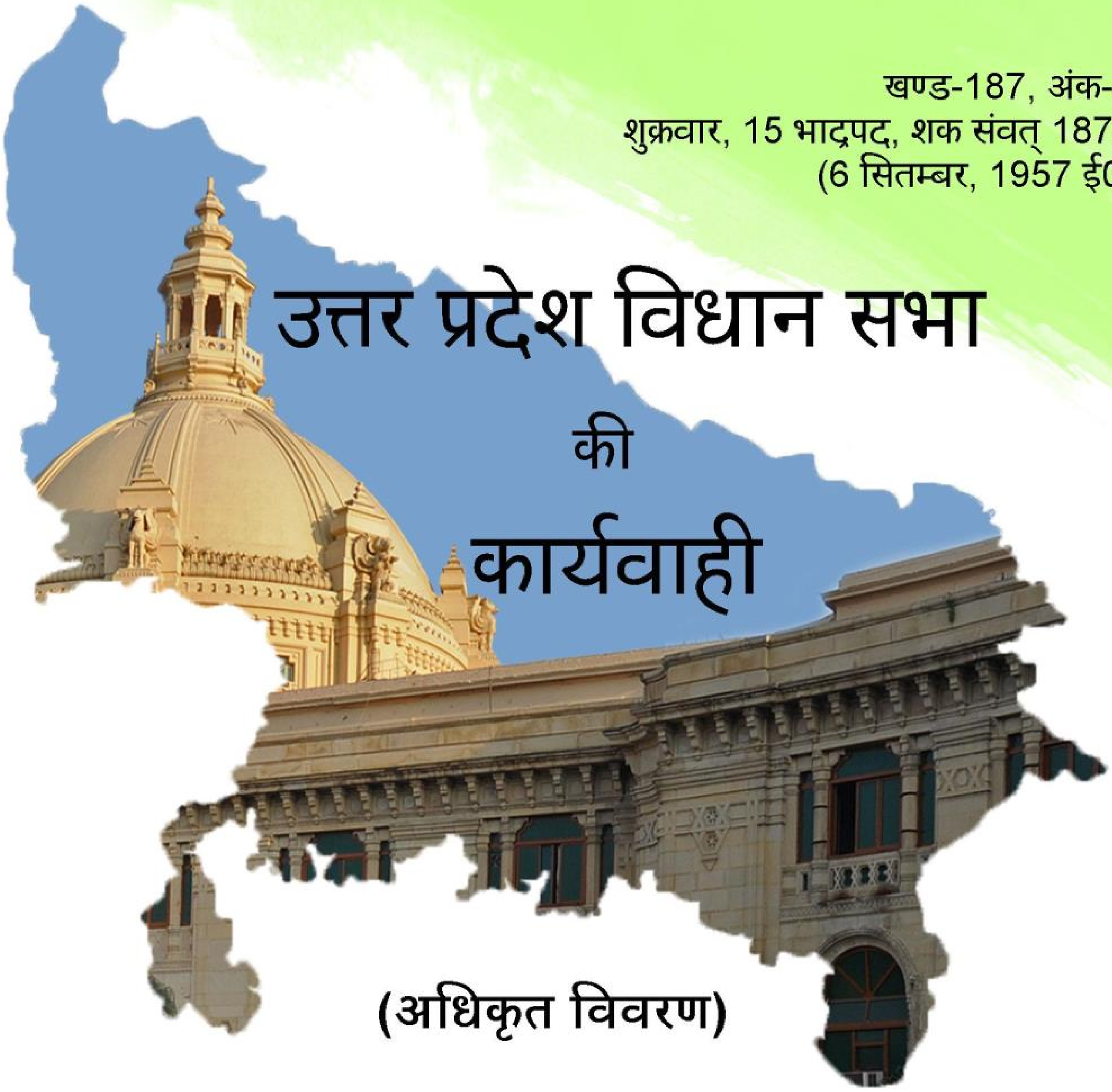

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 187 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३२३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री

चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भन्डारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती

बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुम्हमद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लालसाहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री]
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--माल उप-मन्त्री, श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शाहजहांपुर जिले में हैजे की रोकथाम के काम

**१—श्री अशफाक़ अली खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात का पता है कि शाहजहांपुर नगर व जिला में आजकल खतरनाक हैजा फैला हुआ है? अगर हां, तो सरकार इसको रोकने के बारे में क्या कर रही है?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी हां, निम्न उपाय इसको रोकने के लिए किये गये हैं :—

१—नगरपालिका के लगे हुए स्टाफ के अतिरिक्त ४ एपीडेमिक असिस्टेंट, २ एनाकुलेटर और १ मेडिकल आफिसर सरकार की तरफ से भेजे गये।

२—समस्त नगर में ४३,३१२ तथा जिले में १८,१७२ हैजा निवारक टीके लगाये जा चुके हैं।

३—मरीजों को विलग करन के लिए तथा उनकी चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था नगर के छुतहे अस्पताल में की गयी है।

४—रोग ग्रसित घरों एवं पानी का निःसंक्रामीकरण किया जा रहा है।

५—नगरपालिका को ४५,००० सी० सी० कालरा वैक्सीन, ५ हन्डरवेट ब्लीचिंग पाउडर, १० हन्डरवेट गैमेक्सीन और १० गैलन सेलीन सरकार की ओर से दी गयी है।

६—मक्खियों को कम करने के उपाय काम में लाये गये।

७—नगर के १,४७८ कुओं में व जिले के १,७८८ कुओं में दवा छोड़ कर पानी को शुद्ध किया गया।

इसी प्रकार शाहजहांपुर जिले में भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं। जिले को १,५०० रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गयी है।

**२—श्री अशफाक अली खां (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि शाहजहांपुर को Epidemic area करार दिया जावे और उसको विशेष सहायता दी जावे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३० मार्च, १९५७ से ही समस्त उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोगों के नियम लागू किये जा चुके हैं।

यदि आवश्यकता हुई तो उपरोक्त के अतिरिक्त और भी सहायता दी जा सकती है।

सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति

**३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने कोई सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी नियुक्त की है? यदि हां, तो उसका क्या उद्देश्य है तथा कौन-कौन सज्जन उसके सदस्य नियत किये गये हैं?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)---जी हां। राज्य स्तर पर एक ऐसी कमेटी ३१ मार्च, सन् ५९ तक की अवधि के लिए बनायी गयी है जिसके सदस्यों के नाम यह हैं :-

(१) वित्त मन्त्री, उत्तर प्रदेश .. .. सभापति।

(२) श्री ए० एन० सप्रू, आई० सी० एस०, मेम्बर (टैक्सेशन) बोर्ड आफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश .. उप-सभापति।

(३) कमिश्नर, सेल्स टैक्स, उत्तर प्रदेश (कमिश्नर सेल्स टैक्स की अनुपस्थिति में एडीशनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, सेल्स टैक्स उनका प्रतिनिधित्व करेंगे)।

(४) श्री पी० एस० गुप्त, लखनऊ मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि।

(५) श्री शीतलप्रसाद, मर्चेंट्स चैम्बर, उत्तर प्रदेश, कानपुर के प्रतिनिधि।

(६) श्री जय गोपाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चैम्बर आफ कामर्स, मेरठ के प्रतिनिधि।

(७) श्री द्वारिका प्रसाद कक्कड़, कानपुर कपड़ा कमेटी, कानपुर के प्रतिनिधि।

(८) श्री निरंजन लाल पोद्दार, नेशनल चैम्बर आफ इन्डस्ट्रीज ऐन्ड कामर्स, आगरा के प्रतिनिधि।

(९) श्री सतेन्द्र कुमार गुप्ता, काशी खाद्य व्यापार मंडल, वाराणसी के प्रतिनिधि।

(१०) श्री चिरंजी लाल नेवतिया, कानपुर शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन, कानपुर के प्रतिनिधि।

(११) श्री बी० बी० टंडन, उप-सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, कमेटी के सेक्रेटरी होंगे।

(१२) कमेटी में विधान मण्डल के भी तीन मेम्बर होंगे, जिन्हें सरकार मनोनीत करेगी।

कमेटी मुख्यतः इस उद्देश्य से बनायी गयी है कि सेल्स टैक्स ऐक्ट और नियमों के कार्यान्वयन में प्रक्रिया सम्बन्धी जो असंगत और कष्टप्रद बातें दिखायी दें, उन्हें वह सरकार को बतलावे तथा उनके निवारण के लिए उपाय और साधनों का सुझाव दें। कमेटी का यह भी कार्य होगा कि वह विक्री-कर वंचन (सेल्स टैक्स इवेजन) को रोकने के सम्बन्ध में परामर्श दे और उपाय बतलावे।

इस कमेटी का काम केवल सलाह देना होगा और यह केवल उन्हीं विषयों पर विचार करेगी जिनका सम्बन्ध व्यापार के सामान्य हित से हो। यह कमेटी व्यक्तिगत व्यापारियों के व्यक्तिगत कर निर्धारण सम्बन्धी विवादों और शिकायतों पर विचार नहीं करेगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मन्त्री जी विधान सभा के उन सदस्यों के नामों की घोषणा करने की कृपा करेंगे जिनको वह इस कमेटी में नामजद करने वाले हैं?

श्री धर्मसिंह---अभी इस बारे में निश्चय नहीं हुआ है। ज्यों ही निश्चय हो जायगा तो अपने आप ही प्रकट हो जायगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है या नहीं? यदि किया है, तो क्या कार्य किया है? और यदि नहीं तो कब तक कार्य आरम्भ कर देगी?

श्री धर्मसिंह--अभी २३ अगस्त को इसका नोटीफिकेशन हुआ है और जो नाम वगैरह हैं उतनी की कार्यवाही हुई है। आगे चलकर उस पर और कार्यवाही हो सकेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट या रीजनल सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटीज फंक्शन करेंगी, क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी ?

श्री धर्मसिंह--बिलकुल नहीं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--जिन सदस्यों के नाम सदन में पढ़े गये हैं वे किस आधार पर चुने गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--वह तो बता दिया है, वे प्रतिनिधि वगैरह हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी को वे सब अधिकार देने का भी कष्ट करेगी जो कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन द्वारा सिफारिश में कहे गये हैं ?

श्री धर्मसिंह--जो कुछ अधिकार दिये गये हैं, वही हैं, आगे चलकर उस पर और विचार हो सकेगा।

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अखबारों पर वेज-बोर्ड के निर्णय को लागू न करना

**४--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या राज्य सरकार के पास भारत सरकार के पास से इस आशय की सूचना आयी है कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत बने (वेज) मजदूरी बोर्ड के निर्णय स्थगित करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश केवल इन्डियन एक्सप्रेस ग्रुप के अखबारों के लिए लागू है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--जी हां। भारत सरकार ने सूचित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश केवल एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड एवं श्री रामनाथ गोयनका द्वारा संचालित समाचार-पत्रों पर लागू है।

तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२० सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में नवीन चिकित्सालयों की आवश्यकता

*४--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में इस वर्ष कहां-कहां एलोपैथिक अस्पताल तथा आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

*५--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[२० सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

*६--८--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--[२६ सितम्बर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या १५--१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*९-१०--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--[२० सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये)।]

बीड़ी के कारखानों पर फैक्ट्री ऐक्ट लागू करने की प्रार्थना

*११--श्री मदनपांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने बीड़ी के कारखाने कारखाना कानून के अन्तर्गत आते हैं।

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--तीन।

*१२--श्री मदनपांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में बीड़ी मजदूरों की न्यूनतम और उच्चतम मजदूरी क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--न्यूनतम वेतन १ रुपया प्रतिदिन अथवा २६ रुपये प्रतिमास है। कोई उच्चतम वेतन सरकार ने निर्धारित नहीं किया है।

श्री मदनपांडेय--क्या सरकार इन तीनों कारखानों के नाम और उनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या बताने का कष्ट करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मजदूर बीड़ी फैक्टरी, राय बरेली, बेलछाप बीड़ी फैक्टरी, रायबरेली और नायाब बीड़ी फैक्टरी, मुरादाबाद। इन फैक्टरियों में १० से अधिक काम करने वाले होंगे।

श्री मदनपांडेय--क्या माननीय मन्त्री जी के पास कोई ऐसी योजना है जिससे बीड़ी उद्योग के मजदूरों की दशा में सुधार हो सके ? यदि हां, तो संक्षेप में उसका विवरण सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--न्यूनतम वेतनों के निर्धारण का प्रश्न ही उनकी हालत को सुधारने वाला एक कदम है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अभी यह प्रश्न सरकार के सामने नहीं है।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैक्टरी ऐक्ट से मिलने वाली सहूलियतें इन कारखानों में हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जरूर हैं। नहीं होती तो डाक्टर जयगोपाल जैसे श्रमिकों के नेता ही उनकी कठिनाइयां हमारे बिचार के लिये उपस्थित करते।

श्री भगवतीसिंह विशारद--जिन बीड़ी फैक्ट्रियों में फैक्ट्री ऐक्ट लागू हैं वहां पर स्टैन्डिंग आर्डर भी कुछ बनाये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--स्टैन्डिंग आर्डर तो वहां लगते हैं जहां १०० से अधिक मजदूर रहते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--जो बीड़ी के कारखाने फैक्ट्री ऐक्ट में नहीं आते हैं उनके मजदूरों के लिये कोई सहूलियत सरकार की ओर से की जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मूल प्रश्न तो बहुत लिमिटेड सा था फिर भी बीड़ी के जो कारखाने फैक्ट्री ऐक्ट में नहीं आते हैं वहां भी मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है। जहां कहीं शाप्स ऐक्ट लागू है, वहां वह भी लागू होता होगा। साथ ही जब भी कोई सवाल सरकार के सामने आते हैं तो उनका अवश्य निराकरण करने की कोशिश की जाती है।

इलाहाबाद जिले के नैनी गांव में इंडस्ट्रियल कालोनी के लिये ली गयी भूमि

*१३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले के नैनी गांव में कितनी जमीन इन्डस्ट्री खोलने के लिये ली गई है और उसमें कितने कारखाने चल रहे हैं ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—नैनी में २०८.२१ एकड़ भूमि इंडस्ट्रियल कालोनी के लिये ली गयी है। सड़कें आदि बनाने के बाद बची हुई भूमि में लगभग १२ एकड़, बागवानी में ६ एकड़, रहने के मकान बनवाने में व शेष इंडस्ट्री खोलने के लिये इस्तेमाल की गयी है।

सहायता तथा पुनर्वासन विभाग द्वारा स्थापित नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी में इस समय चौदह कारखाने चल रहे हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन को लेने में कितने काश्तकार प्रभावित हुये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—जितनी जमीन मकानों के लिये ली गई उसमें कितने मकान बनाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जिस समय उन काश्तकारों से जमीन ली गयी थी उस समय यह आश्वासन दिलाया गया था कि जिस समय यह कालोनी बन जायगी तो उस समय उनके परिवारों के लोगों को उसमें स्थान दिया जायगा ? यदि हां, तो अभी तक कितने आदमी वहां रखे गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस की आवश्यकता है।

*१४-१६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

स्टेट फार्म्स के मजदूर

*१७—श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि स्टेट फार्म्स के तमाम मजदूरों की नौकरी पक्की नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*१८—श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि स्टेट फार्म्स के मजदूरों को ड्यूटी ८ घंटे से अधिक देना पड़ती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१९—श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि उन्हें हफ्तेवार रेस्ट व त्योहारों की छुट्टियों की सुविधा नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

नारी मंगल योजना पर व्यय

*२०—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सरकारी नारी मंगल योजना पर १९५५-५६ तक कितना व्यय हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर—महिला मंगल योजना पर १९४९-५० से १९५५-५६ तक कुल १८,४०,३९७ रुपये व्यय हुआ ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ५५-५६ में जो रुपया नारी मंगल योजना पर व्यय हुआ, इसमें केन्द्रीय सरकार का भी कुछ भाग है ? यदि हां, तो कितना ?

आचार्य जुगलकिशोर—५० परसेन्ट केन्द्रीय सरकार देती है, २५ परसेन्ट स्टेट गवर्नमेंट और २५ परसेन्ट स्थानीय धन जमा किया जाता है । इस आधार पर यह रुपया जमा होता है ।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब केन्द्रीय सरकार से हमें आधा भाग मिलता है तो सरकार नारी मंगल योजना और समाज कल्याण बोर्ड की योजना को एक साथ चलाने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि सरकारी नारी मंगल योजना जो है वह पृथक है और समाज कल्याण बोर्ड से जो कार्य होते हैं वे पृथक् हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—ये दोनों अलग-अलग हैं । समाज कल्याण बोर्ड की ओर से जो कार्य होते हैं उन के लिये ऐडवाइजरी बोर्ड है जिसमें कुछ सरकार की ओर से और कुछ सोशल वेलफेयर बोर्ड के प्रतिनिधि होते हैं । सरकारी योजना अपनी उसके विभाग द्वारा चलती हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५५ और ५६ में नारी मंगल योजना की किन-किन स्कीमों में रुपया खर्च किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—सन् ५५ और ५६ में ४,८८,८०० रुपये खर्च किये गये ।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा चलाये गये प्रोजेक्ट्स पर व्यय

*२१—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में प्रस्थापित राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा जिले में प्रचलित प्रोजेक्ट्स पर कितना व्यय गत ३ वर्षों में हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर—राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा चलाये गये प्रोजेक्ट्स पर गत तीन वर्षों में कुल १०,८९,८४२ रुपया व्यय हुआ ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिस पीरियड में यह रुपया व्यय हुआ उसमें खर्च करने का लक्ष्य क्या था ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके लिये सूचना चाहिए ।

*२२-२३—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

यू० पी० शाप्स ऐन्ड कमर्शल इस्टैब्लिशमेन्ट ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करने का विचार

*२४—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार U. P. Shops and Commercial Establishment Act, 1947 में कुछ संशोधन करने का कोई विधेयक पेश करने का इरादा करती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे क्या आवश्यकतायें हैं जिनके कारण यह संशोधन का प्रस्ताव है और साथ ही उन संशोधनों पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—पिछले सालों में यू० पी० शाप्स ऐक्ट में जितनी भी दिक्कतें हमारे सामने आयीं, उन सभी को दूर करने की कोशिश इस संशोधन द्वारा की गयी है । यदि माननीय सदस्य उसको ब्योरे से देखना चाहें तो मेरे कमरे में आने का कष्ट करें मैं उनको वहां बता दूंगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह संशोधन बिल कब तक सदन के सम्मुख आ जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अभी तो विचाराधीन ही है । लेकिन जल्दी ही लाने की कोशिश की जायगी ।

श्री मदनपांडेय—जिस संशोधन विधेयक का माननीय मंत्री जी जिक्र कर रहे हैं क्या उसमें इस प्रकार का भी संशोधन है जिससे यह ऐक्ट उन छोटे-छोटे स्थानों पर भी लागू कर दिया जाय जहां पर यह लागू नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस संशोधन से ऐक्ट को लागू करने का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

डाक्टर जयगोपाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस ऐक्ट के जरिये मिलने वाली शक्ति उन सब मजदूरों को मिल रही है जिन पर यह ऐक्ट लागू है ?

श्री अध्यक्ष—अभी विधेयक सदन में आया नहीं है । यह प्रश्न नहीं उठता ।

रानीखेत के त्रिदलीय सम्मेलन में दिये गये सुझाव

*२५—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह त्रिदलीय सम्मेलन, रानीखेत में दिये गये सुझावों पर दुकानदारों, बाजार कर्मचारियों एवं सरकार का त्रिदलीय सम्मेलन बुला रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रानीखेत में हुये त्रिदलीय सम्मेलन में माननीय मंत्री जी इस बात पर सहमत थे कि बाजार कर्मचारियों की समस्या को हल करने के लिये एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन् यह भ्रम है और भ्रम की कोई दवा शायद आसानी से मिलती नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे इस प्रकार के त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता क्यों नहीं समझते ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—त्रिदलीय सम्मेलन उन जगहों पर सफल होता है जहां के श्रमिक और मालिक संगठन की अपनी-अपनी इकाई में बंधे होते हैं। शाप्स ऐक्ट विभिन्न स्थानों पर लागू है जिनमें कि हजारों और लाखों मजदूर लगे हुये हैं। लेकिन न तो उनकी कोई एक संगठित शक्ति है और न मालिकों की ही ऐसी संगठित शक्ति सारे प्रदेश में है। इन कारणों से न तो त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता प्रतीत होती है और न उसकी सफलता ही निश्चित है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि रानीखेत में हुये त्रिदलीय सम्मेलन में सरकार ने एक सुझाव स्वीकार किया था कि इस प्रकार का कोई त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, माननीय नारायणदत्त जी भी उसी भ्रम में आ रहे हैं। ऐसा कोई निश्चय वहां नहीं हुआ था।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके मस्तिष्क में पैदा हुये कुछ भ्रमों को दूर करने के लिये रानीखेत में हुये त्रिदलीय सम्मेलन में कोई ऐसा सुझाव आया था कि एक ऐसा त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाय ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—श्री भगवतीसिंह विशारद ने, जो दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, यह सुझाव रखा था त्रिदलीय सम्मेलन के सामने कि ऐसा कोई सम्मेलन बुलाया जाय तो उचित होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस त्रिदलीय सम्मेलन में माननीय भगवतीसिंह ने जो प्रस्ताव रखा था उस पर उस सम्मेलन ने कुछ फैसला लिया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—त्रिदलीय सम्मेलन जिन प्रश्नों पर एकमत होता है, उन पर तो फैसला लिया करता है और बाकी जो प्रश्न उठाये जाते हैं वे सरकार के समक्ष आ जाते हैं। उन पर कोई फैसला नहीं लिया जाता।

*२६—**श्री धनुषधारी पांडेय**—[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की प्रार्थना

*२७—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५७-५८ में आजमगढ़ जिले में किन-किन स्थानों पर एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित होंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब केवल एलोपैथिक अस्पताल स्थापित करने की योजना समाप्त कर दी गयी है। प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना है जिसमें आजमगढ़ जिले की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जायेगा।

भैंसा या भैंस के वंश का वध रोकने के लिये प्रार्थना

*२८—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भैंसा या भैंस के वंश के वध पर रोक लगाने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

*२९—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भैंस और उसके वंश को काटे जाने पर रोक लगाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो गोसंवर्धन समिति मुकर्रर हुई थी उस ने भी उसको प्रोटेक्शन देने की कोई सिफारिश नहीं की और दूसरी वजह यह है कि यह मसला गौ प्रोटेक्शन बिल के समय भी उठा था और उस समय इस बात को सदन ने अस्वीकर कर दिया था, यही मुख्य कारण हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भैंस वंश अवतंश के अभ्युत्थान के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां-जहां आगरे की तरफ भदावरी भैंस मशहूर हैं उनके लिये भी हम कुछ कर रहे हैं ।

*३०-३२—श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—[१७ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४६-४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३४-३५—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ से बन्दरों का निर्यात

*३६—श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या राज्य सरकार ने इन बन्दरों को जो लखनऊ से बाहर भेजे जा रहे हैं ठेका देकर पकड़वाया था ? यदि हां, तो कितने रुपयों में ठेका दिया गया था और १ अप्रैल, १९५६ से ३० जून, १९५७ तक कितने बन्दर लखनऊ में पकड़े गये हैं और वे कहां-कहां भेजे गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं । बाकी प्रश्न नहीं उठते ।

श्री हरदयालसिंह पिपल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि लखनऊ शहर के बन्दर पकड़ कर चारबाग स्टेशन से बाहर भेजे जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—होंगे, मुझे कोई जानकारी बाकायदा नहीं है ।

श्री हरदयालसिंह पिपल—क्या मंत्री जी मेरे इस प्रश्न को सूचना समझकर इसकी जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बाकायदा नोटिस आने पर ।

गोरखपुर टी० बी० क्लिनिक में शैय्याएं बढ़ाने की प्रार्थना

*३७—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर टी० बी० क्लिनिक में टी० बी० के मरीजों के लिये पलंग हैं कि नहीं ?

स्वास्थ्य उप-मंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—जी हां, चार शैय्यायें हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के लिये शय्यायें बढ़ाने का कोई प्रोग्राम है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फिलहाल तो नहीं मालूम होता ।

गोरखपुर जिले के नौतनवां अस्पताल में दवाइयों की कमी की शिकायत

*३८--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार जिला गोरखपुर के नौतनवां अस्पताल में दवाइयों की मिकदार बढ़ाने के लिये कोई प्रबंध कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--ऐसा कोई प्रस्ताव जिला बोर्ड ने जो इस इम्दादी अस्पताल को चलाती है सरकार के पास नहीं भेजा है। आने पर विचार होगा।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आर्थिक हालत देखते हुये उस अस्पताल को कोई विशेष मदद देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया कि जिला बोर्ड ने कोई मांग ही नहीं की।

श्री केशव पांडेय--क्या मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना समझकर अपनी ओर से नौतनवां अस्पताल में दवाओं का विशेष प्रबंध करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अपनी ओर से किस-किस को ढूंढें कि किसे मदद की जरूरत है, प्यासा कुयें के पास आये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मंत्री जी इस को सूचना मानकर नौतनवां अस्पताल जो बार्डर पर है और जहां ३०-३५ हजार मरीज आते हैं उसे मदद देने का विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नौतनवां अस्पताल में कितनी दाइयां काम कर रही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे इसका पता नहीं है।

श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक सरकार इस अस्पताल को कितना अनुदान देती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नोटिस की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह और उन का विभाग प्यासों की श्रेणी में आता है या कुओं की श्रेणी में ?

(हंसी में उत्तर नहीं दिया गया)

*३९-४०--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल में शय्याओं को बढ़ाने का विचार

*४१--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या चिकित्सा मंत्री आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल में शय्याओं की संख्या बढ़ा कर एक हजार करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में शय्याओं की वर्तमान संख्या ४२६ हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में शय्याओं की संख्या ८०० करने का विचार हैं।

*४२--श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)--[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४२ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में जनाना अस्पताल की आवश्यकता

*४३--डाक्टर तारादेवी (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मड़ियाहूं तहसील, जौनपुर में जनाना अस्पताल खुलवाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां, इस पर अन्य स्थानों के साथ इस वर्ष विचार होगा ।

डाक्टर तारादेवी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी "कि अन्य स्थानों के साथ विचार करने" की जो बात उत्तर में मंत्री महोदय ने कही है उससे उनका मतलब जिले से है या प्रदेश से है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिस स्थान का जिक्र है सवाल में, उस पर भी विचार किया जायगा ।

डाक्टर तारादेवी--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस पर इस वर्ष कब विचार होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अब बजट पास हो गया है । अब विचार होगा ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री महोदय को यह पता है कि मड़ियाहूं तहसील में सवा तीन लाख आबादी के रहने पर भी वहां महिलाओं के लिये कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे तो पता नहीं, माननीय सदस्य बताते हैं तो सम्भवतः ठीक होगा ।

*४४-४५--श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)--[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

सहारनपुर जिले का नया जनाना अस्पताल

*४६--श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला सहारनपुर के ग्रामों में कितने जनाने अस्पतालों के बनने का आयोजन किया गया है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला सहारनपुर में एक नया जनाना अस्पताल बनना तय हुआ था । उसका निर्माण देवबन्द में स्वीकृत कर दिया गया है । अस्पताल फिलहाल किराये की इमारत में कार्य कर रहा है ।

श्रीमती शकुन्तला देवी--क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जुलाई मास में सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती स्त्री का प्रवेश किया गया और उसकी दिन भर देख-रेख न होने के कारण बच्चा पैदा हो गया । लेकिन जब कोई देखरेख नहीं हुई तब जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--एक शिकायत आयी थी । मैंने इंक्वायरी के लिये हुक्म दे दिया है ।

श्रीमती शकुन्तला देवी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिले में एक अस्पताल न हो कर जिले के चारों तरफ तहसीलों में जनाने अस्पताल खोले जायं ताकि हमारी दूर-दूर की महिलायें आकर अपना दुख दूर कर सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सहारनपुर के सम्बन्ध में भी विचार होगा जब राज्य के सभी जिलों के सम्बन्ध में विचार होगा ।

हरि आई हास्पिटल, हाथरस के भवन निर्माणार्थ सहायता के लिये प्रार्थना

*४७--श्री हरदयालसिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Hari Eye Hospital, हाथरस के भवन निर्माण के लिये सरकार ने कितना रुपया दिया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--कुछ नहीं ।

श्री हरदयालसिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरि आई हास्पिटल की तरफ से कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सम्भवतः आया होगा । यह मुझे ठीक याद नहीं है । नोटिस की जरूरत है ।

श्री हरदयालसिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उस प्रार्थना-पत्र पर क्या विचार किया गया ?

श्री अध्यक्ष--जब उन्हें याद नहीं है तो वह क्या बतायेंगे ।

*४८--श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर जिले में हैजे के प्रकोप की रोकथाम के काम

*४९--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में इस वर्ष में हैजे से कितनी मृत्यु हुई तथा उसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या-क्या प्रयत्न किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१९५७ के वर्ष में २४ अगस्त, १९५७ तक गाजीपुर जिले में अतिसार (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) तथा हैजे के द्वारा ८३४ व्यक्तियों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई । जिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा बीमारी पर नियंत्रण पाने के शीघ्र उपाय किये जा रहे हैं । जैसे संक्रामिक घरों तथा पानी का निस्संक्रामीकरण, हैजा निरोधक टीका का अधिक से अधिक लगाया जाना तथा जहां पर आवश्यकता समझी गई डी० डी० टी० का छिड़का जाना ।

जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की अधीनता में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन, कर्मचारी तथा अन्य दवाइयां उक्त उद्देश्य के लिये दी गईं । जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ३,००० रुपया आवश्यकतानुसार खर्च करने के लिये दिया गया । परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है । अब केवल तीन गांव बीमारी से प्रभावित हैं ।

गाजीपुर जिले में उड़ासन ग्राम में राजकीय औषधालय खोलने की प्रार्थना

*५०--श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला के विरनों थाने के समीप उड़ासन ग्राम में दूसरी पंचवर्षीय योजना में राजकीय औषधालय बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक काम प्रारम्भ होने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख नहीं है ।

गाजीपुर जिले का कथित गो-सदन

*५१--श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर शहर के निकट का गोसदन क्यों बन्द कर दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गाजीपुर जिले में अभी कोई गोसदन नहीं खुला है । बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बस्ती जिले में गोसदन खोलने का आयोजन

*५२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बस्ती में शीघ्र से शीघ्र गोसदन खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह सदन कब तक खुल जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—बस्ती जिले में उपयुक्त भूमि उपलब्ध न हो सकने के कारण अभी तक गोसदन नहीं खोला जा सका। बस्ती के निकट के जिलों में भूमि की खोज की जा रही है ताकि बस्ती जिले के लिये एक गोसदन किसी पास वाले जिले में स्थापित किया जा सके।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार को इसकी सूचना है कि गायघाट और बेलहर जंगल में काफी जमीन गोसदन खोलने के लिये है ? यदि हां, तो गोसदन क्यों नहीं खोले जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार को तलाश करने पर भी कोई जमीन मिल नहीं सकी।

*५३-५५—श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर जिले में हैजे से मौतें

*५६—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में किस तहसील में हैजे के सबसे अधिक केस हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सीतापुर जिले में हैजे व अतिसार के सबसे अधिक केस बिसवां तहसील में हुये।

*५७—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में कुल कितने व्यक्ति इस बीमारी से मरे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सीतापुर जिले में २८ अगस्त, १९५७ तक कुल १११ मृत्युयें हैजे तथा अतिसार से हुई हैं।

श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के खिलाफ शिकायतों की जांच

*५८—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी द्वारा किसी भारी गोलमाल के खिलाफ सरकार उसकी जांच करा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं और उनकी जांच कराई जा रही है।

*५९—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इस विषय में सरकार सदन में सभी प्राप्त तथ्यों पर प्रकाश डालेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—अभी जांच की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। इसलिये यह प्रश्न उठता ही नहीं।

*६०—श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६१-६२--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

नवीन एलोपैथिक अस्पताल भवनों के निर्माण का आयोजन

*६३--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में लगभग १० लाख रुपये की लागत पर वह २० स्थान कहां-कहां और किस-किस जिले में हैं जहां पर ५७-५८ में एलोपैथिक अस्पताल भवन बनाये जा रहे हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--निर्माण-कार्य में कटौती होने के कारण अब केवल ५ स्थानों में ही एलोपैथिक अस्पताल भवन बनाये जा रहे हैं।

१--पिनहट (आगरा), २--कोन (मिर्जापुर), ३--कमालगंज (फर्रुखाबाद), ४--जैती (अल्मोड़ा), ५--जोगिया उदयपुर (बस्ती) ।

श्री प्रभुदयाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि देहातों में एलोपैथिक अस्पतालों की मांग को देखते हुये जो ५ अस्पताल ही खोलने का निश्चय किया गया है उस पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--धनाभाव के कारण ऐसा किया गया है । जब तक पैसा न मिल जाय उस फैसले को रद्द करना ठीक नहीं मालूम होता ।

श्री प्रभुदयाल--मंत्री जी जनता की मांग को देखते हुये उस योजना को पुनः चालू करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब तक धन न हो असम्भव सा प्रतीत होता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--जो मंत्री जी ने पैसा मिलने की बात कही तो उसकी आशा अपने बजट से रखते हैं या केन्द्रीय सरकार से या किसी और सूत्र से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पूरी आशा तो अपने बजट से होती है ।

ग्रामीण एलोपैथिक चिकित्सालयों में चीर-फाड़ तथा प्रसूति-गृहों के भवन निर्माण की योजना को निकालना

*६४--श्री प्रभुदयाल--क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि राज्य में एक लाख सत्तासी हजार रुपये की लागत पर वह कौन से ८ ग्रामीण एलोपैथिक चिकित्सालय हैं जहां पर चीर-फाड़ के इलाज के लिये तथा प्रसूति-गृहों के लिये भवन बनाये जा रहे हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--यह स्कीम प्लान से निकाल दी गई है ?

*६५-६६--श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)--[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

केन सोसाइटीज में हरिजन डाइरेक्टर नामजद करने की प्रार्थना

*६७--श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की कुल केन सोसाइटीज में कुल कितने हरिजन गत वर्ष सरकार की ओर से डाइरेक्टर नामजद किये गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--प्रदेश की किसी भी सोसाइटीज में सरकार की ओर से कोई भी डाइरेक्टर नामजद नहीं किया जाता। अतएव गत वर्ष में हरिजन डाइरेक्टरों की नामजदगी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदास आर्य--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उन्होंने गत वर्षों में जब कि कृषि विधेयक पास होने जा रहा था यह विश्वास दिलाया था कि हरिजनों को केन सोसाइटीज में डाइरेक्टर नामांकित करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उस विधेयक में डेवलपमेंट काउन्सिल का जिक्र था कोआपरेटिव यूनियन का जिक्र नहीं था। वह ऐक्ट दूसरा था।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--इस केन सोसाइटीज के डायरेक्टर को कौन चुनता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वहां के बाई-लाज अलग-अलग होते हैं। जिसको अख्तियार होता है वही चुनता है।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ पर व्यय

*६८--श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ जो १९४९ में स्थापित हुई थी उस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--३१ मार्च, सन् १९५७ तक २६,७४,१६६ रुपया व्यय हो चुका है।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य--इसमें कितना रुपया निर्माणशाला पर और कितना औषधियों पर व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बिल्डिंग पर ९० हजार ४५० रुपये खर्च हुआ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य--औषधि पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*६९-७०--श्री रामसिंह चौहान वैद्य--[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में जलालपुर एलोपैथिक डिस्पेंसरी का भवन बनवाने की प्रार्थना

*७१--श्री लालबहादुर सिंह--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जौनपुर जिले में जलालपुर एलोपैथिक डिस्पेन्सरी के भवन निर्माण के लिये जिला नियोजन समिति ने दूसरी पंचवर्षीय योजना पर सिफारिश करते हुये प्राथमिकता देने को कहा था ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी नहीं।

*७२--श्री लालबहादुर सिंह--क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में सरकार इस भवन का निर्माण करा देगी।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी--प्रयत्न किया जायगा ?

श्री लालबहादुर सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जिला नियोजन समिति जौनपुर से ऐसी कोई सिफारिश मांगी गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सम्भवतः ऐसी सिफारिश आयी थी।

*७३---श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

भदोही, जिला वाराणसी के कालीन मजदूरों पर न्यूनतम वेतन कानून न लागू होना

*७४---श्री जगन्नाथ लहरी---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भदोही, जिला वाराणसी के कालीन मजदूरों पर न्यूनतम वेतन कानून (मिनिमम वेजेज ऐक्ट) लागू क्यों नहीं किया गया है और वह कब लागू किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उद्योग से सम्बन्धित सभी परिस्थितियों को विचार में रखते हुये, इस उद्योग में न्यूनतम वेतन अधिनियम नहीं लागू किया गया। यू० पी० न्यूनतम वेतन परामर्शदात्री समिति द्वारा इस पर विचार किये जाने के उपरान्त इस उद्योग में सम्बन्धित अधिनियम लागू कर दिया जायगा। निश्चित तिथि बताना कठिन है।

श्री जगन्नाथ लहरी---माननीय मंत्री महोदय ने अभी यह बतलाया है कि परिस्थितियों का विचार करते हुए इस उद्योग में न्यूनतम वेतन कानून लागू नहीं किया गया है तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह परिस्थितियां क्या हैं जिनकी वजह से यह लागू नहीं किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस उद्योग की सारी अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और इस उद्योग का जो विदेशों से सम्बन्ध है उसको मद्देनजर रखते हुए यह बात नहीं की गयी।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस उद्योग में लगे हुए मजदूरों को औसतन प्रतिदिन क्या वेतन मिलता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह प्रश्न तो जैसा मैंने अभी निवेदन किया यू० पी० न्यूनतम वेतन परामर्शदात्री समिति के सामने है। वह इन सब बातों को इकट्ठा कर रही है और देख रही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के कालीन मजदूर यूनियन की तरफ से मजदूरों के सम्बन्ध में कोई मेमोरंडम मिला था और उस पर क्या हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वहां की यूनियन की विभिन्न समितियों के कई प्रतिवेतन आये हैं। सब पर विचार हो रहा है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस उद्योग में लगे हुए मजदूरों के ऊपर मजदूर सम्बन्धी कौन-कौन से कानून लागू हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने कहा कि कहीं लागू हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद---जी नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि मजदूरों के और भी कानून हैं। इस व्यवसाय पर वह कौन-कौन से कानून लागू हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जितने कानून लगने चाहिए सब लागू हैं और जो नहीं लगने चाहिए वह नहीं लागू हैं।

*७५---श्री बुलाकीराम---[२० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बौद्ध हरिजनों को सुविधायें देने पर विचार

*७६—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बतायेगी कि हरिजनों को दी जाने वाली सुविधायें हरिजनों के बौद्ध बनने पर भी दी जायेंगी या नहीं ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—मामला विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मामला कैबिनेट के विचाराधीन है या किसी कमेटी के, और कब से ?

डाक्टर सीताराम—गवर्नमेन्ट के विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार ने कोई लिखा-पढ़ी की है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सीताराम—भारत सरकार ने १५ मई, सन् १९५७ को एक पत्र इस प्रान्तीय सरकार के पास भेजा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिया है ? यदि हां, तो उसका आशय क्या है ?

डाक्टर सीताराम—इस पत्र में आदेश तो नहीं दिया है। सिर्फ पत्र भेजा है और यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ये सुविधायें धर्म के आधार पर दी जाती हैं या आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ?

डाक्टर सीताराम—भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४६ के अन्तर्गत ये सुविधायें प्राप्त होती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि भारत सरकार के उस पत्र में विशेष बात क्या लिखी हुई है ?

डाक्टर सीताराम—उस पत्र के अनुच्छेद 'अ' के अनुसार यह साफ है कि वे हरिजन जो बौद्ध धर्म को अपना लेंगे उनको लेजिस्लेचर में सुविधायें नहीं दी जायंगी और उस पत्र में अनुच्छेद 'अ' के अनुसार यह स्पष्ट है कि यद्यपि उनको लेजिस्लेचर में सुविधायें नहीं दी जायंगी, लेकिन फिर भी सरकार उनको अन्य सुविधायें देने पर विचार कर सकती है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो हरिजन बौद्ध बने हैं उनको इस वक्त तक वे सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—इस समय ये आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो पत्र भारत सरकार से आया है और उसमें जिस अनुच्छेद "अ" का जिक्र माननीय मन्त्री ने किया है उसमें कुछ अन्य सुविधाओं का भी जिक्र किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—उसमें यही है कि अनुच्छेद 'अ' के अनुसार उनको लेजिस्लेचर में सुविधायें प्राप्त नहीं होंगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो केन्द्रीय सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है, प्रदेशीय सरकार ने उसका अब तक कोई उत्तर दिया है या नहीं ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न के उत्तर में बतला दिया गया है कि मामला विचाराधीन है।

गन्ने की पैदावार में घटती बढ़ती

*७७—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि प्रदेश में सन् १९५०–५१ की अपेक्षा पहिली पंचवर्षीय योजना के अन्त में गन्ने की फी एकड़ पैदावार कम हो गई है ? यदि हां, तो कुल कितनी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—गन्ना मिलों के लिये सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ने की पैदावार बढ़ी है किन्तु शेष क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन ३३३ मन फी एकड़ से घट कर २४७ मन प्रति एकड़ रह गया ।

*७८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि प्रदेश में सन् १९५०–५१ की अपेक्षा गन्ने की कुल पैदावार उपरोक्त काल में घटी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—प्रदेश में १९५०–५१ की अपेक्षा ५५–५६ में गन्ने का उत्पादन सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्र में ३५.७३ करोड़ मन की अपेक्षा ५५ करोड़ मन हो गया किन्तु शेष क्षेत्र में ४३.३० करोड़ मन से घट कर उत्पादन २४.४३ करोड़ रह गया।

*७९—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में गन्ना उत्पादन के ऊपर राज्य सरकार को कुल कितना खर्च करना पड़ा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्र में १८५.५ लाख रुपये व्यय हुए और शेष क्षेत्र में कुछ नहीं ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सुरक्षित और अभ्यर्पित क्षेत्र जो डेवलपमेंट ब्लाक के बाहर हैं उनमें गन्ने का उत्पादन बराबर घटा है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभ्यर्पित या सुरक्षित सब डेवलपमेंट एरिया के अन्दर हैं, उनमें उत्पादन घटा नहीं है, बढ़ा है ।

श्री अध्यक्ष—उसके अलावा वे पूछ रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अलावा तो मैंने बता दिया ।

श्री अध्यक्ष—कम क्यों हुआ है, इसका कारण बतला दीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन एरियाज में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसा वहां खर्च नहीं किया गया और उसमें रकबा भी कोई ३ लाख एकड़ कम हो गया। इसलिये उसमें कमी हुई ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना को बनाते समय यह बात कही गयी थी कि गन्ने का क्षेत्र तो कम हो जायगा, लेकिन गन्ने की पैदावार बढ़ जायगी, तो योजना के अन्त में गन्ने के क्षेत्र में कितने एकड़ कमी हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष—३ लाख की कमी उन्होंने बता दी है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिजर्व्ड और असाइण्ड एरिया में ३ लाख की कमी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रिजर्व्ड और असाइण्ड एरिया में फी एकड़ गन्ने का उत्पादन ५०–५१ में कितना था और अब कितना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् ५०–५१ में ४०० मन प्रति एकड़ और ५४–५५ में ५१५ मन फी एकड़ रिजर्व्ड और असाइण्ड एरिया में है ।

प्रतापगढ़ जिले में हरिजनों को मकान तथा कुयें बनाने के लिये सहायता

*८०—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वित्तीय वर्ष १९५५–५६ एवं १९५६–५७ में जिला प्रतापगढ़ में हरिजनों को मकान बनाने तथा पानी पीने के कुओं के लिये अलग-अलग कितना धन स्वीकृत किया गया था ?

डाक्टर सीताराम—जिला प्रतापगढ़ में हरिजनों को निम्न अनुदान स्वीकृत किया गया था :—

		१९५५–५६	१९५६–५७
		रु०	रु०
भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु ..	..	५,२००	..
पानी पीने के कूप निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु	..	६,०००	६,०००

*८१—श्री रामकिंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने प्रार्थना-पत्र हरिजनों के मकान बनाने तथा पानी पीने के कुवें के लिये आये थे ?

डाक्टर सीताराम—निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे :—

		१९५५–५६	१९५६–५७
मकान बनाने के हेतु ..	..	३	५८
पानी पीने के कूप निर्माण हेतु ..	..	७०	४५८

*८२—श्री रामकिंकर—क्या यह सही है कि जिला हरिजन सहायक सब-कमेटी ने सरकार से उपर्युक्त कामों के लिये १६,००० रुपया मांगा था ? यदि हां, तो उस पर क्या हुआ ?

डाक्टर सीताराम—जिला हरिजन सहायक सब-कमेटी ने १६,००० रु० की नहीं १५,००० रु० की मांग केवल कूप के लिये की थी । ६,००० रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया ।

श्री रामकिंकर—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो १५,००० रु० की मांग की गयी थी, उसमें ६,००० रुपये की मांग क्यों दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम—वह जिला सब-कमेटी के सामने विचाराधीन है, और भी रुपया वह दे देंगे ।

गोरखपुर, बस्ती तथा देवरिया जिलों में नलकूपों से पर्याप्त जल न मिलना

*८३—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या इसका पता सरकार को है, कि गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के ट्यूबवेल से पानी न मिलने के कारण गन्ना की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है ? यदि हां, तो ट्यूबवेल से पानी न मिलने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, कुछ नुकसान हुआ है। इसका कारण यह है कि पिछले पांच वर्षों में इन तीनों जिलों में ट्यूबवेल ८६ से बढ़ कर ४५६ हो गए हैं किन्तु पावर स्टेशन की आवश्यकताएं उसी परिमाण में न बढ़ाई जा सकीं।

काशीपुर शुगर फैक्टरी के मजदूरों को गर्मियों का एलाउन्स न मिलना

*८४—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि काशीपुर फैक्टरी के मजदूरों को गर्मियों का एलाउन्स नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

(क) जी हां।
(ख) जी नहीं।

*८५—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को विदित है कि काशीपुर शुगर फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों के लिये चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

(क) जी नहीं। वहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था है।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि काशीपुर फैक्टरी के मजदूर मई और जून में खौलती हुई मशीन के साथ काम करते हैं ? यदि हां, तो ऐसी दशा में भविष्य में उनके गर्मी के भत्ते पर विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कारखानों के अन्दर, श्रीमन्, दफ्तरों का आराम नहीं लाया जा सकता। वहां इस प्रकार की दिक्कतें तो स्वाभाविक हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस गर्मियों के अलावेंस के दिये जाने के प्रश्न को सरकार किसी बिन्दबासनी कमेटी या ऐसे किसी जुडीशियल ट्रिब्युनल के पास भेजने का विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं, यह प्रश्न तो बिलकुल उठता ही नहीं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो चिकित्सा की व्यवस्था है, जिसका जवाब 'है' में दिया है, वह कौन सी व्यवस्था उनको दी जाती है, कौन सा अस्पताल उनके लिए वहां है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—फैक्टरी ऐक्ट के प्रावीजन के अन्दर जो आवश्यक हो, वह सब पूरे तौर से फैक्टरी वाले बरत रहे हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि मजदूरों की ओर से फैक्टरी के संबंध में यह शिकायत आई है कि वहां दवादारू की कोई उचित व्यवस्था नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस समय मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

एटा जिले का राजकीय गोसदन

*८६—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार एटा जिला में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोसदन खोलने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां । एटा जिले में १९५६-५७ में ही गोसदन खोल दिया गया था ।

श्री भूपकिशोर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एटा में कौन-कौन स्थानों पर गोसदन खोले गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कमरूआ एक गांव है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक गोसदन में कितना रुपया व्यय होता है और कितना क्षेत्र होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो गोसदन के साइज पर मुनहसिर है।

हरिजन छात्रों को विलम्ब से छात्रवृत्ति मिलने की शिकायत

*८७—श्रीमती शकुन्तला देवी—जब सरकार की ओर से यह प्रबन्ध है कि कालेजों में हरिजनों के लड़कों को छात्रवृत्ति प्रत्येक मास के शुरू में मिल जाये, तो क्या कारण है कि कालेजों के प्रिंसिपल उन्हें वर्ष के अन्त तक भी छात्रवृत्ति नहीं देते ? क्या सरकार ने इस ओर कुछ ध्यान दिया है ?

हरिजन सहायक राज्यमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई।

ग्राम कविराजपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में हरिजन कूप बनवाने की प्रार्थना

*८८—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कविराजपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के हरिजनों की बस्ती में पानी पीने के लिये कोई पक्का कुआं नहीं है ? क्या इस सम्बन्ध में गत वर्ष जिला विकास कार्यालय में आवेदन-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक इकट्ठी की जा सकेगी ?

डाक्टर सीताराम—यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एकत्रित करने के बाद पुनः उत्तर के रूप में उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न का तो मैं एक दफा निबटारा कर चुका हूं ।

उच्च पदों पर काम करने वाले हरिजनों के सम्बन्ध में जानकारी

*८९—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितने हरिजन समुदाय के लोग नीचे लिखे सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं :—

	स्थान	जिला
कलेक्टर		
डिप्टी कलेक्टर		
तहसीलदार		
जज		
मुन्सिफ		
एस० पी०		
डी० एस० पी०		

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कब तक इकट्ठी हो जायगी ?

डाक्टर सीताराम—जल्दी ही हो जायगी, ऐसी आशा की जाती है।

मलाका जेल, इलाहाबाद में बनने वाले अस्पताल के स्थान की अभिकथित अनुपयुक्तता

*९०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो अस्पताल मलाका जेल में बन रहा है उस स्थान को नगर की जनता ने तथा Health विभाग के डाक्टरों ने इस कार्य के लिये अनुपयुक्त बतलाया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जनता की ओर से वहां एक अखबार में एक, दो पत्र विरोध में छपे थे। विभाग के डाक्टरों की ओर से कोई विरोध नहीं था। स्वास्थ्य विभाग के संचालक ने स्वयं स्थान का निरीक्षण किया। राय यही रही कि अस्पताल के लिये यह सब से उपयुक्त स्थान है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी इलाहाबाद पधारेंगे तो उसका निरीक्षण करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब चलेंगे तो जरूर देखेंगे।

क्षय रोग अस्पताल, फाफामऊ, इलाहाबाद पर व्यय

*९१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि जो क्षय रोग अस्पताल फाफामऊ, इलाहाबाद में है, उसमें कितने बेड हैं और सरकार का उस अस्पताल में प्रत्येक वर्ष में कितना व्यय होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इलाहाबाद के क्षय रोग अस्पताल में कुल ४५ शय्यायें हैं और इन पर लगभग ९५,४०० रु० प्रतिवर्ष व्यय होता है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ९० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

इलाहाबाद के विभिन्न अस्पतालों में आपरेशन के औजारों की कमी की शिकायत

*९२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि इलाहाबाद के सरकारी अस्पतालों से विशेष कर मोतीलाल नेहरू अस्पताल, डफरिन अस्पताल तथा आंख के अस्पताल से बार-बार वहां आपरेशन करने के औजारों की मांग होने पर भी औजार नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

सहायता-प्राप्त होम्योपैथिक दवाखाने

*९३--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि प्रदेश में कितने होमियोपैथिक कालेज या दवाईखाने ऐसे हैं जिन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जाती है या सरकार द्वारा चलाये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार ने २ होम्योपैथिक कालेजों को तथा ७२ होम्योपैथिक दवाखानों को १९५६-५७ में सहायता दी थी। सरकार कोई होम्योपैथिक कालेज या संस्था स्वयं नहीं चलाती।

इलाहाबाद के सरकारी तथा सहायता-प्राप्त चिकित्सालय

*९४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि इलाहाबाद में कितने दवाईखाने तथा अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें सरकार द्वारा सहायता मिलती है या सरकार द्वारा चलाये जाते हैं और सहायता-प्राप्त अस्पतालों को और कितनी-कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३२-४३४ पर)

अतारांकित प्रश्न

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रोजगार

१--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपाकर बतलायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने आदमियों को नौकरी तथा रोजगार दिलाने की योजना है ?

आचार्य जुगल किशोर--प्राप्त सूचना के अनुसार साढ़े तीन लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

आश्वासन समिति के निर्माण के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी तक ऐश्योरेंस कमेटी का निर्माण नहीं हो पाया है और उसके कारण बहुत-सी बातें ऐसी हैं कि जिनका पता नहीं लग पाता है सदन के लिये कि वह कब पूरी हुई या नहीं।

श्री अध्यक्ष--हां, वह तो शीघ्र होने वाला है और स्टैंडिंग कमेटियों के साथ करने का मेरा इरादा था। दो स्थायी कमेटियों का तो और का इलेक्शन आज हो जायगा, उसी के बाद एश्योरेंस कमेटी का निर्णय हो जायगा।

इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३५-४३९ पर)

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये उक्त समिति के विधान और नियम के नियम १२-ख (आ) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का चुनाव करें।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये उक्त समिति के विधान और नियम के नियम १२-ख (आ) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का चुनाव करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश की बाढ़ नियंत्रण समस्या पर विवाद

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश की बाढ़ नियंत्रण समस्या पर विवाद आरम्भ होगा।

*मालमंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जरा एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। वह यह है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक तहरीरी बयान तैयार कराया गया है और वह बाहर रखा हुआ है। असल में सवालों से पहले ही वह तकसीम कर देना चाहिये था लेकिन कल शाम तक की जो लेटेस्ट खबर है वह भी उसमें शामिल करने की वजह से आज सुबह ही वह छप सका। अगर आप इजाजत दें तो पांच मिनट ही लगेंगे वह तकसीम कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---क्या वह यहां है नहीं?

श्री चरणसिंह---बाहर ही रखा था।

श्री अध्यक्ष---जब तक वह तकसीम हो, तब तक अगर आपके पास हो तो उसे पढ़ना शुरू कर दें।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, हमारे सूबे के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अभी २९ जुलाई को पूरे दिन बहस हो चुकी है या तबादले खयालात हो चुके हैं। लेकिन इस वर्ष २९ जुलाई के बाद कहीं-कहीं थोड़ी बहुत नदियां बढ़ीं या पहाड़ी जमीन खिसक जाने के कारण लोगों को नुकसान हुआ तो माननीय सदस्यों ने बहुत से प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों की ध्वनि से ऐसा टपकता था कि मानों सन् १९५५-५६ में जो बाढ़ आयी थी या बरसात से हानि हुई थी लगभग उसी अनुपात से इस साल भी हुई है। १३६४ फसली की रबी कुछ खराब हो गयी थी। इसलिये जो अबकी बार बहुत मामूली पानी का भराव हुआ तो उस भराव या नुकसान के तनासुब से ज्यादा घबराहट और ज्यादा चिन्ता माननीय सदस्यों के दिल में थी। इसलिये गवर्नमेंट की तरफ से एक दिन और इस सारी स्थिति पर पुनः विचार करने के लिये आपसे दरख्वास्त की गयी थी और आपने यह दिन उसके लिये मुकर्रर कर दिया।

(इस समय १२ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन-राम गुप्त, पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, इस गवर्नमेंट की तरफ से जो बाढ़ की आपदा कई साल से करीब-करीब बराबर हमारे सूबे में आ रही है उसके नियंत्रण के लिये क्या किया गया है वह बहुत संक्षेप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आपकी इजाजत से मैं बयान करूंगा। इस वर्ष इस प्रकार की क्या-क्या सहायता दी गई है, जहां पानी आदि बढ़ा है अल्मोड़े आदि में और जो आम अभाव की स्थिति है हमारे सूबे के अन्दर वह किस हद तक है, किस हद तक संकट है, उसके सिलसिले में अपनी तरफ से बिना किसी टीका-टिप्पणी के मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने रखूंगा।

गवर्नमेंट की तरफ से अब तक बाढ़ के नियंत्रण के लिये, फ्लड कंट्रोल के लिये ३१ मार्च, १९५७ तक ५,८९,००,००० रुपया खर्च किया जा चुका है और इस वर्ष ३,२७,००,००० रु० खर्च करने का इरादा है। कुल जो हमारी स्कीम है बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में वह १८,२०,००,००० रुपये की बैठती है, जिसमें जैसा कि मैंने अर्ज किया ५,८९,००,००० रुपया खर्च हो चुका है और जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम ३,२७,००,००० रुपया खर्च करने का इरादा रखते हैं।

अगरचे इस इरादे को तकमील करने में एक कठिनाई है और वह यह है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने हमको १ करोड़ ६२ लाख रुपया इस पूरी धनराशि ३ करोड़ २७ लाख में से खर्च करने की इजाजत दी है लेकिन इसके लिये स्टेट गवर्नमेन्ट का गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से पत्र-व्यवहार जारी है कि वह हमको पूरा रुपया खर्च करने की इजाजत दे दें।

५ हजार गांवों की सतह को ऊंचा करने की योजना बनाई गई थी। इसमें से ३,२२९ गांवों में यह काम पूरा हो चुका है और १,२३२ गांवों में यह काम जारी है।

३५९ मील लम्बे बांध बनाये जाने की योजना थी। उस में से २९९ मील कुछ फर्लांग यानी ३०० मील लम्बे बांध बनाये जाकर मुकम्मल हो चुके हैं। जितना मिट्टी पाटने का काम था अगर उसके हिसाब को लगाया जाय तो उसमें ८३ फीसदी काम उसमें से पूरा हो चुका है जो कि हमारे यहां पूरी योजना इसके लिये थी।

जिन जिलों में अक्सर बाढ़ आती है उनमें सन् १९५५ में गवर्नमेन्ट ने यह योजना बनाई थी कि उनमें ३९ बहु-प्रयोजन बाढ़ रक्षा स्थान (multi-purpose flood shelters) का निर्माण कराया जाय ताकि मुसीबत के वक्त वे स्वयं और अपने पशुओं को २,४ दिन के लिये वहां ठहरा सकें। इन ३९ शेल्टर्स में से अब तक ३६ बन चुके हैं। इन ३९ शेल्टर्स के लिये १ करोड़ ९५ लाख रुपया मंजूर हुआ था। उसमें से ३६ शेल्टर्स यानी १२/१३ काम मुकम्मल हो चुका है।

गढ़वाल और बिजनौर जिलों में गंगा नदी और सहायक नदियों के कैचमेंट में १० लाख रुपये की तखमीनी लागत से वनरोपण की तीन योजनायें चल रही हैं।

भूमि संरक्षण का काम और बाढ़ नियंत्रण का काम एक दूसरे से मिलाजुला है। दरख्तों के कटने से और वेजीटेशन के हटने से जमीन खराब होती है। इरोजन आफ स्वायल होता है और बाढ़ भी आती है। इसका एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। भूमि संरक्षण की चार योजनायें, आगरा, झांसी, जालौन और मिर्जापुर में चल रही हैं। इसी जिले के अन्दर लखनऊ में रहमानखेड़ा में एक ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है जहां कि राज्य कर्मचारियों को शिक्षा दी जाती है। जैसे ही वे शिक्षा पूरी कर लेंगे तो फिर आगे कई जिलों में स्वायल कन्जर्वेशन का काम स्वायल कन्जर्वेशन ऐक्ट के मातहत शुरू किया जाने वाला है। मुझे ठीक याद नहीं है, कुछ जिलों में इस सिलसिले में अहकाम जारी भी हो चुके हैं। अब इस स्वायल कन्जर्वेशन की तफसील की बात है। उसको मैं छोड़ देता हूं। मेरे माननीय मित्र इस नोट को पढ़ने का कष्ट करें।

यहां सन् १९५६ में बाढ़ के सिलसिले में जो फ्लड रिलीफ बोर्ड बना था उसने एक सब-कमेटी बनाई थी, जिसमें अधिकतर विशेषज्ञ थे। उसको यह काम सौंपा गया कि वह इस तरह की फसलों को देख लें जो बरसात के आने से पहले पक जायं। जहां तेज धारा जाय तो भी फसल खराब न हो और बाढ़ उतर जाने के बाद फौरन बिलकुल सूखी जमीन न हो, तब भी कोई फसल बोई जा सके। इस तरह से ३,४ किस्म की फसलों के बारे में

[श्री चरणसिंह]

रिसर्च की जाय कि कौन सी फसल ऐसी हो सकती है । उसके लिये एक सब-कमेटी बनी । मैं उस सब-कमेटी का इत्तफाक से चेयरमैन था और हम लोगों ने तथा सब राजकर्मचारियों ने सबने मिलकर कुछ नतीजा निकाला तथा उस सिलसिले में रिसर्च का काम चालू है । इसका जिक्र पैरा नम्बर ९ में तफसील के साथ किया गया है । जूट और बाढ़ से बरबाद न हो सकने वाले गन्ने की क्या-क्या किस्में हैं, उनको मालूम करके उनका बीज तकसीम किया गया है । गहरी जड़ों वाली फसलों के सम्बन्ध में भी कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं । घेंवा की अन्य फसलों के मेल से उत्पन्न करने, लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है । शीघ्र पकने वाले धान लगाने का भी प्रयत्न किया गया है और लोधुया, फाल्गुनी और सोरघुन को वर्षा ऋतु के पूर्व की फसलों के रूप में उत्पन्न करने के सम्बन्ध में अनुसंधान किये जा रहे हैं । सोरघुन एक प्रकार का ज्वार या बाजरा सरीखा है जो अमरीका से मंगाया गया है । बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में खखरा ताल में ऐसी किस्म के कोदों को जो पानी जमा रहने पर भी खराब नहीं होता है, एकत्र किया गया और अन्य क्षेत्रों के किसानों द्वारा अपनाये जाने के निमित्त इस समय उसकी परीक्षा आर्थिक वनस्पति शास्त्री द्वारा की जा रही है ।

वर्षा के बाद जल्दी होने वाली मटर और आलू, शलजम, गाजर, जौ और जई के बीजों को वर्षा के बाद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिये संग्रह कर लिया गया है । जैसे ही वर्षा खत्म हो वह इम्प्रूव्ड सीड स्टोर्स से प्राप्त किया जा सकता है । सब को तो नहीं दिया जा सकता है लेकिन कुछ को दिया जा सकता है । यह जिक्र ऐसी फसलों का किया गया है जो बाढ़ के क्षेत्र में बोई जा सकती हैं । बरसात से पहले, बरसात के बीच में और तुरन्त उसके बाद ।

तेरह पूर्वी जिलों की रबी के बीजों की मांग पूरी करने के लिये छब्बीस हजार मन चना और उन्तालीस हजार मन जौ पहले ही इकट्ठे कर लिये गये हैं । गेहूं के बीज के लिये भारत सरकार से यह प्रार्थना की गयी है कि वह इस राज्य को पंजाब से चार हजार टन देसी गेहूं मंगाने की अनुमति दे । भारत सरकार ने इस विषय में पंजाब सरकार को लिखा है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है । मटर के बीजों का सुरक्षित संचय रखने के लिये भी विचार किया जा रहा है ।

जितने बीज की किसानों को जरूरत है, यह तो ठीक ही है कि गवर्नमेन्ट उतना सब बीज नहीं दे सकती क्योंकि इतनी कैपेसिटी भी हमारे सीड स्टोर्स की नहीं होगी । इसके अलावा जिन लोगों को गवर्नमेन्ट के गल्ले से बीज दिया जायगा वह इस विश्वास में रहेंगे कि बीज जमेगा ही लेकिन वह बीज न होगा और वह गल्ला तो बाजार से खरीद कर तकसीम किया जायगा । लेकिन इस प्रकार से जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट पर आती है । इसलिये इम्प्रूव्ड सीड स्टोर से केवल उन्नतशील बीज ही दिया जायगा लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वह थोड़ी मिकदार में है । इसलिये हर प्रकार का गल्ला और हरएक को वहां से नहीं दिया जा सकता । लेकिन इस साल चना और जौ तो इकट्ठा किया ही जा चुका है और गेहूं के इकट्ठा किये जाने की कोशिश हो रही है ।

जहां आमतौर पर बाढ़ें आती हैं, वे १९ जिले हैं । हर एक में ५ हजार रुपये की रकम मई के महीने में देते हैं ताकि कलेक्टर तत्काल बिना गवर्नमेन्ट की इजाजत लिये रिलीफ का कार्य शुरू कर सके । जिलाधीशों को यह जहननशीन करा दिया गया है कि रुपये की कमी की वजह से लोगों के संकट को दूर करने में कोई कमी न की जाय । अगर जरूरत हो तो वह फौरन तलब करें, उनको रुपया मिल जायगा । ऐसा न होना चाहिये कि वे यह सोचें कि कहीं हम रुपया मांगें और सरकार यह समझे कि यह ज्यादा है और न दे, इस प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये । वहां जो फलड-कोष है उसमें सत्तू, चना, गुड़, दियासलाई, मिट्टी का तेल, दवा इत्यादि जो है वह उनको देने की व्यवस्था है । इस तरह का आदेश हर साल

दिया जाता है और इस साल भी दिया गया है। इमर्जेन्सी के लिये इस तरह की सब चीजें फ्लड-कोष में जमा होती हैं, यह बात मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं। कुछ नावें गवर्नमेन्ट की अपनी तरफ से मौजूद हैं और तीन चार साल से यह स्कीम चल रही थी कि कोई गांव-समाज आधा रुपया अपने पास से लगाने को तैयार हो तो आधा रुपया गवर्नमेन्ट अपने पास से देगी लेकिन दो साल से हमने यह कर दिया है कि अगर गांव-समाज ४० परसेंट रुपया दे तो गवर्नमेन्ट अपने पास से ६० परसेंट रुपया देगी। मुझे पता नहीं कि इस तरह कि कितनी नावें मौजूद हैं। मोटर बोट्स भी गवर्नमेन्ट के पास हैं क्योंकि पानी का बहाव जब बहुत तेज होता है तो मामूली नावें नहीं काम करती हैं, ऐसे हमारे यहां ९ मोटर बोट्स हैं। इन सबके आंकड़े दिये गये हैं, इस साल १९५ नावें बनाने के लिये ६० और ४० के अनुपात से यह रुपया उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को दिया गया है। अब कितनी नावें बनी होंगी, मैं नहीं समझता कि पूरी बन पायी होंगी, लेकिन रुपया उनके पास चला गया है।

इसके अलावा, चराई के लिये जो पास के जंगल हैं, उनके खोलने की इजाजत दे दी है। इसके लिये स्टैंडिंग आर्डर हैं कि जब कलेक्टर फारेस्ट डिपार्टमेन्ट वालों से कहे तो फौरन खोल दें, अगर जरूरत हो।

इसी तरह से भूसे का इन्तजाम भी हर जिले में थोड़ी-थोड़ी मिकदार में किया गया है। हमारा तजुर्बा है कि कहीं भूसा हम भिजवाते हैं तो वह भूसा आमतौर पर इस्तेमाल होता नहीं है। ट्रांसपोर्ट चार्ज गवर्नमेन्ट को बर्दाश्त करना पड़ता है लेकिन भूसा आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि बहुत दफा तो हमको बिलकुल मुफ्त ही उसे तकसीम करना पड़ा। फिर बाहर से जो घास जाती है, वह भी ऐसे हिस्से में भेजी जाती है, खासतौर से बांदा रेंज से घास भेजी जाती है लेकिन उसमें एक खास किस्म की गंध होती है जिससे हर जानवर उसको खाने के लिये तैयार नहीं होता है जब तक कि वह मरणासन्न न हो जाय। लेकिन फिर भी संकट के मौके के लिये वह भी जमा रहती है।

इसके अलावा १० हजार रुपया हर जिलाधीश के पास इस आशय से रखा गया है कि झोपड़ी बनाने के लिये जो सामान फूस, पत्ती, लकड़ी, बांस वगैरह किसानों को खरीदना पड़ेगा, उसमें से उनको सहायता दी जाय। गल्ले का स्टाक तो हर जगह मौजूद है, और तरह-तरह की औषधियों, टीके, यानी वैक्सीन, इंसेक्टिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट्स आदि का स्टाक हर जिले में मौजूद है। इसके अलावा १० हजार चर्खे का भी इन्तजाम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की तरफ से मौजूद है। हमारे यहां जुलाई सन् ५७ के दूसरे फोर्टनाइट से वर्षा कुछ शुरू हुई और कुछ नदियां हमारे यहां बढ़ीं। वे नदियां जिनमें बाढ़ आयी कुछ बाराबंकी में हैं, कुछ गोरखपुर में हैं और कुछ देवरिया में हैं, जिनसे नुकसान हुआ। थोड़ा बहुत और जगह भी हो सकता है कि नुकसान हुआ हो लेकिन काबिले जिक्र नुकसान जहां तक मेरी याददाश्त काम देती है, क्योंकि मैंने कोई देखा नहीं है, इन तीन जिलों में ही हुआ और अल्मोड़ा जिले में लैण्ड स्लाइड से बहुत बड़ा नुक्सान हुआ।

अब तक हमारे यहां जो मौतें हुई हैं उनकी तादाद ४९ है लेकिन ४९ में ४२ मौतें तो अल्मोड़ा के हिस्से में आती हैं। इसके अलावा २४३ मवेशी जाया हुये जिनमें से ११९ मवेशी केवल अल्मोड़ा जिले में ही जाया हुये हैं।

जो पानी हर साल बढ़ता है उसे आप बाढ़ कह लीजिये लेकिन जैसी बाढ़ों का पिछला तजुर्बा हमें है वैसी बाढ़ अभी ईश्वर की कृपा से नहीं आई। लिहाजा इस में जिले की तमाम नदियों की हाइएस्ट वाटर मार्क की तालिका दी गई है और इस वक्त तक के जो हाइएस्ट फ्लड वाटर मार्क हैं वह भी दिये गये हैं। उनको देखने से मालूम होगा कि अब तक कितने इंच तक कौन नदियां उठी हैं और कोई चिंता की बात कहीं किसी प्रकार की नहीं है। फिर भी फसलों को और मकानों को जो क्षति पहुंची है उसकी भी एक अलग तालिका दी गई है, सन् ५३ से सन् ५७ तक की जो क्षति है उसकी तालिका दी गई है, उसके देखने से

[श्री चरणसिंह]

मालूम होगा कि अगर इन आंकड़ों को नुकसान कहा भी जाय तो इतना नुकसान तो हर साल होता ही है। इसके अलावा किस जिले में कितनी वर्षा हुई है और उसका ५५–५६ के साल से क्या मुकाबिला है वह भी दिया गया है और उसकी भी तालिका दी गई है।

अब सहायता सम्बन्धी जो कार्य हुआ है उसकी भी, विवरण और विस्तार के साथ, तालिका दी गई है। अभी ३० अगस्त की शाम को टेहरी-गढ़वाल से रेडियोग्राम द्वारा समाचार मिला था कि पंचासवें मील, जो भटवारी से १४ मील पर और गंगोत्तरी तथा निलांग को जाने वाली हरसिल सड़क से १० मील नीचे की ओर है, क्षतिग्रस्त हो गयी है और लगभग चार फर्लांग की लम्बाई तक जलमग्न हो गयी है। यातायात बिलकुल बन्द हो गया। बरफ के खंडों के गिरने के कारण लोदगाड नदी द्वारा लाये गये मलबे से भागीरथी का प्रवाह अवरुद्ध होने से भी क्षति हुई जिसके परिणामस्वरूप भागीरथी का प्रवाह अस्थायी रूप से रुक गया है और एक छोटी झील सी बन गई है। वहां एक पी०ए०सी० की बटैलियन यात्रियों को सहायता के लिये जो भागीरथी के उस तरफ स्ट्रैन्डेड हो गये हैं उनको निकालने के लिये भेजी गई है और कलेक्टर ने लिखा था कि उनके निकालने में अभी हफ्तों लग सकते हैं लिहाजा उनके लिये गल्ला हवाई जहाज से ड्राप करने का इंतजाम किया जाय। वह भी कर दिया गया है।

लखनऊ शहर की हालत में आपको क्या बताऊं, वह तो आप जानते ही हैं। यहां भी कुछ मकान गिरे और कुछ जानें जाया हुईं और कुछ पानी बढ़ा लेकिन शहर के अन्दर पानी घुसा हो या मकानों तक पहुंचा हो, ऐसी बात नहीं है और जैसा कि आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि जिलाधीश इस सिलसिले में बहुत तत्पर हैं और हर आने वाले खतरे के लिये तैयार हैं।

सुल्तानपुर की एक ४ सितम्बर, ५७ की सूचना है कि वहां २९ अगस्त, १९५७ को लगभग ४·१ इंच भारी वर्षा हुई और ३ तथा ४ सितम्बर, १९५७ को ४ इंच वर्षा हुई। यह भी सूचना मिली है कि मुसाफिरखाना और अमेठी तहसील के क्षेत्रों में भारी और लगातार वर्षा हो रही है जिसके परिणामस्वरूप खेतों में बहुत पानी जमा हो गया है। जिलाधीश द्वारा सभी एहतियाती कार्यवाहियां की गई हैं। अहेतुक सहायता देने के लिये ४,००० रुपये की धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है।

इसके अलावा अभी कल शाम को मेरठ से सूचना मिली है कि तहसील मवाना में पिछले तीन दिनों में साढ़े १७ इंच तक भारी वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़े क्षेत्र में पानी जमा हो गया है और बहुत से मकान गिर गये हैं। दस हजार रुपये की धनराशि अहेतुक सहायता तथा विविध बाढ़ सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिये स्वीकृत की गई है।

कल का दिन छोड़ कर जो यह तीन-चार दिन बराबर बारिश हुई है उस से कुछ चिन्ता जरूर हुई है; बाकी महकमा माल के तो यह तीन मास बड़ी मुश्किल से कटते हैं। लोग कहते हैं कि गरीब किसानों के पास इन महीनों में गल्ले की कमी रहती है लेकिन महकमा माल वालों के पास चाहे गल्ले की कमी न हो लेकिन उनकी नींद, आराम और निश्चिन्तता में बहुत कमी आ जाती है। तो उनको चिन्ता थी। रोज देखते थे कि कहीं से कोई तार, रेडियोग्राम तो नहीं आ गया। खुशी की बात है कि अभी तक किसी जिले से बाढ़ की खबर नहीं आयी सिवाय सुल्तानपुर से परसों शाम की खबर और कल शाम की मवाने की खबर के। इसका कारण भारी वर्षा है, बाढ़ नहीं, लोकल रेन्स, नदियां नहीं।

अधिष्ठाता महोदय, वर्षा ऋतु अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी हम खतरे से बाहर नहीं हैं। पिछले वर्ष अक्तूबर में तो जबरदस्त बारिश हुई जिससे नुकसान हुआ। उससे ही ज्यादा नुकसान हुआ। इससे पहले और उससे भी पहले वर्ष यानी १९५५ में अक्तूबर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गालिबन प्रेस कानफरेंस में फरमाया था जिस साल वर्षा देर में शुरू होती है उस साल देर में ही खत्म होती है। इसलिये जुलाई के महीने में जब वर्षा शुरू हुई है तो हो सकता है कि अक्तूबर और मुमकिन है कि नवम्बर भी हमारे लिये अच्छी खबर लाने वाले न सिद्ध हों। वैसे आदमी को उम्मीद अच्छी ही करनी

चाहिये । यह ख्याल आम तौर पर हो जाता है और हर साल हो जाता है और विशेषकर उन लोगों को जिनको ज्यादा जानकारी होनी चाहिये उनको हो जाता है कि अगर वर्षा देर में शुरू हुई है तो अब के फसल बहुत कम बोयी जायगी । या वर्षा अगर देर में खत्म हुई है तब भी देर में बोई जायगी क्योंकि उसमें नमी वगैरह हो जाती है । लेकिन कुछ तजुरबा यह बतलाता है कि जितना अंदेशा, जितनी आशंका शुभचिंतक और जिम्मेदार लोगों को होती है, वह सही साबित नहीं होती । अभी १९५२ और ५३ की बात है । इसी प्रकार डेढ़ करोड़ रुपये का बीज गोरखपुर जिले में मिलना चाहिये, यह मतालबा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया वरना गोरखपुर के जिले में एक इंच जमीन नहीं बोयी जायगी या ९० फीसदी बिना बोये रह जायगी । लेकिन जो आंकड़े आये, और जो फसल पैदा हुई उससे मालूम हुआ कि ९९ फीसदी बोई गयी और एक फीसदी रह गयी ।

हमारे लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर की तरफ से अब जो पड़ताल हो रही है, वह पड़ताल ३० सितम्बर तक हो जानी चाहिये । अब तक जिन गांवों में इन जिलों में पूरी पड़ताल हो चुकी है उससे कुछ अंदाजा लगता है । मेरे पास हर जिले के आंकड़े मौजूद हैं, जिन गांवों में पड़ताल खत्म हो चुकी है । पड़ताल में दो ही काम होते हैं--कब्जा और फसल । तो लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर का कल का लिखा हुआ हमारे पास आया है । फैजाबाद, गोंडा, वाराणसी, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़--इनकी फीगर्स इसमें हैं । गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर की नहीं थीं । तो यह उन्होंने हम को आंकड़े भेजे हैं कि किस-किस जिले में कितने गांव हैं और कितने गांवों की पड़ताल हो चुकी है--मसलन् मिर्जापुर में ३ हजार ४ सौ ६३ गांव हैं । ११ सौ ५० गांवों में पड़ताल हो चुकी है । पिछले साल वहां फसल जो बोई गयी थी वह ५ लाख ९२ हजार ४ सौ ४० एकड़ में बोई गई थी । इस साल जो फसल बोई गयी है वह ११ सौ ५० गांवों में १ लाख ९३ हजार एकड़ में बोई गयी है । पिछले साल में ३ हजार ४ सौ ६३ गांवों में ५ लाख ९२ हजार ४ सौ ४० एकड़ में फसल बोई गयी। इससे मालूम हुआ कि इस साल ११ हजार ८ सौ ५० एकड़ की रकबे में कमी थी । इसी प्रकार और जिलों के आंकड़े हैं । नकशा मौजूद है । इससे साबित होता है कि ४·२ प्रतिशत रकबा अबकी खरीफ की फसल का बिना बोया रह गया । यह बात नहीं है कि वर्षा जितनी देर से शुरू हुई तो कोई बहुत बड़ा रकबा बोने से रह गया ।

अधिष्ठाता महोदय, अब जो हमारे यहां गोरखपुर और बनारस की डिवीजन में स्केयरसिटी कंडीशन्स हैं, जैसा मैंने अर्ज किया था बिना टीका-टिप्पणी के कुछ आंकड़ों का जिक्र आप के सामने कर रहा हूं । जैसा मैंने पहले २९ जुलाई को भी कहा था कि अपराधों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं है, प्रापर्टी के खिलाफ़ या इंसान के खिलाफ । जब बहुत बड़ी कमी आदमी को गल्ले की हो जाती है तो आदमी जुर्म करता है, चोरी तो करता ही है, फ़सल काट लेता है, और काम भी करता है । कई किस्म के जुर्म करता है । उन सबकी तालिका बनवायी और पिछले साल से कम्पेयर किया तो इस वर्ष किसी खास किस्म के जुर्म में कहीं वृद्धि है, तो कहीं किसी में कमी है । कोई ऐप्रीशियेबिल डिफ़रेंस नहीं है । हो सकता है, यह बात ठीक है बहुत हद तक कि हमारे लोग आम तौर पर सुलहपसन्द अमनपसन्द और तकलीफ़ को शान्ति से बरदाश्त करने वाले हैं । लेकिन यह अनक्वालीफ़ाइड स्टेटमेंट नहीं किया जा सकता कि मासेज के मासेज, पूरी जनता जो इस तरह के संकट में हो तो वह अपना संतुलन बिलकुल न खो बैठेगी और थोड़ा बहुत जुर्म नहीं करेगी । लेकिन इस सिलसिले में दो रायें हो सकती हैं, मैंने आंकड़े दे दिये हैं ।

दूसरी बात यह है कि कोई नोटिसेबिल एक्सोडस हमारे गांवों से नहीं हुआ है ।

तीसरी बात यह है कि वस्तुओं के मूल्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई । और जैसा मैं अभी बाद में अर्ज करूंगा, आंकड़े बतलाऊंगा कि बनारस रीजन से, बनारस रीजन में गोरखपुर डिवीजन आता है, गल्ला इस साल बाहर गया, पिछले साल भी गया था । इस वक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि मवेशियों के जो मेले होते हैं, उसमें जानवरों की बिक्री लिखी जाती हैं । तो हमने बलिया, गाजीपुर, देवरिया, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर

[श्री चरण सिंह]

और गोरखपुर के १ मई, १९५६ से १५ जून, १९५६ तक, क्योंकि बरसात में तो मेले नहीं होते हैं, तो डेढ़ महीने के वे और इस साल भी डेढ़ महीने जो मेले हुये उनमें पशुओं की जो बिक्री हुई उनकी तादाद.....

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, प्वाइंट आफ़ आर्डर। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, जो आज विषय है उस विषय के विवाद की जो परिधि है उसके बाहर जा रहे हैं। मैं पहले ही इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था लेकिन मैंने समझा कि शायद मंत्री जी उदाहरणार्थ कुछ दो-चार बातें कह रहे हैं। लेकिन बिलकुल विपरीत विषय पर आ गये हैं और अभाव नहीं है इस प्रदेश में, इसका जिक्र वे करने लगे हैं। बाढ़ कंट्रोल आज का विषय है, उत्तर प्रदेश की बाढ़ नियंत्रण समस्या पर विवाद, आज का विषय है। लेकिन अब जो वह बातें कर रहे हैं, वह यह साबित करने के लिये कह रहे हैं कि स्केयरसिटी नहीं है। और रिपोर्ट के भी दो हिस्से हैं, एक तो बाढ़ और दूसरा स्केयरसिटी के बारे में। तो मेरा विचार यह है कि आज का विवाद, वैसे बाढ़ से भी स्केयरसिटी होती है, लेकिन आज हम स्केयरसिटी पर विचार नहीं कर रहे हैं। बाढ़ के कंट्रोल पर विचार करना चाहिये। उसके लिये क्या मेजर्स उठाये गये, तब तो ठीक है। लेकिन स्केयरसिटी क्यों है, क्यों नहीं, अगर इसकी मेरिट्स में जाने लगे तो मैं समझता हूं कि दो-तीन दिन विवाद हो और स्केयरसिटी कंडिशन्स पर भी हम लोग विवाद करें। या तो मंत्री जी यह स्वीकार करें। लेकिन अगर मंत्री जी चाहते हैं कि बाढ़ के साथ स्केयरसिटी कंडिशन्स पर विवाद कर लें, जो कम से कम आज के विवाद की परिधि के परे है, यह उचित न होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था करें और इस विवाद को नियंत्रित करने की कृपा करें।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मेरे ख्याल में लफ्ज बाढ़ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आज का एजेण्डा देख लीजिये।

श्री चरणसिंह---बाढ़ ही सही, पहली बात तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सही स्थिति, जिसकी बाबत चिन्ता है, जिसकी बाबत बहुत बड़ी चिन्ता कल रात तक रही, अगर वह फैक्ट्स हमारे सामने आ जायं, तो हम में से किसी आदमी को उस पर एतराज नहीं होना चाहिये। मैं केवल फैक्ट्स रख रहा हूं, कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। स्केयरसिटी है या नहीं है, इसके सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन फैक्ट्स अगर सामने आ जायं और वह फैक्ट्स भी लेखपालों के दिये हुये न हों, तो हम में से कोई भी आदमी क्यों न उन फैक्ट्स को जानने का स्वागत करे? क्यों उससे शाई बने? क्यों उससे चमके? एक तो यह बात है।

दूसरी बात यह है कि बाढ़ से ही स्केयरसिटी पैदा होती है, जैसा वह कहते हैं। जो स्केयरसिटी अब पैदा हुई है वह सन् ५६ की बाढ़ से कितनी आयी, सन् ५५ की बाढ़ से कितनी हुई और सूखे से कितनी हुई, कितना उसका असर पड़ा और जो बाढ़ इस साल गोरखपुर, देवरिया, बाराबंकी, इन जिलों में आयी, उसका भी कितना असर पड़ा, इस वजह से इसका जिक्र अगर होता है तो कोई असंगत बात नहीं है। इस पर ऐतराज तो वैसे ही हुआ जैसे कि फ्लड कंट्रोल का जिक्र तो हो लेकिन स्वायल कंजर्वेशन का नाम न आये। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिलकुल मैं विषय के अन्दर हूं और अगर कोई बिलकुल टेक्निकल बात ऐसी हो भी, तो भी मैं माननीय सदन की इजाजत चाहूंगा कि मैं ये कुछ फैक्ट्स मसलन एकाध टेबिल है उसको सदन के सामने रख दूं। मैं उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---मैं फिलहाल तो माननीय माल मंत्री को इजाजत देता हूं कि वह अपना भाषण जारी रखें। मगर जरा मैं ऐडजर्नमेंट मोशन मंगाता हूं और उसे देखता हूं कि उसमें क्या बात थी जिसके ऊपर यह बात पैदा हुई थी। (श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) माननीय नारायणदत्त जी, मुझे खत्म कर लेने दीजिये। मैंने वह एडजर्नमेंट मोशन मंगाया है जिससे कि यह बात तय हुई थी कि इस पर एक दिन डिबेट हो। उससे पता चल जायगा कि क्या बात थी।

श्री चरणसिंह---तो मैं यह बता रहा था कि गाय, बैल और भैंस इन चार महीनों के अन्दर पिछले साल और और इस साल किस जिले के मेले में कितने बिके और उनकी क्या एवरेज वैल्यू थी, उसका औसत उसको पढ़ने से मालूम हो जायगा कि क्या था।

इसके साथ ही साथ भूमिधरी जमीन के जो बयनामे हुए .....

श्री नारायणदत्त तिवारी---भूमिधरी से और बाढ़ से क्या मतलब है ?

श्री चरणसिंह---कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह घबराहट क्यों है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---घबराहट नहीं है।

श्री चरणसिंह---नहीं है तो चुपचाप सुनो।

तो अधिष्ठाता महोदय, बलिया, देवरिया, मिर्जापुर में स्केयरसिटी में डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं अपने लोगों के संकट से इनकार नहीं कर रहा हूं। यह मैं कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं जो कि मैं फिर रिपीट करता हूं कि लेखपाल के दिये हुए नहीं हैं। यह टेबिल सब-रजिस्ट्रार के आफिस में मौजूद है। रजिस्टर्ड डाक्यूमेंट्स हैं। पिछले साल जमीन का भाव क्या था, फी एकड़ क्या शरह थी और इस साल क्या शरह रही, यह वहां मौजूद है। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता।

मैंने हर जिले के बड़े-बड़े शर्राफों की दुकानों से कितना बुलियन खरीदा गया और उन्होंने कितना जेवर खुद खरीदा यानी कितना वहां बिका और कितना उन्होंने खरीदा, यह भी मंगाया है। यह भी आंकड़े मौजूद हैं और यह भी लेखपाल के आंकड़े नहीं हैं।

एक सदस्य---बाढ़ क्षेत्र में जेवर की दुकानें नहीं हैं।

श्री चरणसिंह---नहीं होंगी। सुन लीजिये....।

श्री अधिष्ठाता---जरा-सा शान्तिपूर्वक सुनने की कोशिश करें।

श्री चरणसिंह---एक बात यह कही गई है कि बच्चों की एजूकेशन सफर करती है। उनकी तादाद कम होती जा रही है। यह भी मैंने बयानों में पढ़ा है और एकाध तकरीर में यहां भी अपने कानों से सुना। तो हमने बड़ी मुश्किल से कल शाम तक डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के यहां से कुछ आंकड़े इकट्ठा किये जिसमें ५७-५८ के तो हो नहीं सकते और ५६-५७ के भी एक ही जिले के मिले। ५४-५५ का और ५५-५६ का है, जिससे यह जाहिर होगा कि प्राइमरी, मिडिल और सेकेंड्री तीनों किस्म के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद, दोनों डिविजन्स के मैंने एक ही जगह आंकड़े दे दिये हैं, बढ़ी है, घटी नहीं है। लेटेस्ट जो ५६-५७ के फीगर्स देवरिया जिले से मिले हैं उनसे भी यही साबित होता है कि वहां भी यही पोजीशन रही। वह एक तालिका मैंने इसमें रख दी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि मैं फैक्ट्स देना चाहता हूं। लेकिन अभी जब पिछली दफा फूड समस्या पर बहस हुई थी तो उस समय भी माननीय मंत्री जी ने यही सब बातें कही थीं। तो क्या दोबारा फिर उन्हीं बातों को वे सदन में रख सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता---दोबारा नहीं दे रहे हैं।

श्री चरणसिंह---जितनी घबराहट जाहिर करेंगे उतना केस वीक करेंगे। मान लिया कि मैं इसका जिक्र न करूं तब भी यह इसमें रक्खा हुआ मौजूद है।

गन्ने की पैदावार का जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी अपने पत्र में कर चुके हैं और मैंने भी पिछली दफा २९ जुलाई को जिक्र किया था कि १ महीना ज्यादा औसतन हर फैक्ट्री चल रही है। गन्ने के आंकड़े दे रक्खे हैं। इसलिये ज्यादा जिक्र इस सम्बन्ध में नहीं करना चाहता। २९ करोड़ रुपये का गन्ना इस वक्त इन जिलों में पैदा हुआ है। अब उसमें सवाल यह पैदा होता है कि कम से कम जिन लोगों को २१ करोड़ रुपया मिला और अप्रैल तक गन्ना पेरा गया तो उनसे कुछ वसूल करना चाहिये था या नहीं, या सेंट परसेंट रेमिशन होना चाहिये था। १३६४ फसली में जो पैदावार हुई यानी १९५७-५६-५५ हर फसल के और हर जिले के आंकड़े इसमें रख दिये गये हैं। पिछली खरीफ जिसमें इतनी जबरदस्त बाढ़ आयी यानी सन् ५६ में कई जिलों में मक्का बनिस्बत पहले सालों के कहीं ज्यादा हुई, क्योंकि शुरू में सूखा रहा और बाढ़ आई अक्टूबर में, और सूखे में कम्पेरेटिवली मक्का ज्यादा पैदा होती है। हमारे आंकड़ों से पिछले साल ५५ की अपेक्षा ५ गुनी मक्का पैदा हुई। उसके हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं।

इस वर्ष जो रैंडम सैम्पलिंग क्राप कटिंग के एक्सपेरीमेंट्स हुए हैं, जिनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करवाता है, दर्जनों एक्सपेरीमेंट्स हर जिले में, हर तहसील में करवाये जाते हैं, उसके हिसाब से जो कुल गल्ला पैदा हुआ है वह पिछले साल की अपेक्षा केवल १७ फीसदी कम पैदा हुआ है और ५५ के मुकाबले में २० फीसदी कम हुआ है। अब अगर जितना रेमिशन गवर्नमेंट ने दिया और ३४ फीसदी कम पैदावार कुल मान ली जाय, तो रेमिशन देने में गवर्नमेंट लिबरल रही या हार्श रही, यह मैं माननीय मित्रों और सदन के सदस्यों के जजमेंट पर छोड़ता हूं।

इस समय १,४४८ गल्ले की दूकानें चल रही हैं और ११ महीने खुले हुए हो गये हैं। ३१ अगस्त, सन् ५७ तक ४६ लाख ८५ हजार मन गल्ला इन दुकानों के जरिये से तकसीम हुआ और हमारे यहां अमूमन इतना गल्ला १२ लाख आदमियों के लिये ११ महीने के लिये काफी था और जो पैदावार हुई है, उस पैदावार को मिलाइये और ४७ लाख मन गल्ला यह मिलाइये और फिर हिसाब लगाइये---जिस आबादी को २ करोड़ कहा जाता है, मैं यह समझता हूं कि यह रियायत है, ढाई या तीन करोड़ क्यों नहीं कहा जाता, लेकिन सेंसस के हिसाब से १ करोड़ ६० लाख आबादी निकलती है---इस आबादी के लिये इतना गल्ला काफी है। हमारे हिसाब से तो मोर दैन सफिशेंट है। लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ हमारा हिसाब गलत है, तो कम से कम इलाके भर में भुखमरी हो जाय, उस हद तक कमी नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े रखना चाहता हूं आपकी इजाजत से, कि पहली अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च तक इसी बनारस के और गोरखपुर के डिवीजन में १६,८१,००० मन गेहूं, चना, जौ, चावल, धान तथा मक्का आउटसाइड दि स्टेट भेजी गयी। ये रेलवे के फिगर्स हैं। अगर मार्च में हमारी फसल खराब हो गयी तो गल्ला बाहर जाना बन्द होना चाहिये लेकिन दो ही महीने के आंकड़े मिले हैं, तो १,११,००० मन अप्रैल में और १,७५,००० मन सक्सीडिंग मंथ में बाहर गल्ला भेजा गया, बजाय फ़ाल---आफ करने के---जिसको कहा जाता है कि १२ आने फसल खराब हो गयी और मालगुजारी पूरी माफ कर दी जाय। साथ ही १४ महीने के अन्दर ७ लाख मन चावल अकेला भेज दिया इनसाइड दि स्टेट, इन्हीं रेलवे स्टेशंस से और १९ लाख मन आउटसाइड गया है। अब यह जो बिहार को वैसे सड़क से और जानवरों के जरिये से चला जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं है।

जहां तक टेस्टवर्क का जिक्र है, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवरिया में ५६-५७ में---मैं यह नहीं कहता कि अब चल रहे हैं---लेकिन देवरिया में २९ अप्रैल तक चले और एक महीने के लिये बन्द हो गये और २९ मई से फिर चले। अब बरसात

की वजह से बन्द कर दिये गये हैं, क्योंकि बरसात में नहीं चलते हैं। अधिष्ठाता महोदय, यह बड़ी गलत बात कही जाती है और जिम्मेदार कालम्स में छप भी जाती है कि टेस्टवर्क में ४ आने रेट्स आफ वेजेज हैं। यह चीज जिम्मेदार आदमी अपने खतों में और फार्मल स्टेटमेंट्स में देते हैं कि २५ नये पैसे, ४ आने की मजदूरी टेस्टवर्क में मिल रही है। कोई आदमी क्या नतीजा निकालेगा ? अगर मैं कहूं कि कानपुर में डेढ़ रुपया मजदूरी है टेक्सटाइल फैक्टरी में या फलां वर्क पर, तो हमेशा नतीजा यही निकाला जायगा कि ऐडल्ट मैन की वह मजदूरी है। तो यहां ४ आने की बात रिपीट की गयी है। मुख्य मंत्री जी के पास एक पत्र आया, उसमें यह बात कही गयी, दुनिया में ब्राडकास्ट कर दी गयी और जब कि लिखने वाले और कहने वाले जानते हैं और सवाल रोजाना हाउस में होता है कि ८ आने मेल ऐडल्ट के लिये, ६ आने वीमन ऐडल्ट के लिये और चार आने बच्चों के लिये है। अगर यह कहते कि ४ आने बच्चों के लिये है तब तो बात समझ में आती, मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब बड़े-बड़े उसूलों को बखाना जाय और तपस्या की जाय और बलिवेदी पर चढ़ा जाय और महज ४ आने का जिक्र किया जाय तो मैं समझता हूं, तपस्या में फर्क आ जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्। माननीय माल मंत्री अब तो मेरे विचार से बिलकुल अतिक्रमण कर रहे हैं। बाढ़ और अभाव की बात थी, अब बढ़ कर के "बलिवेदी" की बातें कहने लगे। आप माननीय माल मंत्री को रोकिये, वह विवाद की परिधि से बिलकुल परे जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---मेरे पास जो ऐडजर्नमेंट मोशन है, मैं उसकी भाषा को देख रहा हूं कि किस प्रकार की है, जिससे सही निर्णय पर पहुंच सकूं।

श्री चरणसिंह---मैं कह रहा था कि टेस्टवर्क की जो मजदूरी दी जाती है, वह फुल वेजेज में दी जाती है, इसका हमने कभी दावा नहीं किया। सिर्फ इतना दिया जाता है और इसका उसूल यह है कि नजदीक से नजदीक मंडी में, गंज में या बाजार में, सस्ते से सस्ता गल्ला जितने पैसे में १८ छटांक आ सकता हो, उतना पुरुष को, १४ छटांक जितने पैसे में आ सकता हो उतना स्त्री को और १० छटांक जितने पैसे में आ सकता हो उतना १४ वर्ष तक के बच्चे को मजदूरी दी जाती है। इस हिसाब से कीमत के लिहाज से वेजेज होनी चाहिये ६ आने, चार आने ८ पाई और ३ आने ४ पाई। लेकिन इसके बजाय मजदूरी ४ आने, ६ आने और ८ आने है। इसके अलावा टेस्टवर्क्स पर अधिकतर बच्चे ही आ रहे हैं। इसका क्या ऐक्सप्लेनेशन है, मैं नहीं जानता। ऐडल्ट्स कम आ रहे हैं, शायद वह जरूरत महसूस न करते हों, क्यों नहीं करते, इसको मैं तिवारी जी के ऊपर छोड़ता हूं।

एक बात यह कही गई कि १९५२ से ज्यादा इस समय मुसीबत है और उस समय गवर्नमेंट ने ज्यादा दुकानें खोली थीं। १९५२ में जो गेहूं, जौ और चना के भाव प्रचलित थे वह हमने ५७ में भी दिखा रखे हैं। जो भाव थे १९५२ के, वह आज से ज्यादा थे। लेकिन जो सहायता दी गई थी और दुकानें खोली गई थीं, वह कम थीं और चौथाई शोर भी नहीं मचाया गया था, धमकी नहीं दी गई थी और सत्याग्रह नहीं किया गया था और सब लोग संतुष्ट थे। १९५२-५५ में कितना था बनारस और गोरखपुर में, वह भी मैंने दे दिया है और मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि सस्ते भाव से अनाज की बिक्री करने के लिये ९ जिलों में १,४४८ दुकानें चल रही थीं और इन दुकानों से लगभग ४७ लाख मन गल्ले की बिक्री हुई और इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक रुपये का तीन सेर चना और एक रुपया का तीन सेर और दो छटांक जौ और बाजरा बिक रहा था है। विदेशों से मंगाया हुआ गेहूं भी सहायता की दुकानों पर बिना लाभ-हानि के आधार पर एक रुपये का दो सेर दस छटांक के भाव में बिकता है। अब कितना गवर्नमेंट के फाइनैन्सेज पर वर्डेन पड़ता है इसके ठीक आंकड़े तो नहीं बतला सकता, लेकिन यदि दो रुपये का औसत लगाया जाय तो ९४ लाख पड़ता है। अब

[श्री चरण सिंह]

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को सितम्बर के महीने में ४०,००० टन गल्ला देना स्वीकर किया है और फिर मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में क्रमशः १०,०००, १५,०००, २७,००० और ३०,००० टन गल्ला दिया। राज्य सरकार ने ६५,००० टन मोटे अनाज का स्टाक किया, १,४२४ दुकानों को जो आज चला रही हैं उनकी बिक्री के लिये कोर्स ग्रेन दे दिया गया है। इस सिलसिले में और भी बातें हैं लेकिन मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहता हूं। केवल एक बात का जिक्र करूंगा और उसके बाद अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा।

अधिष्ठाता महोदय, अभी हमने पोस्टमास्टर जनरल से कहा कि हमें फीगर्स दो कि इन जिलों के डाकखानों से कितना रुपया मनीआर्डर से ५५-५६ और ५७ में गया है। अधिष्ठाता महोदय, यह छपा नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से सन् १९५५-५६ में, यानी पहली अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, सन् १९५६ तक ७० लाख २२ हजार रुपये के मनी आर्डर्स बाहर भेजे गये। सन् १९५६-५७ में ८९ लाख ६१ हजार रुपये के और सन् १९५७ के पांच महीनों में, यानी पहली अप्रैल से लेकर ३१ अगस्त तक ४४ लाख ३१ हजार रुपये के मनी आर्डर्स बाहर भेजे गये। इस हिसाब से अगर सन् १९५७-५८ का एवरेज निकाला जाय तो १ करोड़ ६ लाख रुपये आता है यानी रुपया भेजने की तादाद बढ़ी ही है।

अब जौनपुर में देखिये। सन् १९५५-५६ में २१ लाख ९४ हजार रुपये बाहर गये, सन् १९५६-५७ में २५ लाख ३६ हजार रुपये और इस साल पांच महीने में १० लाख ४६ हजार रुपये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---यह इतना रुपया आया कहां से ?

श्री चरण सिंह---मैंने अपने अधिकारी से केवल यह कहा था कि जो बाहर से मनी-आर्डर्स आये हैं उनके आंकड़े लाना। वे जो यहां से गये हैं उसके आंकड़े ले आये। तो इस समय बाहर से आने वालों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। लेकिन सही स्थिति तो इससे ज्यादा मालूम होती है कि आप के जिले में जो पैदावार हुई उसमें से वे कितना स्पेयर कर सके।

अब बस्ती जिले में देखिये। सन् १९५५-५६ में ३४ लाख ९४ हजार रुपये बाहर गये, सन् १९५६-५७ में ३८ लाख ६२ हजार और इस साल के पांच महीनों में १५ लाख २६ हजार रुपये बाहर भेजे गये। तो ३ लाख रुपये का एवरेज हुआ महीने का। इसको १२ से जरब दे दीजिये तो १९५७-५८ का करीब ३६, ३७ लाख के आता है।

इसी तरह देवरिया में सन् १९५५-५६ में ३६ लाख रुपये, सन् १९५६-५७ में ३५ लाख ४० हजार रुपये और सन् १९५७ के पांच महीनों में १३ लाख ३० हजार रुपये बाहर भेजे गये। अगर २ लाख ६६ हजार को १२ से जरब दे दीजिये तो कोई ३० लाख के करीब सन् १९५७-५८ का बैठता है।

अब गोरखपुर का देखिये। सन् १९५५-५६ में ७३ लाख रुपये, सन् १९५६-५७ में ७५ लाख ७२ हजार रुपये और इस साल पांच महीने में ३८ लाख २५ हजार रुपये। इस को, अगर एवरेज निकाल कर, १२ से जरब दीजिये तो पहले जो ७३ और ७५ लाख था, वह १९५७-५८ में ८९ लाख के करीब बैठता है।

आजमगढ़ में सन् १९५५-५६ में ३० लाख ६० हजार रुपया, १९५६-५७ में ३३ लाख २० हजार रुपया और इस साल पांच महीनों में १३ लाख ५५ हजार रुपये बाहर भेजे गये।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---यह रुपया गया कहां है, यह भी बता दीजिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--मुझे यह अर्ज करना है कि यह भी इसके साथ-साथ बतला दीजिये कि यह मनीआर्डर्स जो गये हैं यह किस काम के लिए गये हैं और कहां गये हैं ?

श्री अधिष्ठाता--यह तो बतलाना बड़ा कठिन है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--मेरा कहना यह है कि यह मनीआर्डर्स गल्ला खरीदने के लिए हापुड़ वगैरह गल्ले की बड़ी-बड़ी मण्डियों में गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा प्वाइंट आफ आर्डर अब आप डिसाइड कर दें। ऐडजर्नमेंट मोशन आप के पास शायद आ गया है।

श्री अधिष्ठाता--मैंने कामरोको प्रस्ताव की फाइल देखी और उसके देखने से यह पता चलता है कि कई माननीय सदस्यों ने ऐडजर्नमेंट मोशन दिये थे कि बाढ़ से जो स्थिति पहाड़ या प्लेन्स पर उत्पन्न हो गयी है उससे बहुत से आदमी और पशु मर गये हैं, तो इस स्थिति पर विचार करने के लिए माननीय अध्यक्ष ने एक दिन का समय निश्चित किया था। लेकिन जो बाढ़ से स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसमें पशु मर जायेंगे, गल्ले की कमी हो जायगी, चारे की कमी हो जायगी, यह सब हो सकता है और इसलिए बाढ़ नियंत्रण समस्या और गल्ले की समस्या को अलग-अलग करना कठिन है। यह एक दूसरे से इण्टरमिंगिल्ड हैं। तो बाढ़ नियंत्रण की समस्या के साथ-साथ गल्ले की समस्या पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अगर मैं प्राइस पालिसी पर बोलने लगूं, खाद्यान्न के दाम चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो क्या आप वह भी एलाऊ कर देंगे ?

श्री अधिष्ठाता--माननीय माल मन्त्री जी, अब आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन का कार्य संचालन इस दिन के प्रोग्राम के अनुसार होगा अथवा किसी पिछले दिन के कामों के अनुसार उसका संचालन होगा।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव--आज का जो प्रोग्राम सदन को मिला है, उसमें बाढ़ नियंत्रण की समस्या पर विवाद होना है। तो आज का कार्य-संचालन इस प्रोग्राम के अनुसार होगा अथवा पिछले किसी दिन हुए ऐडजर्नमेंट मोशन्स के आधार पर वह आज अपना प्रोग्राम निश्चित करेगा ?

श्री अधिष्ठाता--माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया था। उस को मैंने देखा और एजेंडा पर जो बाढ़ नियंत्रण समस्या पर विवाद दिया हुआ है, उसका सम्बन्ध उस ऐडजर्नमेंट मोशन से था, तो इसलिए कार्य भी उसी के हिसाब से होगा। उस प्वाइंट आफ आर्डर में तिवारी जी ने यह बात उठायी थी कि फूड स्केयरसिटी पर बहस बन्द कर दी जाय, क्योंकि आज बाढ़ नियंत्रण समस्या पर विचार हो रहा है, किन्तु उन काम रोको प्रस्तावों को देख कर मैंने निर्णय दिया कि बाढ़ से यह सारी समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं, जानवर मर सकते हैं, गल्ले की प्राइस बढ़ सकती है, घट सकती है, आदि। तो इस वास्ते मैंने निर्णय दिया कि इन सब बातों पर विचार हो सकता है।

श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं और आप के जरिये अपने छोटे भाई माननीय चन्द्रजीत यादव को यह मशविरा दूंगा कि वह गलत नजरिया अपने सामने न रखें। जो पुराने लोग इस सदन में रह गये हैं यह जरूरी नहीं है कि वह सही बात ही कहते हों, इसलिए प्वाइंट आफ आर्डर देख कर उठाना चाहिए।

[श्री चरण सिंह]

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि.....

श्री नारायण दत्त तिवारी---यह किसको ऐड्रेस कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---हमको ऐड्रेस कर रहे हैं और अपने छोटे भाई को ऐडवाइस दे रहे हैं ।

श्री चरणसिंह---यह मनीआर्डर्स बाहर गये । यह किसके लिए गये, यह पूछना गैरमुताल्लिक था ।

१३६४ फसली में २ करोड़ ७५ लाख की धनराशि गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर की गयी, ग्रैचुइटस रिलीफ के लिए, मकान बनाने के लिए सबसिडी, ६ महीने की स्कूल की फीस माफ करने के लिए, हुई हानि के रिइम्बर्समेंट के लिए, टेस्ट वर्क, तकावी और नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट के मकानों की मरम्मत के लिए या उनके निर्माण के लिए ऋण देने के सम्बन्ध में यह रुपया दिया गया । १ करोड़ २५ लाख रुपया मालगुजारी में रेमिट हुआ या सस्पेंड हुआ । तकावी आम तौर पर साढ़े ५ प्रतिशत के ब्याज पर होती है, लेकिन पिछले साल हमने तकावी पर साढ़े ४ प्रतिशत ब्याज निश्चित किया । पिछले साल हैजे के टीके तथा पैल्यूड्रिन बांटने के काम किये गये, मकान बनाने का सामान जैसे--बांस, बल्ली, छोटे बच्चों के लिए गरम कपड़े, चरखों का बांटना, और चारे की कमी को दूर करने के लिए जो-जो काम किये गये उन का जिक्र मैं छोड़े देता हूं । रबी की २ करोड़ १९ लाख की मालगुजारी इन ९ जिलों की बैठती है । उसमें ८७ लाख रुपये रेमिट हुए और ६८ लाख रुपये का रेमिशन अंडर कंसीडरेशन है कि वह आगे के लिए पोस्पोन की जाय या नहीं । यह कुल रुपया करीब १५५ लाख के बैठता है । अब इस २ करोड़ १९ लाख में से ६४ लाख रुपया बचा जो वसूल किया जा रहा है । ६९ लाख रुपया पिछला पोस्पोन था । तो २ करोड़ १९ लाख और ६९ लाख यानी २ करोड़ ८८ लाख वसूल करना था । तो वह ६९ लाख फिर पोस्पोन हुआ और ८७ लाख फिर इस साल रेमिट हुआ । ६८ लाख विचाराधीन है तो उसमें से सिर्फ ६४ लाख रुपया वसूल किया जा रहा है । पिछली रकम का २२ फी सदी वसूल हुआ था । अगर पिछली को भी छोड़ दें, तो फिर २९ फी सदी वसूल हुई । इस पर कहा जाता है कि मालगुजारी सब माफ होनी चाहिए और जो वसूल हुई है वह भी माफ होनी चाहिए । मैं इसको अपने मित्रों पर ही छोड़ देता हूं, वह खुद इसका फैसला करें कि इन्साफ का क्या तकाजा है । यह हमारे जो किसान हैं, उनका दर्द क्या उनके दिल में ही है और हमारे किसी के दिल में उतना दर्द नहीं है ? हमारे दिल में भी उतना ही दर्द है ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि मैंने समय अधिक ले लिया लेकिन यह इसीलिए हुआ कि सही वाकयात माननीय मित्रों के सामने आ जावें । अब मैं यह कोशिश करूंगा कि १० मिनट में अपना कथन समाप्त कर दूं ।

मालगुजारी के सम्बन्ध में मैं एक बात उस समय अर्ज करना भूल गया था । मालगुजारी कितनी माफ होनी चाहिए, उसके मुताल्लिक पहले, हमारे विरोध में जो माननीय मित्र यहां बैठे हैं उनका पक्ष यह था कि ८ आने फसल में हानि हुई । इसलिए उनका खयाल यह था कि ८ आने ही माफी होगी । नुकसान के अनुपात से माफी होती है, यह खयाल था और इसलिए यह कहा जा रहा था कि ८ आने की माफी होनी चाहिए । माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने पिछली बार, गालिबन ३ अगस्त को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुदान पर बोलते हुए कहा था कि ६ आने की माफी दी जा रही है और १२ आने का नुकसान है । जब माफी की बात हुई तो नुकसान १२ आने बताया ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज़ वाद-विवाद फ्लड पर है या लगान, मालगुजारी की छूट और ऐसी बातों पर है।

श्री अधिष्ठाता---यह सवाल उठ चुका है और बाढ़ के बारे में बहस हो रही है। माननीय मन्त्री जी इस समय बोल रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बाढ़ पर ही अपना भाषण सीमित रखें।

श्री चरणसिंह---तब तो इतना ही काफी है कि फलां नदी में ३४८ फीट ५ इंच पानी आया है।

श्री त्रिलोकी सिंह---श्रीमन्, चूंकि मेरा हवाला दिया गया है इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---मन्त्री जी के भाषण के बाद कहिये।

श्री चरणसिंह---मुझे खूब अच्छी तरह से याद है और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। प्रोसीडिंग्स में लिखा हुआ होगा। मुझे उस समय बोलने का मौका नहीं मिला था, वरना मैं उसी समय बतलाता।

अधिष्ठाता महोदय, तो मुशालते में यह मांग की गयी थी कि ८ आने की मालगुजारी में माफी हो। जब पी० एस० पी० के तीन लीडर्स, जिनमें से एक मित्र यहां मौजूद नहीं हैं, जिनका सम्बन्ध देवरिया से है, कलेक्टर देवरिया से मिले तो उन्होंने बताया कि जब ८ आने से १० आने का नुकसान हुआ है तो ६ आने की माफी, १२ आने में ८ आने की माफी और १२ आने से ऊपर १ रुपये की माफी हो। दूसरी जून का पत्र पी० एस० पी० के सेक्रेटरी का कलेक्टर, देवरिया के नाम है। उसमें है कि ८ आने नुकसान है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। श्रीमन्, आपने यह रूलिंग दी कि केवल बाढ़ पर ही बोलें। उसके बाद भी मंत्री जी लगान के सम्बन्ध में कहे जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---बाढ़ से सम्बन्ध लगान का है, इसलिए वह उस पर बहस कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह---इस सिलसिले में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय, तो ठीक है। व्यवस्था का प्रश्न उठाने के हक का प्रयोग अगर इस प्रकार से किया जाय तो हाउस की कार्यवाही का चलना नामुमकिन है।

श्री त्रिलोकी सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं देख रहा हूं कि माननीय माल मन्त्री की तुर्श निगाह मेरी तरफ है। मुझे अफसोस है कि जब कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहें तो इस तरह से कहा जाय, यह मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा, कहा गया कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने से हाउस की कार्यवाही चलना नामुमकिन है।

मेरा यह निवेदन है कि यहां इस आदरणीय सदन में कोई माननीय सदस्य उस चीज का हवाला नहीं दे सकता है जो यहां पेश नहीं है या मौजूद नहीं है। देवरिया के सेक्रेटरी के पत्र का हवाला मन्त्री जी ने दिया है और वह यहां पेश नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में रूल पढ़े देता हूं :

"Shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House."

यह रूल है। हाउस की बिजिनेस में देवरिया के सेक्रेटरी का कोई पत्र नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---जिस पत्र का हवाला दिया है उसे आप मांग सकते हैं। वह हवाला दे सकते हैं और पेश कर सकते हैं।

श्री चरणसिंह—मैंने जिक्र किया कि माननीय त्रिलोकी सिंह ने अपनी तकरीर में ६ आने की माफी को जोड़ा १० आने और १२ आने क नुकसान से। उन्होंने उसे चैलेंज किया और मैंने कहा कि है। अगर इस में मेरी आवाज तेज हो गयी हो तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन कदम-कदम पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना और ध्यान आकर्षित करना, इस हक का सही उपयोग नहीं है। वह लेटर मेरे पास इस समय मौजूद है, कलेक्टर की करेस्पांडेंस का जुज है। ये यहां हमेशा पढ़े जाते हैं और पढ़े जायेंगे। माननीय मित्र चाहें तो मैं यह उन के पास भिजवा दूंगा। आनन्देश्वर प्रसाद, पी० एस० पी० सेक्रेटरी, देवरिया का है। "हमारा अनुमान है कि किसी गांव में ८ आने से कम फसल का नुकसान नहीं हुआ है।"

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी को पूरा पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसमें से कोटेशन दे दें।

श्री चरणसिंह—कलेक्टर ने लिखा है कि जब मैंने उनको समझाया कि ८ आने के नुकसान में ८ आने की माफी नहीं मिलती तब यह कहने लगे कि नुकसान १२ आने का हुआ है और उसके बाद माननीय गोपाल सिंह जी ने अपने पत्र में लिखा, स्टेटमेंट दिया कि १२ आने का नुकसान हुआ और दूसरे लीडर्स के बयानों में १२ आने से १६ आने तक के नुकसान का जिक्र है और यह सब २ जून के बाद हुआ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन ९ जिलों की मालगुजारी २ करोड़ १९ लाख है और १ करोड़ ६० लाख आदमी रहते हैं। देवरिया में ८७ प्रतिशत और बस्ती में ८४ प्रतिशत, लेकिन मैंने सबका औसत ८० प्रतिशत लगाया है। इस हिसाब से खेती करने वाले १ करोड़ ३० लाख आदमी हुए। अगर एक फेमिली में ५ आदमी भी माने जायं तो २६ लाख किसान इन दो डिवीजनों में हुए। इनको २१९ लाख रुपया मालगुजारी का देना पड़ता है। इस हिसाब से साढ़े आठ रुपया फी फेमिली पड़ा। साल भर में १७ रुपया फी फेमिली मालगुजारी इन दो डिवीजनों के किसानों की हुई। अब एवरेज इनकम, जो पर कैपिटा इनकम है वह २०० रुपया सालाना से ज्यादा है। उनके लिये मैं १७५ रुपया माने लेता हूं। ५ से इसको जरब दें तो करीब ९०० रुपया होते हैं। इसमें मजदूर भी आ गये, इस तरह से किसानों की तो १,००० रुपया हो गयी। लेकिन अगर ८०० रुपया भी मान ली जाय तो उसमें से १७ रुपया की आहुति अगर वह राज्य की यज्ञशाला में डाल रहे हैं तो, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से जानना चाहता हूं कि क्या यह बड़ा भारी पैसा है। यों तो गरीब के लिये एक पैसा भी भारी होता है लेकिन देखना यह है कि राज्य का घड़ा तो एक-एक बूंद से ही भरता है। एक बूंद से कोई बोझ नहीं पड़ता है और अगर उसको माफ कर दिया जाय तो कोई आराम उनको नहीं होगा लेकिन स्टेट का २० करोड़ रुपये का नुकसान हो जायगा। ४३८ लाख का नुकसान दो कमिश्नरियों में हो जायगा। यह सोचने की बात है कि क्या मालगुजारी हमेशा के लिये माफ कर दी जाय। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये नम्र निवेदन करूंगा खुदा न खास्ता इन टेबिलों पर आपको बैठना पड़े तो आपको ऐसी बात कहनी चाहिये कि उस वक्त आप उसको पूरा कर सकें। लेकिन यह समझना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसलिये गरीबों की मालगुजारी माफ कर दो, यह ठीक नहीं है। गरीब वे हैं और आपकी यह बात अपील भी करती है लेकिन उसका नतीजा क्या होता है?

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से एक बात कह कर खत्म किये देता हूं और वह यह कि साधु प्रवर कंफूसियस से किसी ने सवाल किया कि किसी भी राजा के लिये तीन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अत्यन्त आवश्यक हैं। उसने जवाब दिया कि पहली चीज मिलिटरी पावर है, दूसरे भोजन का सवाल है, तीसरे पापुलर फेथ इन दी रूलर है। उससे फिर कहा गया कि अगर इन तीनों में उसको एक चीज छोड़नी पड़े तो? उसने जवाब दिया कि वह मिलिटरी पावर को छोड़ सकता है, उसके बिना काम चल सकता है लेकिन भोजन और लोगों का विश्वास रहना चाहिये। फिर उससे कहा गया कि इन दोनों में से भी मजबूर होकर कोई एक चीज छोड़नी पड़े तो वह क्या

छोड़े। उसने जवाब दिया कि हो सकता है कि लोगों को फूड की सप्लाई में कमी पड़ जाय लेकिन लोगों का अपने राज में विश्वास रहना ही चाहिये, वरना वह राज्य नहीं रहेगा। आज कोई राजा नहीं है, आज की जो जनता है वह स्वयं राजा है और राइटली या रांगली जो उसके चुने हुए नुमाइन्दे हैं वे ही ५ वर्ष के लिये उनकी सेवा करने के लिये मौजूद हैं। फिर आज उनके अन्दर आशा का संचार न करके एक निराशा की भावना भर कर उनके सामने एक काली तस्वीर क्यों रखी जा रही है? अधिष्ठाता जी, आज यह गवर्नमेंट है, कल हमारे मित्र यहां आ जायं या परसों कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाय तो इस तरह से मुल्क तो चलता ही रहता है, गवर्नमेंट अदलती बदलती रहेंगी। लेकिन मैं आपके जरिये दरख्वास्त करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि लोगों में पराजय की एक भावना पैदा करके एक काली तस्वीर का नक्शा खींचने से किसी तरह का फायदा किसी को नहीं होने वाला है। न उनको फायदा है, न जनता को फायदा है, न मित्रों को फायदा है बल्कि इसमें देश की हानि है और हम यह जानते हैं कि यह पोलिटिक्स है, और पोलिटिकल बैटिल लड़ा जाता है लेकिन डेमोक्रेसी में बैलट से बैटिल लड़ा जाता है, लेजिस्लेचर में लड़ा जाता है और हड़ताल से भी लड़ा जाता है लेकिन सत्याग्रह और भूख हड़ताल से नहीं लड़ा जाता। अगर लड़ाई लड़नी जरूरी हो तो जरूर लड़नी चाहिये क्योंकि डेमोक्रेसी चलेगी नहीं अगर डिफरेंस आफ पब्लिक ओपीनियन न हो, और पोलिटिकल पार्टीज न हों। लेकिन अधिष्ठाता जी, क्लीन हथियारों से वह लड़ाई लड़ी जाय न कि दूसरी तरह के हथियारों से। आप स्वच्छ हथियारों से लड़िये, अगर बजाय दिमाग को अपील करने के दिल को अपील किया जायगा तो इससे इस देश की हानि होगी। गवर्नमेंट का एक दिन का स्वप्न है या ५ साल का स्वप्न है, यह कोई मैटर नहीं करता। कांस्टीटयूशन के मुताबिक जो मुनासिब लड़ाई हो वही लड़नी चाहिये और स्वच्छ हथियारों से लड़नी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह—अधिष्ठाता महोदय, बड़े सौभाग्य का आज दिन है कि जो अन्देशा कल रात्रि तक हम लोगों को परेशान किये हुए था, वह हमारे सामने नहीं है। इस आदरणीय सदन के तीन माननीय सदस्यों ने अन्न या दूसरे प्रकार का आहार लेना छोड़ दिया था। मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों उन माननीय सदस्यों ने ऐसा करना उचित समझा। लेकिन उनके ऐसा करने से जो इस सदन के माननीय सदस्यों को और उसके बाहर इस प्रदेश की जनता को, बल्कि इस देश के भी बहुत काफी रहने वालों को चिन्ता उत्पन्न हो गयी थी और जिस तौर पर वह समाप्त हुई, उसके लिये मैं माननीय माल मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत कृतज्ञ हूं। माननीय माल मंत्री जी का इसलिये कृतज्ञ हूं कि जो समिति बनायी गयी है इस बात को तजवीज करने के लिये कि रबी के सिलसिले में फसल के नुकसान हो जाने से क्या क्षति हुई है और उस क्षति की पूर्ति करने में, उस सिलसिले में राहत पहुंचाने के लिये कौन से तात्कालिक उपाय किये जायं उसका सभापतत्वि माल मंत्री जी ने, जिनका भाषण भी सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्वीकार किया है।

सामने बैठे हुए एक माननीय सदस्य यह शका प्रकट कर रहे हैं कि मैं जो निवेदन कर रहा था उसका बाढ़ से सम्बन्ध नहीं है। इधर से आवाज मुझे पहले मिल चुकी थी लेकिन मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी ५–७ मिनट पहले माननीय अधिष्ठाता महोदय ने इसी प्रकार की एक आशंका उठाने पर यह व्यवस्था दी थी कि चूंकि लगान और मालगुजारी का सम्बन्ध बाढ़ से है इसलिये उसका हवाला इस वाद-विवाद में ठीक तौर पर दिया जा सकता है लेकिन मैंने तो न बाढ़ का जिक्र किया और न लगान व मालगुजारी का बल्कि उस गहरी चिन्ता का, उन काले बादलों का जो कल रात तक इस सूबे पर मंडरा रहे थे और उनसे जो चिन्ता उत्पन्न हो गई थी और जिससे इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य अलहदा नहीं था।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में इधर कई वर्ष से लगातार बाढ़ का प्रकोप किसी न किसी हिस्से में होता है, चाहे वह घाघरा में आये, चाहे राप्ती या शारदा में आये, चाहे गंगा में आये या जो यह छोटी–सी नदी गोमती है उसमें बाढ़ आये और मैं तो यह भी मानता हूं कि

[श्री त्रिलोकीसिंह]

सरकार ने बाढ़ के सम्बन्ध में लोगों को जो राहत पहुंचाई जाय, उस अन्देशे को पहले से स्वीकार कर जिलाधीशों के पास ५ हजार की रकम इस हेतु पहले से रख दी थी। लेकिन आज के दिन की मांग और इस वाद-विवाद के लिये समय नियत करने की दरख्वास्त इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने इसीलिये की थी कि वे इस बात को जानें कि इस समय तक जो बाढ़ आई है उसमें रुकावट पैदा करने के लिये, उससे जो नुकसान हुए हैं उनमें राहत पहुंचाने के लिये और जिस बाढ़ के आने का अन्देशा है क्योंकि बाढ़ का समय भादों और क्वार के महीनों में होता है, उसके लिये क्या तैयारी कर रखी है, इसको जानें। लेकिन बाढ़ का जिक्र अगले महीने दो महीने में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाय, उसके लिये सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है या जो एक महीने के अन्दर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है उसके सिलसिले में क्या हुआ है उसका ज्यादा बखान न कर, पिछली रबी की फसल के खराब होने से क्या नुकसान हुआ यही बताया गया।

यह मैं अपने लिये सौभाग्य समझता हूं कि मेरी बात को इतने महत्व का समझा कि माल मंत्री जी ने आज महीने डेढ़ महीने के बाद इस सदन में उसको उपस्थित किया। यह उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया कि वह मेरी बात को ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं उनकी इस हिम्मत की दाद देता हूं। लेकिन मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वह किसी के हथियार को छीनकर उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। माल मंत्री जी का सम्भवतः यह ख्याल है कि इधर के बैठने वालों को और बिलखसूस इस खाकसार को लगान और मालगुजारी की माफी आदि के जो नियम हैं उनसे कतई वाकफियत नहीं है। सिवा इसके कि इस सदन में जो कुछ फुलझड़ी सी उधर से छूटती हैं उसी की रोशनी में हम अपनी राय कायम करते हैं। मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि इस प्रदेश में एक पुराना १८६४ का सेटिलमेंट सर्कुलर था। उसके पहले जो लार्ड विलियम बैंटिक की पालिसी सन् १८३३ में बनी और १८५५ में फिर उसके बाद सहारनपुर में, जो मेरठ डिवीजन का एक छोटा सा जिला है, वहां इसी मालगुजारी के सम्बन्ध में नियम बने। उसके पेश्तर लार्ड कार्नवालिस का बन्दोबस्त इस्तमरारी, या इसके बाद शरह मुअइयन जो डंकिनी बन्दोबस्त के नाम से मशहूर है अथवा जितने भी सेटिलमेंट १८५७ के बाद से आज तक हुए हैं, या आजमगढ़ जिले में रीड साहब, जो कि एक मशहूर बन्दोबस्त आफिसर हुए हैं जिनका हवाला जो लेटेस्ट सेटिलमेंट रिपोर्ट्स हैं उनमें दिया जाता है, उनको पढ़ने का इत्तफाक मुझे भी हुआ है और इस आदरणीय सदन की सदस्यता के पहले हुआ है। यह नहीं है कि यहां आकर मैंने यह जाना।

उसी प्रकार सत्याग्रह का जिक्र किया गया। मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह अर्ज करूंगा कि सत्याग्रह का पाठ पढ़ने हम इस आरदणीय सदन में नहीं आये। इसको हमने बहुत पहले पढ़ा था। हो सकता है कि माननीय माल मंत्री से भी पहले पढ़ा हो और अच्छे नम्बरों से उसमें कामयाब हुए हों। मैं यहां के वाद-विवाद में आज बाढ़ की स्थिति में सरकार ने क्या उपाय किये हैं उसको सुनना चाहता था। सत्याग्रह के ऊपर कोई भाषण नहीं सुनना चाहता था।

श्री चरण सिंह—क्या मैं जान सकता हूं कि सत्याग्रह की वजह से काले बादल रात तक छाये हुए थे उसका तो जिक्र हो सकता है और सत्याग्रह नहीं करना चाहिए, इसका जिक्र नहीं हो सकता है?

श्री अधिष्ठाता—(श्री त्रिलोकी सिंह से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री त्रिलोकी सिंह—माननीय मालमंत्री का यह ख्याल है कि सत्याग्रह के कारण काले बादल छाये हुए थे। मालूम नहीं उस सत्याग्रह के कारण और उस सत्याग्रह को स्थगित करने के लिए क्यों माननीय माल मंत्री ने वह कमेटी जो बनी है उसकी चैयरमैनशिप स्वीकार की। अगर वह एसा खराब हथियार था, वह ऐसा निन्दनीय हथियार था

तो क्या कारण था कि कल रात को इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी इस बात की कोशिश की कि गेंदा सिंह जी अपना उपवास समाप्त कर दें। सत्याग्रह का जिक्र! इस शख्स की तस्वीर को देखिये तब कुछ कहने का साहस कीजिये। यह सत्याग्रह .... (कई आवाजें)

श्री अधिष्ठाता—शान्ति रखिये।

श्री त्रिलोकी सिंह—श्रीमन् सत्याग्रह का सबक हमने महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर सीखा है और हमें यह भी मालूम है कि एक नहीं अनेक बार इसी महात्मा ने उपवास भी किया है, अन्याय के विरोध में। महात्मा को जाने दीजिये। यह जो उस तरफ हमारे माननीय सदस्यों को कुछ मेरी बात सुन कर हैरत हो रही है और वह इस खयाल के मालूम होते हैं कि महात्मा के चरणों में बैठ कर केवल उन्होंने सत्याग्रह का सबक सीखा है, इधर के बैठने वाले सब उससे वंचित रहे हैं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि जेलखाने की मिसलें मौजूद हैं और जिसकी जमात के आज वह सदस्य हैं, जिस जमात की सदस्यता पर उनको गर्व है अगर उसकी लाइब्रेरी नामुकम्मिल है तो मैं किताबें देने को तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता—(श्री शिवप्रसाद के खड़े होने पर आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—मैं जानना चाहता हूं कि .....

श्री अधिष्ठाता—जानना नहीं, अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न हो तो उठा सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद—मैं व्यवस्था का ही प्रश्न उठा रहा हूं। यह क्या सत्याग्रह का सबक पढ़ाया जा रहा है या.....

श्री अधिष्ठाता—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैं माननीय सदस्य का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि सत्याग्रह का सबक उन्हें पढ़ाया जा रहा है। मान्यवर, ऐसी धृष्टता न मैंने की है और अगर उनके मन में यह खयाल भी पैदा हुआ हो तो निकाल डालें कि सत्याग्रह की सीख देने से मैं इस आदरणीय सदन का समय ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय त्रिलोकीसिंह जी, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। इस विषय पर आप बोल चुके हैं आगे बढ़ें तो ठीक है।

श्री त्रिलोकी सिंह—मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैंने तो उन माननीय सदस्य के सम्बन्ध में निवेदन किया था कि कतई यह इरादा नहीं है कि मैं उनको कुछ सिखाऊं। लेकिन यदि मेरे सम्बन्ध में कोई बात कही जाय, या इधर के बैठने वालों के सम्बन्ध में कोई बात कही जाय तो इस आदरणीय सदन के नियमों के अनुसार मेरा यह हक है कि उसकी सफ़ाई यहां पेश करूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस सफाई के पेश करने में कोई आपत्ति नहीं उठायेंगे।

मान्यवर, मैं लगान और मालगुजारी का जिक्र कर रहा था। मेरे सम्बन्ध में कहा गया कि ८ आने का नुकसान हुआ। और एक तरह का अगर मैं कहूं कि इंसोल्यूएशन भी किया गया कि चूंकि आठ आने के नुकसान पर मुतें यह मालूम हुआ कि छूट नहीं होती है लिहाजा उसको आगे बढ़ा दिया।

श्री चरण सिंह—मैंने हरगिज यह नहीं कहा। मैंने कहा कि श्री गेंदासिंह जी और दो पी० एस० पी० के मेम्बरान ने यह कहा।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी, आपको जो कुछ कहना हो, चेयर को एड्रेस करके कहें तो अच्छा हो।

श्री त्रिलोकी सिंह—मान्यवर, मंत्री जी की बातों से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। मुझे प्रिय मालूम होती हैं, इसलिये कि मेरे पुराने दोस्त हैं और यह हुस्ने इतफ़ाक है कि आज एक ही सदन के वह और मैं दोनों ही सदस्य हैं।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि मेरे सम्बन्ध में ८ आने की बात कही गई। अगर मेरे कान मुझे धोका नहीं दे रहे हैं, और दिमाग मुअत्तल हो, तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूं। ८ आने की बात मैंने कभी नहीं कही। श्रीमन्, लगान और मालगुजारी की छूट के लिये यह नियम है कि जिस समय नुकसान हो, फसल खेत में खड़ी हो, उस समय मालगुजारी विभाग के कर्मचारी हैं, लेखपाल से लेकर तहसीलदार और कलेक्टर तक, इतने सजग रहें, इतना उनका सम्पर्क रहे कि वे उसी समय यह सूचित करें कि इस कदर नुकसान हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि इन अभावग्रस्त क्षेत्रों से, इन ९ जिलों से बनारस और गोरखपुर डिवीजन के, कितनी रिपोर्टें लेखपालों ने और कानूनगो, तहसीलदार और डिप्टी साहबान ने कलेक्टर के पास या कमिश्नर के पास या सरकार के पास भेजी, मैं जानना चाहूंगा। रेमीशन्स की प्रोसीडिंग्स लोएस्ट स्टेज पर इनीशियेट होती हैं। लखनऊ के काउन्सिल हाउस से उसका हुक्म नहीं जाना चाहिये। यहां से मंजूरी जानी चाहिये। ज्यादा से ज्यादा यह जा सकता है कि ऐसे नुकसान की खबर आयी है तो रिपार्ट मांगी जाय कि कितना नुकसान हुआ है, और कितनी छूट दी जाय। ४ मई को यहां से हुक्म जारी हुआ कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में, केवल जहां बाढ़ आयी है, रबी की फसल में ४ आने की छूट दी जाय। क्यों? सरकार को यह सूचना मिली थी कि ८ आने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, केवल बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में। मान्यवर, मेरे कान और दिमाग दोनों अभी तक सही हैं, आज शाम को ५ बजे तक इस विवाद में हिस्सा ले लेने के लिये, अगर माल मंत्री जी को शुबहा हो तो मैं सिविल सर्जन का सर्टिफ़िकेट उनकी खिदमत में पेश कर सकता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सरकार ने ४ मई को यहां से हुक्म केवल बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिए निकाला। २१ दिन बाद, मई के आखिरी हफ्ते में दूसरा हुक्म निकला कि इस का यह मतलब नहीं है कि केवल बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में दें, और फिर सारे क्षेत्र में ६ आने की छूट हो गयी। मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह जानना चाहूंगा कि अगर इतने ही आंकड़े थे और इतना ही अच्छा इन्तजाम था तो २१ दिन के अन्दर क्या बात पैदा हुई कि चार आने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में, वह भी श्रीमन्, रियायत के तौर पर, आठ आने के नुकसान की छूट नहीं है, लेकिन यह तस्लीम किया गया कि चूंकि रेकरिंग कैलेमिटी है, खरीफ में वहां बाढ़ आयी थी, लिहाजा वहां छूट दे दिया, ऐन इनायत है, सिर आंखों पर है। लेकिन तीन हफ्ते के अन्दर क्या सूरत पैदा हो गयी कि वह ६आने सारी कमिश्नरी में कर दी गयी। यही नहीं, फिर चार साढ़े चार आने का सस्पेंशन भी किया गया। माननीय माल मन्त्री से मैं जानना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा उनके कदमों पर बैठकर कि किस कायदे के अनुसार, रेवेन्यू के किस नियम की तहत में पहिले चार आने फ्लडेड एरिया, फिर ६ आने सारे क्षेत्र में और फिर चार, साढ़े चार आने का सस्पेंशन भी किस हिसाब से किया गया। अगर कोई ऐसा कानून कायदा या प्रमाण नहीं मिले और अगर मैं बहुत अदब के साथ यह गुजारिश करूं कि यह जितनी रियायत छूट में या रेमिशन में या सस्पेंशन में की गयी, यह आर्बिट्रेरी है, किसी नियम के ऊपर आधारित नहीं है, मनमानी है, तो गलत नहीं होगा। सही कहने की तो मेरी उनके सामने जुर्रत नहीं है, लेकिन गलत नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न एक कमेटी के सुपुर्द हुआ है। जो कमेटी इस प्रदेश की सरकार ने बनायी है जिस सरकार ने कि वहां पर यह छूट की हुई है, वह तात्कालिक रिलीफ देने के लिए जो भी वह कमेटी चाहे, सजेस्ट कर सकती है .....

श्री चरण सिंह—जी नहीं, उस के सुपुर्द नहीं हुआ है। यह कैटेगारिकल स्टेटमेंट है।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैं माननीय माल मन्त्री के कैटेगारिकल स्टेटमेंट के मुकाबिले में, जो चीफ मिनिस्टर का लिखा हुआ ब्लैक ऐण्ड व्हाइट में मेरे सामने है, बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि, मानने से मजबूर हूं।

श्री चरण सिंह--पढ़ के सुना दिया जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह--(श्री नारायणदत्त तिवारी से) जाओ उसे ले आओ।

मैं मजबूरी जाहिर करता हूं, अफसोस है मुझे कि जब मैं मुख्य मन्त्री और माल मन्त्री दोनों में कोई फर्क पाता हूं और मुख्य मन्त्री का लिखा हुआ, काले अक्षरों में उनके दस्तखत हैं जिसको मैं पहचानता हूं, वह मेरे पास मौजूद है, कि उनकी बात का खयाल न करूं। यह उस कमेटी के सुपुर्द हुआ है और इसी अन्डरस्टैन्डिंग पर श्रीमन्, कम से कम इस खाकसार को उस कमेटी की मेम्बरी में रखा गया है। अगर यह नहीं है तो मेम्बरी से इस्तीफा, उसकी सदस्यता से। मैं खिलवाड़ नहीं चाहता हूं, कि मेरे साथ खिलवाड़ किया जाय और मैं यह भी साथ साथ नहीं पसन्द करता हूं कि मैं किसी के साथ खिलवाड़ करूं। यह प्रश्न उस कमेटी के सुपुर्द हुआ है कि इमीडियेट रिलीफ तात्कालिक सहायता जिसकी तशरीह मैंने की, श्रीमन्, चीफ मिनिस्टर साहब से, आज वह सरकार की तरफ से खत प्रकाशित होने वाला है, प्रेस को दिया जायगा कि उसमें सस्पेंशन ऐंड रेमिशन आफ रेवेन्यू का प्रश्न शामिल है। अगर माननीय माल मन्त्री बाखबर नहीं हैं, अपने मुहकमे से और अपने चीफ मिनिस्टर साहब के अहकामात से, तो उसका अपराध मेरे ऊपर नहीं है।

मुझे अफसोस है कि जो प्रश्न कल रात को एक कमेटी, जिस में अपर हाउस के कुछ मेम्बर भी हैं और जिसकी सदारत माननीय माल मन्त्री ने स्वीकार की उसके सुपुर्द हुआ है, अभी १२ घंटे भी, १४ घंटे भी नहीं गुजरने पाये कि उसके सम्बन्ध में एक दूसरी तस्वीर दिखायी पड़ी। मैं श्रीमन् के द्वारा इस आदरणीय सदन से और इस आदरणीय सदन के माननीय नेता सदन से और उनकी अनुपस्थिति में उपनेता सदन से यह निवेदन करूंगा कि यदि इसी प्रकार से और भ्रम से उस कमेटी का निर्माण करना था, तो जो हो गया सो हो गया लेकिन अच्छा यह होगा कि इस कमेटी को भंग कर दें। एक मसल है, श्रीमन्, तेरी मां ने खसम किया। उन्होंने कहा बहुत बुरा किया। करके छोड़ दिया तो और भी बुरा किया। लेकिन श्रीमन्, इस तरफ के बैठने वालों की कोई भी शिकायत नहीं होगी। यह मैं अपनी ओर से नहीं, बल्कि इस ओर के सभी बैठने वालों की ओर से कह रहा हूं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय चेयरमैन साहब, मां का खसम करना और छोड़ देना पार्लियामेंटरी है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता--यह अनहेपी फ्रेज है। इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह कहावत है, लेकिन अनहेपी फ्रेज है।

श्री त्रिलोकी सिंह--आप की आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन डाइवोर्स ऐक्ट के बाद यह जायज हो गया है। श्रीमन्, इस विषय को मैं अब यहीं छोड़ता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री से उसकी सफाई होगी, क्योंकि मैं मजबूर हूं कि उनके लिये की सफाई मांगू, यह गुस्ताखी करूं। उसके बाद इसका जिक्र इस सदन में, इस सदन के बाहर उस कमेटी में होगा।

अब बाढ़ के सिलसिले में मैं अर्ज करता हूं। बाढ़ की मिसिलें, अगर हर कलेक्टर के दफ्तर में पता लगाया जाय, मौजूद हैं और सबको मालूम है कि गंगा के बढ़ने से उन्नाव के जिले में कितने ऐसे मुवाजियात हैं जो डूब जायेंगे। राप्ती के बढ़ने से गोरखपुर शहर में फौरन पानी आ जायगा। गोमती के जरा भी बढ़ने से इटौंजा के पास ८ गांव हैं जो पानी में डूब जायेंगे। तीन जिलों का मुझे जाती तजुर्बा है, बावजूद इसके कि वहां अहलकारी करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, कि दफ्तरों में रेगुलर फाइल्स मेनटेन होती हैं। जब यह मालूम है कि फ्लड आते हैं तो केवल यह कहना कि ५ हजार रुपये का हमने इन्तजाम कर दिया काफी नहीं है। रुपये से काम नहीं बना करता। इस आदरणीय सदन के १ मील के अन्दर और माननीय मुख्य मन्त्री के मकान से आध मील के अन्दर एक जियामऊ गांव है जो आज आइलैन्ड बना हुआ है। यह कोई नयी बात नहीं है। जब लखनऊ में ५-७ दिन लगातार पानी गिरता है तो जिया-

[श्री त्रिलोक सिंह]

मऊ में आमदरफ्त का रास्ता बन्द हो जाता है। सवाल सिर्फ यह है कि केवल रुपये से काम नहीं चलता। केवल सजग होने से कि फ्लड आयेगा और तुम को कार्यवाही करना है इससे काम नहीं चलता। बल्कि डिटेल्ड इन्स्ट्रक्शन्स होने चाहिए और मैं माननीय माल मन्त्री से जानना चाहूंगा कि फ्लड के नुकसान से छुटकारा पाने के लिए क्या डिटेल्ड इन्स्ट्रक्शन्स उन्होंने इश्यू किये। एक किताब बांट दी। इससे कुछ पता नहीं चलता। जाहिर है कि कोई कान्फिडेंशल इन्स्ट्रक्शन्स नहीं हैं। बाढ़ आये तो तुम्हें क्या उपाय करने हैं, कौन कौन से रास्ते अख्तियार करने हैं यह बतलाया जाता। मगर ऐसा नहीं किया गया। एक कहावत है कि चिराग तले अंधियारा। तीन दिन तक जियामऊ गांव को नाव नहीं मिली। कल से नाव भेजी गयी है। हम क्या समझें कि बहुत अच्छा इन्तजाम है।

कैफियत यह है कि बलिया के सम्बन्ध में इसी आदरणीय सदन में कहा गया कि नदी की बाढ़ से रेल की पटरी का पुश्ता कट गया। एक रेल की पटरी का पुश्ता कट गया। दूसरी पटरी पर भी, जो आल्टरनेटिव रूट था, उस पर भी पानी पहुंचा और कटाव शुरू हो गया। लेकिन इसी सदन में कहा गया कि नहीं कटा। दूसरे साहब कहते हैं, नाम नहीं लूंगा, कि थोड़ा कटा। थोड़ा कटा या बहुत कटा, सवाल यह था कि उस कटाव से जो काश्तकार की आराजी थी, जो आबादियात थीं, उनमें पानी भरा या नहीं भरा? वहां सैलाब की कैफियत पैदा हुई या नहीं हुई और उस सैलाब की कैफियत से राहत पहुंचाने के लिए इस सरकार ने क्या इन्तजाम किया? क्या आज कोई शुबहा है या माननीय माल मन्त्री इस बात से मुनकिर हो सकते हैं कि वहां जब बांध कटा तो कुछ मवाजियात नहीं डूबे? हम जानना चाहते हैं कि वहां की बस्तियों को खाली कराने में, इवैकुएट कराने में, क्या उपाय किये गये। यह हमारा हक है और हम इसी लिए यहां बैठे हुए हैं, डरते नहीं हैं। काहे के लिए हम यहां हैं? इस सदन की सेवा करने के लिए इस प्रदेश की जनता ने हमें चुनकर भेजा है, किसी के रहम व करम पर हमारी हाजिरी नहीं है।

माननीय माल मन्त्री खुद ही कहते हैं और खुद ही हंसते हैं। मैं ऐसी महफिल की सोहबत में नहीं आया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या उपाय उन्होंने किया? कहीं कोई जिक्र नहीं है, भाषण हो गया। अल्मोड़ा जिले में एक नदी में बाढ़ आयी, छोटी सी नदी थी। वहां की आबादी कुछ बह गयी, काफी लोगों की जान जाया हुई। एक माननीय सदस्य से चुपके से कह रहे हैं दबी जबान से कि "४२ आदमी"। मैं जानना चाहता हूं कि जिनके घर बह गये, जिनकी जानें जाया गयीं, जिनके जाया होने से उनके घर में बेरोजगारी आ गयी, जिसका मर्द मरा, जिसका लड़का मरा, उनकी राहत के लिए सरकार की तरफ से क्या इन्तजाम किया गया? केवल कोरी बातें तो इस सदन में सुनने के लिए हम लोग नहीं आशा करते हैं। हम ऐक्शन्स चाहते हैं, केवल स्कीम्स नहीं चाहते, श्रीमन्। स्कीम्स का एक्जीक्युशन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने किया और अभी जो बाढ़ के इलाके हैं जहां इस बात का अन्देशा है कि शायद बाढ़ वहां आ जाय, कितनी नावें लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पर हैं, कितनी नावें उन्नाव के डिप्टी कलेक्टर के डिस्पोजल पर हैं? क्या वहां ऐसा इन्तजाम है कि अगर गंगा में बाढ़ आवे तो ऐसी व्यवस्था है फर्रुखाबाद, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर में कि एक जिले से बाढ़ चले तो वहां से दूसरे कलेक्टर के पास तार आवे कि गंगा में ६ फीट पानी बढ़ गया है, खतरा है? मान्यवर, बाढ़ आने से पहिले जो ऐसी नीची बस्तियां हैं, जिनके डूबने का अन्देशा है, उनको खाली करा देने में सरकार की खूबी है। पानी बढ़ जाने पर अगर खाली कराया तो मैं उसको खूबी का इन्तजाम नहीं मानता हूं। मैं श्रीमन्, आप से दरख्वास्त करूंगा, उप नेता सदन से दरख्वास्त करूंगा कि वह माननीय माल मन्त्री को इसका मौका दें और इसके लिए एक दिन और नियत करें, क्योंकि ४ घंटे, साढ़े तीन घंटे का इसके लिए समय था। १ १/२ घंटा तो उन्हीं के सिलसिले में चला गया और जवाबी तकरीर के लिए डेढ़ दो घंटे की जरूरत होगी। तो एक दिन और इस काम के लिए

नियत किया जाय, पूरे विवाद और डिटेल्स और तफसील के साथ, कि जहां ऐसे खतरे हो जाते हैं जिनकी मैं ने मिसाल पेश की है, उनके लिए पहले से क्या इन्तजाम किया गया। मैं श्रीमन् की इजाजत से इतनी फिर गुस्ताखी करता हूं कि बाढ़ आने के बाद अगर बस्ती को खाली कराया तो वह हमारे लिए संतोषजनक नहीं होगा, पानी आने से पहले अगर बस्ती खाली करायी है तो वह हमारे लिए सन्तोषजनक होगा। मैं यह जानना चाहूंगा माननीय माल मन्त्री से कि क्या उन्होंने उपाय किये हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय नेता सदन भी आ गये हैं। मैं आपके द्वारा उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई यह नहीं कि आज ही ५ बजे तक इसको समाप्त कर दिया जाय बल्कि इसके लिए एक दिन और नियत किया जाय ताकि उनकी बात सुन लेने के बाद कि उन्होंने क्या डेफिनिट आर्डर्स इश्यू किये हैं और कौन कौन से उपाय काम में लाने के लिए नियत किये हैं, इस सिलसिले में जो हमें अर्ज करना है करें। श्रीमन्, यह बाढ़ का प्रश्न है और जैसा कि नेता सदन ने स्वीकार किया इस पर विचार करने के लिए एक दिन नियत किया जाय। यह वाद-विवाद की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक दैवी आपत्ति है। यह इंसान की गलती से नहीं होती है। इंसान की गलती तो यह होती है कि बाढ़ के आने पर जो अहतियात और राहत पहुंचानी चाहिए उसमें गफलत या भूल हो। यहां यह कोई बात नहीं है कि फलां ने गलती की या ढिमाके ने गलती की, बल्कि आपके इन्स्ट्रक्शन्स क्या हैं उनको हम जानना चाहते हैं और इस सिलसिले में जो भी हमारी राय में कमियां होंगी, या तजवीज हम पेश करना चाहेंगे, वह पेश करेंगे। श्रीमन्, एक बात मैं निवेदन करूंगा कि इस पर कोई राय नहीं ली जायगी, वोट नहीं लिया जायगा। कोई अपोजीशन की बात नहीं है बल्कि जो स्कीम होगी, उस पर हम भी गुजारिश करेंगे और अपनी कुछ राय पेश करेंगे और इसलिए कि वह सुनी जाय और जो बात काबिले गौर हो उसको गौर करने के बाद अगर जरूरत समझें तो अपनी स्कीम में काट छांट करें।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, इसलिए नहीं कि आप ने मुझे समय दिया परन्तु आज मैं मुरादाबाद से इसी लिए आया हूं कि इसमें भाग लेकर अपने यहां की परिस्थिति सदन में रख दूं और इसका अवसर आप ने मुझे दिया। इससे पहले मैं एक दो बातें करूंगा जो विरोधी दल के नेता के भाषण के सुनने से मेरे मन में आयीं। वह नेता हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। एक बात उन्होंने यह कही कि पानी आने से पहले सूचना होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह जिलों में होता है मैं उस तहसील और जिले का रहने वाला हूं जहां कोई वर्ष नहीं जाता कि बाढ़ न आती हो। मैंने ढिंढोरा पीटते देखा है और पटवारी को देखा है कि वह जाकर सूचना देता है कि पानी आयेगा।

एक बात उन्होंने कही जिसको मैं समझ नहीं सका कि किस प्रकार से एक अनुभवी नेता ने कही कि पानी आने से पहले जगह खाली करा लें, तारीफ तब है। जब पानी आजाय तब खाली करायें तो क्या है? मैं तो यह कहूंगा कि यह एक व्यावहारिक कार्यकर्त्ता की बात नहीं है। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि अभी दो रोज की बात है, गांव वालों से कहा गया कि खतरा हो सकता है पानी आने का इसलिए जगह खाली करा दो, परन्तु एक भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने देखा है कि गंगा कट रही है, घर का एक कोना कट रहा है, हम खड़े हुए हैं, नाव हमारे पास है। हमने कहा कि चलो दूसरी जगह चलें। लेकिन वह लोग हैं कि शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो यह कह देना कि पानी आने से पहले खाली करा ली जाय, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी बात है जो व्यावहारिकता में नहीं आ सकती है और ऐसे बड़े नेता के लिए मैं ऐसे शब्द नहीं कहना चाहता हूं बल्कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं अपने जिले के बारे में आपके द्वारा सदन के सम्मुख परिस्थिति रखूंगा। मैं आज ही वहां से लौटा हूं। हमारे जिले मुरादाबाद में एक तहसील हसनपुर है। पिछली बाढ़ के अवसर पर भी उसका जिक्र हुआ था। अब तीन रोज से वहां की परिस्थिति विशेष है, जो मैं समझता हूं कि इस प्रान्त में ऐसी किसी और जगह नहीं है। हसनपुर

[श्री जगदीशप्रसाद]

तहसील में ४० मील तक लगातार गंगा बराबर बहती है और चार मील चौड़ी बेल्ट में हर साल सैलाब आया करता है। लेकिन इस साल एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि जहां सैलाब कभी नहीं आता था वहां सैलाब आ गया। गंगा के बराबर पांच मील चौड़े एरिया में बिलकुल सैलाब नहीं आया और उस पांच मील के बाद १७ मील तक के क्षेत्र में इतना बड़ा सैलाब आया है कि तीन रोज से लगातार पानी चल रहा है और वह पानी उत्तर से दक्षिण चल रहा है। मुरादाबाद से मेरठ जाने वाली नैशनल हाई-वे पर १२ मील तक सिवाय पुलियों के और कुछ नहीं दीखता है, सब पानी ही पानी है। अधिष्ठाता महोदय, मैंने इससे पहले इस चीज को माननीय माल मन्त्री, माननीय सिंचाई मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री के पास कई बार लिख कर भेजा है और उनसे बात भी की है और यह नहीं कि मुझे उससे असन्तोष है बल्कि कार्यवाही हो रही है। वहां की परिस्थिति यह है कि गंगा का किनारा उस तहसील के लेविल से ऊंचा हो गया है। साधारणतया होता यह है कि दरिया नीचा होता है और उसके बराबर की जमीन ऊंची होती है, लेकिन यहां परिस्थिति उल्टी है। मैंने गंगा के किनारे बहुत दूर-दूर तक घूम कर देखा है। जहां किनारे तक पानी आया वह तहसील की तरफ अन्दर को बहने लगता है।

दूसरी परिस्थिति वहां यह उत्पन्न हो गयी है कि ४-५ जगह गंगा इतनी कट गयी है कि जब उस में थोड़ा सा भी पानी बढ़ जाता है तो वह एकदम तहसील के अन्दर बहने लगता है। वैसे हर साल खादर में सैलाब आता था। वहां के लोग बाढ़ के अभ्यस्त थे और उनको तकावी हर साल दी जाती रही है। अब की बार बाढ़ भूड़ में आ गयी। वहां के निवासी बाढ़ के बिलकुल अभ्यस्त नहीं हैं। मैं कल भी वहां बैठा था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी थे और दूसरे सरकारी कर्मचारी भी थे। वहां जिला बिजनौर व मुरादाबाद की सीमा पर एक झील सलारा है जो इतनी बड़ी हो गयी है कि अब उससे तहसील में पानी आने लगा है। कदाचित गंगा कट कर उस में मिल गयी है। उसका नतीजा यह हुआ है कि जहां आपने तिगरी पर बांध बंधवाया है वहां पानी बहुत कम रह गया है और गंगा का पानी भूड़ में आ रहा है। वहां बाढ़ आ जाने से वहां के निवासी कहते हैं कि नीचे और ऊपर का पानी मिल जाता है। वहां कोई तांगा नहीं चल सकता, कोई और चीज चल नहीं सकती, घर अन्दर को बैठते हैं, जो जहां है वहीं रह जाता है। एक विकट परिस्थिति यह है कि एक रेलवे लाइन है और एक पी० डब्लू० डी० सड़क है पुलियां वहां कम हैं। अभी परसों रेलवे लाइन कट गयी। कुछ गांव वालों ने जब उनके गांव डूबने लगे तो रेल की पटरी को काटा। मगर वहां के इंजीनियर आ गये थे। उससे सारा यातायात बन्द हो गया था। मगर वहां के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके कल तक उसको ठीक कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, भूड़ की जमीन रेतीली होती है। उनके घर भी रेतीली मिट्टी के बने हुए हैं। मैंने ऐसे गांव देखे जिनमें शायद दो, तीन ही घर दीखते थे, और बाकी सब बैठ गये थे। मैंने अभी माननीय मन्त्री जी से पूछा कि क्या मुरादाबाद की सूचना नहीं आयी। आप ने कहा कि कोई सूचना नहीं आयी। चूंकि अभी कल परसों का ही वाकया है इसलिए नहीं आयी होगी। वहां से तकावी की मांग आती है, आप तकावी देते हैं, इसके सम्बन्ध में मुझे कोई शिकायत नहीं है। वहां से लगान माफी के लिए लिख कर आता है, आप लगान माफ कर देते हैं, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। वहां कुछ ग्रैचुइटस रिलीफ की जरूरत होगी, क्योंकि काफी आदमी ऐसे हैं जिनके पास खाने और पहिनने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं तो अधिक जोर इस बात पर दूंगा कि उस तहसील में जो सैलाब की समस्या है उसका स्थायी प्रबन्ध हो। जहां ड्रेनेज के प्रबन्ध की कमी होती है वहीं यह समस्या हुआ करती है। लेकिन मेरी तहसील में पानी निकलने के लिए प्रबन्ध तो है। वहां दो नदियां इतनी बड़ी-बड़ी हैं कि अगर बाहर का पानी न आने दिया जाय तो कितना ही पानी वहां बरसे, कुछ नहीं होगा। और वर्षा ज्यादा भी नहीं थी। वहां परसों केवल दो इंच वर्षा हुई थी, लेकिन लगातार पानी चल रहा है और मैं समझता हूं कि एक दो जगह का और यातायात बन्द हो गया होगा।

तो वहां की यह समस्या नहीं है कि वहां ड्रेनेज नहीं है, किन्तु वहां की समस्या यह है कि गंगा में जब पानी बढ़ता है तो वह उस तहसील में टूट पड़ता है और अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह उस तहसील में बहुत सा रुपया लगान-माफी, तकावी अथवा सहायता के रूप में न देकर किसी एक स्थायी योजना के अनुसार उसकी मदद करने की ओर ध्यान दे। इस प्रकार की मदद से ही वहां का कुछ भला हो सकता है।

वहां एक बंधा है जिला बदायूं में, जिसको वहां के एक हरी बाबा ने बनवाया था। वह बंधा सन् १९२३-२४ में बना था। वह अभी तक खड़ा है और इरिगेशन विभाग के मातहत है। वहां की सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि उसको मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाली लाइन से मिला दिया जाय। जितनी सहायता आप वहां देते हैं उससे कहीं ज्यादा आमदनी आपको उससे होगी। इसके बाद दूसरी आवश्यकता यह है कि गंगा, जो चार, पांच स्थानों से कट गयी है उसको बन्द कर दिया जाय। मैं सिंचाई मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में मिला था और उन्होंने कहा है कि वह इसके लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन मैंने इस अवसर का लाभ उठाकर इस बात को आप के सामने रखा। एक समस्या वहां नाव की है। यह बहुत छोटी समस्या है, किन्तु है। पिछले वर्ष वहां के लिए चार नावें स्वीकृत हुईं हसनपुर तहसील के लिए और वे नावें गंगा के लिए बनीं, लेकिन रामगंगा में डाल दी गयीं। अब सवाल यह हुआ कि वह गंगा में जायं कैसे? उनको स्थानीय अधिकारी नहीं ले जा सकते और कोई साधन भी नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि गंगा में डालने के लिए इस बार फिर नावें मंजूर की जायं और आवश्यकता तो इस बात की है कि वहां के लिए एक मोटर बोट मंजूर की जाय। वहां लगातार बाढ़ आती है इसलिए एक मोटर बोट का होना अत्यन्त आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय माल मंत्री और विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी के भाषण को उसी आदर और ध्यान के साथ सुना जिसके कि वह पात्र हैं, परन्तु मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि मुझे ऐसा लगा कि वह दोनों ही भाषण विषय के और वातावरण के अनुकूल नहीं हुये। मैं आशा करता था, कि बाढ़ नियंत्रण की समस्या किसी दलबन्दी की समस्या नहीं है, सरकारी पक्ष और विरोधी दल की समस्या नहीं है। वह एक पवित्र कार्य है, जिसे हम रामकाज भी कह सकते हैं और इस को हम दोनों पक्षों को एक दृष्टि से देखना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी समझता था कि कल रात को माननीय गेंदा सिंह जी, माननीय झारखंडे राय जी और माननीय सजीवन लाल जी की तपस्या और विवेकशीलता के फलस्वरूप तथा माननीय मुख्य मंत्री की उदारता और दूरदर्शिता के फलस्वरूप और विरोधी दल के नेता, माननीय त्रिलोकी सिंह जी के पवित्र प्रयत्नों के फलस्वरूप जो वातावरण कायम हुआ था, उसी वातावरण के अनुसार आज का विवाद सहयोग, शांति और सद्भावना के वातावरण में होना चाहिये था, लेकिन मैंने देखा कि वाद-विवाद उस स्थिति से हट कर वितंडा और कटुता के रूप में आ गया। विचार विमर्श की जो परिस्थिति होनी चाहिये थी वह इस समय हमारे सामने नहीं है। इसके विपरीत एक दूसरे की कमियों को देखने की, एक दूसरे पर आरोप लगाने की, एक दूसरे पर जिम्मेदारी ठोंकने का वातारण हो गया है। मैं समझता हूं, माननीय अधिष्ठाता जी, कि मुझे आप इस बात के लिये क्षमा करेंगे कि मैं इसीलिये बाढ़ नियंत्रण समस्या के सम्बन्ध में अधिक न कह कर, आपके द्वारा, जो इस समय वितंडा और कटुता की बाढ़ आ गई है, उसके नियंत्रण करने का प्रयत्न अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार इस सदन में करूं।

मेरा निवेदन यह है और मैं यह मानता हूं कि माल मंत्री जी ने अपने विषय के ज्ञान, अपने अध्ययन और अपनी परिश्रमशीलता का जो परिचय दिया इसके लिये वह प्रशंसा के पात्र हैं। मैं यह भी मानता हूं कि बाढ़ से पीड़ित और अभाव से पीड़ित और दुखी लोगों की सहायता के लिये उन्होंने और उनकी सरकार ने जो काम किया है वह सर्वथा सराहनीय है लेकिन मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाय कि वे इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि उनमें और

[श्री श्री कृष्ण दत्त पालीवाल]

विरोधी पक्ष में इस सम्बन्ध में काफी मतभेद है और गहरा मतभेद है। मतभेद दो बातों को लेकर है। एक तो यह कि स्थिति की गहनता और व्यापकता के सम्बन्ध में यानी हानि कितनी हुई है और स्थिति की व्यापकता कितनी गहरी है। दूसरा मतभेद इस बात के बारे में है कि जो सहायता और नियंत्रण का कार्य अभी तक किया गया है वह पर्याप्त है या नहीं। वह पूरी तरह से फलप्रद है या नहीं। इन दो बातों के बारे में दोनों पक्षों में मतभेद है।

मैं यह मानकर चलता हूं कि यह मतभेद ईमानदारी का हो सकता है। मैं अपनी बात रखने के लिये माननीय माल मंत्री जी को दोष नहीं देता किन्तु साथ ही उनसे यह आशा जरूर करता हूं कि विरोधी दल के मत को अगर वह सही नहीं समझते तो इतनी क्षमता उनमें सत्ता के आसन पर आसीन रहने के कारण होनी चाहिये कि उसकी बातों को वह आदर के साथ सुनें जो कि विरोधीदल का अधिकार है और सत्ताधारी दल का भी जिसे सुनने का कर्त्तव्य है। एक बात मैं कहूं कि यहां पर बार-बार ज्ञान की बात कही जाती है। इस सदन में मुझे कभी-कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं हम किसी कालेज की डिबेटिंग सोसायटी में बहस कर रहे हैं। उस बहस में यह कोशिश करते हैं कि अपना पांडित्य दिखावें और अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश करें। अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह कहने के लिये आप क्षमा करेंगे कि ऐसे गम्भीर विषय पर, और इतनी गहन समस्या पर केवल पांडित्य प्रदर्शन और केवल आंकड़ों के आधार पर, और ज्ञान और अध्ययन के आधार पर विचार नहीं हो सकता।

आंकड़ों के बारे में मैं कई बार कई बातें कह चुका हूं और आज भी एक बात विशेषकर माननीय माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं दलील के लिये यह मान लूं कि यह आंकड़े सही हैं लेकिन आंकड़ों के सही होने पर भी स्थिति की गहनता का भान नहीं हो सकता। खासकर माल मंत्री जी मुझ से अधिक इस बात को जानते हैं। वह इस बात को जानते हैं कि जिन पटवारियों को उन्होंने अपनी जगह से हटाया उनमें से एक पटवारी के आंकड़ों के बारे में देहाती क्षेत्र में जनता के बीच एक कहावत प्रचलित है। कहावत यह है कि एक पटवारी महोदय अपने परिवार को लेकर नदी पार कर रहे थे चाहे वह जमुना हो, गंगा हो या गोमती उसने हिसाब लगाया कि नदी में पानी कमर तक है ज्यादा नहीं है। औसत पानी कमर तक है यह उसने सोचा। उसके बाद अपने परिवार से कह दिया कि चलो नदी के पार। बीच में गड्ढा था। वहां पर पहुंचने पर सारा परिवार डूब गया। पटवारी महोदय हिसाब लगाने लगे। हिसाब पूरा निकला। लोगों ने उनसे उस नदी के किनारे खड़े-खड़े यह कहते सुना कि हिसाब ज्यों का त्यों, कुनबा डूबा क्यों। मैं यह मान भी लूं कि आपके आंकड़े सही हैं किन्तु हिसाब ज्यों का त्यों होने पर भी यह हो सकता है कि कुनबा डूब जाय।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हम केवल आंकड़ों की भाषा में बातें न करें, केवल आंकड़ों की दृष्टि से न देखें। थोड़ा सा यह भी मान लें। मैं फिर आपकी योग्यता पर, उनकी नीयत पर कोई हमला नहीं करता हूं। सब सरकारों के बारे में, मनुष्यमात्र के बारे में और अपने बारे में भी एक बात कहता हूं और इतना तो हो ही जाता है कि सत्ता पर बैठ कर सरकार के दृष्टिकोण में, चाहे वह कितनी ही जनप्रिय सरकार क्यों न हो, सरकार और जनता के दृष्टिकोण में अंतर हो ही जाता है, दृष्टिभेद तो हो ही जाता है सत्ता में जो आता है वह अधिकारियों की आंखों से देखता है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं मानव दुर्बलता की बात कहता हूं, और मैं तो ऐसा भी मानता हूं कि अगर मैं उनकी जगह होता तो संभवतः वही करता क्योंकि मैं भी मानव निर्बलताओं से परे नहीं हूं। तो इतना अन्तर तो हो ही जाता है इसलिये विरोधी पक्ष और सत्ताधारी दल दोनों की एक सी आवश्यकता इस जनतंत्र में है, जिसकी आप दुहाई देते हैं, विरोधी पक्ष जनता की आंखों से देखकर एक चीज आपके सामने रखता है और आप सरकारी आंकड़ों से देखते हैं। हो सकता है अपने दृष्टिकोण से दोनों ही सही हों किन्तु दूसरे पर आक्रमण करने की, आरोप लगाने की, आक्षेप लगाने की और नीयत पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं है,

बल्कि सत्ताधारी दल को जिसके हाथ में शासन का भार है, जिसके हाथ में जनता की सेवा का कार्य है, उसकी सूचना भी सही हो सकती है और विरोधीपक्ष की ओर से कही गयी बातों में कुछ अत्युक्ति भी हो सकती है। अत्युक्ति अवश्यम्भावी है क्योंकि विरोधीपक्ष के पास किसी गांव की, किसी जगह की जांच करके बिलकुल एक्यूरेसी के साथ स्थिति को जानने और पता लगाने का कोई साधन नहीं होता। जो वह अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुनता है, उसी की बात कहता है। वह फीलिंग्स (भावना) से काम लेता है और आप आंकड़ों से काम लेते हैं। आप यह भी मानें कि मस्तिष्क और हृदय के ईमानदारी से किये गये चिन्तन में विरोध हो सकता है, यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ मस्तिष्क ही सही है, अक्सर हृदय का चिन्तन भी अधिक सत्य होता है। किन्हीं परिस्थितियों में भावना से भी काम चलता है और मैं आपसे कहता हूं कि यह बाढ़ का प्रश्न ऐसा है, जनता के कष्टों का सवाल ऐसा है जिसमें हमें मानसिक चिन्तन के साथ भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा, हृदय से भी चिन्तन करना होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि हम आपस में आक्षेप करना और एक दूसरे के सामने पांडित्य प्रदर्शन करना, एक दूसरे की बातों को काटना छोड़कर, सच्चाई के साथ नम्रता के साथ यह सोचें कि हमारे सूबे की जो बिगड़ी हुई हालत है उसको किस प्रकार से सुधारा जाय, बाढ़ को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाय।

पहले तो मैं यह मानता हूं कि यह जो माननीय माल मंत्री जी की ओर से "उत्तर प्रदेश में बाढ़ तथा अभाव की स्थिति" पुस्तिका वितरण की गयी है, उसमें दोनों बातें हैं, इसलिये दोनों ही बातों पर विवाद हो सकता है। मैं यह भी मानता हूं कि बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिये तात्कालिक सहायता की आवश्यकता है। तो जब हम बाढ़ के नियंत्रण के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो सहायता सम्बन्धी कार्य उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिये मैं मानता हूं कि न तो माननीय माल मंत्री जी ने ग़लती की और न माननीय विरोधीदल के नेता ने ही गलती की। दोनों सही थे अपनी-अपनी जगह और दोनों की ओर से जो इस सदन में ऐतराज हुये, मैं उनको पसन्द नहीं करता।

तो अब मैं केवल इतना और कहना चाहता हूं खासतौर से माननीय मालमंत्री जी से और वह यह कि भाषण के सम्बन्ध में खासतौर पर एक सत्तारूढ़ और जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से एक बात तो होनी ही चाहिये—भाषण में दोनों बातें देखी जाती हैं, मैटर और मैनर आफ स्पीच, भाषण की सामग्री क्या है और भाषण का तरीका क्या है। माननीय माल मंत्री जी मुझे यह कहने के लिये क्षमा करें, मैं पहले प्रसंशा कर चुका हूं कि उनके भाषण में मैटर तो है लेकिन उनकी स्पीच का मैनर मुझे पसन्द नहीं आया। विवाद—कला का जनतंत्र में विरोधी पक्ष और सत्ताधारी पक्ष के होते हुये पहला सिद्धांत यह है—आपके लिये यह काफी नहीं है, किसी सत्ताधारी के लिये भी काफी नहीं है, मैं अपने लिये भी कहता हूं कि अगर मैं सत्ताधारी होऊं तो मेरी लिये भी काफी नहीं है यानी आपके लिये यह काफी नहीं है—कि आपके भाषण में अच्छा मैटर हो बल्कि उसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि आप अपने भाषण से और अपने कामों से अपने विरोधियों के हृदय को भी जीत लें, वह भी उतना ही आवश्यक है। मुझे कहने के लिये क्षमा किया जाय कि आपका वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आपने कनफ्यूसियस का उद्धरण दिया। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि चीन तो बहुत दूर है, मुझ जैसा आदमी तो कभी वहां गया भी नहीं है और न इस जीवन में देखने की आशा ही रखता हूं। मैं उनको नजदीक लाता हूं और मेरठ के ही नजदीक स्वामी रामतीर्थ हुये हैं उनकी बात का उद्धरण देता हूं। उन्होंने यह कहा है कि यदि आप किसी मनुष्य का समाधान करना चाहते हैं, अपनी बात उससे मनवाना चाहते हैं तो केवल तर्कों से या मस्तिष्क से काम नहीं चल सकता। पहले उसके हृदय में प्रवेश करो और उसके हृदय को जीतो, तब तुम्हारी बात उसके मस्तिष्क में आ सकती है, एक बात कह कर मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वामी रामतीर्थ ने जो पोलिटिकल आपोजीशन के लोग हैं, उनके सिलसिले में यह कहा था कि जब उन्होंने बकरी की तीन टांग कह दी तो उसको बकरी की तीन टांग कहते ही रहेंगे?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अधिष्ठाता जी, शायद मैं उनकी बात अच्छी तरह से सुन नहीं पाया। शायद उन्होंने पूछा है कि क्या स्वामी रामतीर्थ ने विरोधी पक्ष के संबंध में यह कहा था ?

श्री चरण सिंह--उन्होंने पोलिटिकल आपोनेंट के सम्बन्ध में तो ऐसा नहीं कहा था ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--श्रीमन्, यह तर्क की बात है और यह दोनों के ऊपर लागू होता है ।

एक बात मैं अन्त में फिर कहना चाहता हूं और वह यह कि यह कोई कनफ्यूसियस की बात नहीं है बल्कि अपने देश की संस्कृति और सभ्यता की बात है। एक कहावत है कि फलों से लदी हुई डाली झुकती है, जिनके हाथ में सत्ता हो उनको झुकना चाहिये। संस्कृत की बात न कह कर मैं हिन्दी के ही एक कवि ने ही बहुत अच्छी बात कही है, जिसे सुनाना चाहता हूं--"क्षमा बड़न को चाहिये, छोटन को उत्पात" यह साफ बात है और जाहिर है कि जिनके हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता न होने के कारण वैसे भी जनतंत्र में दोनों बातें मानी गयी हैं, विवाद और विवाद मे कटुता और आक्षेप का अधिकार विरोधी दल को इसलिये है कि वह माइनारिटी में है। अधिष्ठाता महोदय, जनतंत्र में यह जो मैजारिटी और माइनारिटी का सिद्धांत माना गया है वह एक तरह से बड़ा विचित्र है। ४३१ सदस्य इस सदन में हैं और अगर २१५ सदस्य इस तरफ हों और २१६ सदस्य उस तरफ हों तो जनतंत्र की लाजिक (तर्कणा) यह है कि २१६ को २१५ के ऊपर अपना मत लादने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर मानव बुद्धि और विवेक की मूर्खता की बात कोई नहीं हो सकती। २१५ से यह आशा करना कि २१६ का गिरोह अन्याय करे और वह न सत्याग्रह करें, न अनशन करें और न क्रांति करें तो यह तो एक ऐसी आशा करना है जैसे एक दूसरी कहावत है कि हम दूसरों से ही कहते हैं--एक स्त्री ने अपने पति से कहा कि तुम मुझ से हीं सीता बनने को कहते हो या तुम भी राम बनोगे। यह चीज आप विरोधी दल से और अल्पमत से ही कहते हो कि विरोध के लिये विरोध न करो और उसी से कहते हो कि जनतंत्र में अनशन और सत्याग्रह से काम न लो। इसके सम्बन्ध में मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह दूं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय पालीवाल जी, आप बाढ़ के सम्बन्ध में ही बोलें तो अच्छा हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जो भाषण माननीय माल मंत्री जी और नेता विरोधी दल के हुए हैं उनके सम्बन्ध में जो बातें कही गयी हैं उन पर बोलने का मुझे अधिकार है। यह आप भी मानेंगे और यह प्रक्रिया नियमावली के सर्वथा अनुकूल है कि मैं उनकी दलीलों के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करूं लेकिन यदि यह आपकी व्यवस्था हो कि यह चीज नियम के विपरीत है तो मैं बैठ जाऊंगा नहीं तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के अनुसार हमारा यह अधिकार है कि हम उनके भाषणों की दलीलों पर अपना मत यहां प्रकट करें . . .

श्री अधिष्ठाता--यह विषय बाढ़ का है, और तो आप काफी बोल चुके हैं, अब बाढ़ के सम्बन्ध मे भी आप कहें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ तो मैं कह चुका हूं और समय अगर होगा तो कुछ और कह लूंगा। अभी एक बात आई थी उसे फिर आपके सामने रख दूं, मैं उसकी आलोचना नहीं करता लेकिन अभी माननीय माल मंत्री महोदय करीब डेढ़ घंटा बोले, मैं नहीं कहता कि उनको नहीं बोलना चाहिये था, वह चाहते तो २ घंटे भी बोल सकते थे। मैं इधर और उधर की बात नहीं करता लेकिन वाद विवाद के एक दिन में करीब ४ घंटे का समय रहता है, तो उसमें से डेढ़ घंटा तो मंत्री जी अपने पहले भाषण में ले गये और कम से कम आधा घंटा वह अपने आखिरी जवाब में भी ले लेंगे तो इस तरह से ४ घंटे में से २ घंटे तो वही ले गये ।

श्री अधिष्ठाता—आपके लिये भी समय निर्धारित नहीं है, आप भी जितना चाहें बोलें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अधिष्ठाता महोदय, अगर मैं बाढ़ नियंत्रण के ही विषय पर बोलना शुरू करूं और यहां पर उसी विषय पर अपना पांडित्य प्रदर्शन करना शुरू कर दूं तो बिना प्रक्रिया नियमावली के नियमों का उल्लंघन किये हुये ४ घंटे तक बोल सकता हूं। लेकिन मैं अब अधिक बोलना नहीं चाहता हूं, मैं तो केवल वादविवाद के स्तर को उठाने के लिये और यहां के वातावरण को ठीक करने के लिये आपसे यह आशा करता हूं कि दो एक मिनट में जो कुछ मुझे कहना है उसे कहने की आज्ञा देंगे।

तो मैं यह कह रहा था कि उनको सोचना चाहिये कि सत्याग्रह और अनशन के बारे में हमारा मत क्या है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वह अनशन को अनैतिक समझते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री की विद्वता को मानता हूं लेकिन जनतन्त्र में हमें भी अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है और हम अगर सन्त विनोबा भावे और महात्मा गांधी की अनुमति के सामने उनकी राय न मानें तो वह कोई शिकायत की बात नहीं होनी चाहिये। सन्त विनोबा भावे और महात्मा गांधी अनशन के बारे में जो राय रखते हैं उसको हम मानते हैं और हमें क्षमा किया जाय, हम माननीय मुख्य मंत्री से सहमत नहीं हैं। साथ ही मैं तो इस बात को अवश्य मानता हूं कि इन अनशन और सत्याग्रह के हथियारों का इस्तेमाल आमतौर से न होना चाहिये। जब तक हम अपने तमाम वैध उपायों, डेमोक्रैटिक प्रोटेस्ट के तरीकों को एग्जहास्ट न कर लें, तब तक उन हथियारों का इस्तेमाल हम अपने हल्केपन से करेंगे तो उन हथियारों को हम खुद ही कुन्द कर देंगे। अगर शासन के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में या सेक्रेटेरियट रिआर्गेनाइजेशन के बारे में कोई राय माननीय मुख्य मंत्री जी की हो तो मैं उस को मान सकता हूं लेकिन सत्याग्रह और अनशन के बारे में सन्त विनोबा और महात्मा गांधी की जो राय है उसके मुकाबिले में मैं उनकी राय को नहीं मान सकता। और यह कि विरोधी दल केवल विरोध के लिये विरोध न करे, मैं मानता हूं कि ऐसा न करें। लेकिन एक बात पूछ लूं कि सत्ताधारी दल की तरफ सत्ता का समर्थन करने के लिये समर्थन करना क्या उतना ही बुरा या उतना ही अच्छा नहीं है, जितना विरोधी दल के लिये केवल विरोध के लिये विरोध करना उतना ही बुरा है? तो जैसा कि मैंने कहा—मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मेरी तरफ से गलती नहीं है, केवल मैं ही गलती नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूं कि आप की तरफ से भी गलती होती है और जैसा कि मैंने कहा-सत्ता पर आरूढ़ होने की वजह से आपकी अधिक जिम्मेदारी है। मैं गलती करूं तो करूं। आप कम से कम इस बात की कोशिश करें कि आप मुझसे कम गलती करें। मुझसे ज्यादा गलती न करें। केवल इतना निवेदन मेरा आप से है।

तो असली चीज जो है वह तो यह है कि यह बाढ़ नियंत्रण का वादविवाद जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा, यह भाषणों के बाद समाप्त हो जायगा। न कोई वोट लिया जाने वाला है न कोई निर्णय होने वाला है। तो मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिये मैं इसको अधिक महत्व नहीं देता हूं जितना इसको कि जो इस वक्त पीड़ित हैं उनकी सेवा के लिये कुछ किया जाय। इसीलिये जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, मैं अन्त में भी कहता हूं, हम इस वादविवाद को छोड़ कर, जो सर्वदलीय समिति बनायी गयी है, मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्य मंत्री से और माननीय माल मंत्री से भी कि उस समिति की बैठक शीघ्र से शीघ्र बुलायें। इतना और निवेदन कर दूं कि अगर प्रोसीजरल रीजन्स की वजह से उसके बुलाने में एक दो दिन की देर हो तो वह लगे, अगर जरूरी हो। लेकिन उस हालत में भी जो पवित्र कार्य, सहायता के कार्य करने हैं, उनमें से जितने कार्य वह समझते हैं कि होने चाहिये और माने जाने चाहिये, वह समिति की बैठक के पहले से आज और कल से जारी कर दें। उदाहरण के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय माल मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इस बारे में समिति में कोई मतभेद नहीं होगा कि जो मालगुजारी और

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

लगान अभी वसूल नहीं हुआ है उसकी वसूली को स्टे कर (रोक) दिया जाय। माफी का सवाल नहीं है। स्टे करने का आदेश दिया जाय। मेरा नम्र निवेदन तो यह होगा कि आज नहीं तो कल अवश्य यह आदेश चला जाना चाहिये। उसके बाद आगे चलकर अगर आप समझें कि कुछ केसेज में मालगुजारी रियलाइज (वसूल) करनी चाहिये तो जैसा आप उचित समझें करें। लेकिन इस तरह की फौरी कार्यवाही समिति की बैठक से पहले ही हो जानी चाहिये। इसमें देर नहीं लगनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह जो आज इस सदन में उत्तर प्रदेश में बाढ़ तथा अभाव की स्थिति पर विवाद चल रहा है, उसमें मैं भी अपने कुछ विचारों को प्रकट करना ठीक समझता हूं।

इस प्रदेश में बाढ़ और अभाव की परिस्थिति से कोई नहीं इनकार कर सकता। १९५२ से इधर तीन चार सालों से इस प्रदेश में, विशेषकर प्रदेश के पूर्वी अंचल में और कुछ पहाड़ी प्रान्तों में भी प्राकृतिक भयावह कारणों से खतरनाक नदियों के बहाव की वजह से और पहाड़ी नदियों की तीव्र धारा के प्रवाह की वजह से यह मानी हुई बात है कि इस प्रदेश की भूमि की, इस प्रदेश की खेती की, इस प्रदेश की जो और आर्थिक समस्याएं हैं उनकी काफी क्षति हुई है। इसमें चाहे इधर के सम्मानित सदस्य हों, या उधर के सम्मानित सदस्य हों, उनमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। अभी अभी, इसके बारे में बाढ़ और अभाव की स्थिति पर जो लम्बा वादविवाद हुआ उसको मैं नहीं बढ़ाना चाहता। इसलिये कि मैंने साफ-साफ बतला दिया कि यह तो हमारे प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय माल मंत्री या सदन के सम्मानित सदस्य जो हैं वह मानते हैं कि अभाव है और जोरों का अभाव है। इसमें हमें यह देखना है कि इस प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिये, प्रदेश के मजदूरों के लिये, प्रदेश के रहने वालों के लिये क्या किया है, इस तरफ मैं अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब दो तीन साल से पानी का बहाव, बाढ़ का प्रकोप इस प्रदेश में चल रहा हो तो क्या प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश की जनता की सेवा की है या नहीं? ईमानदारी से कहना पड़ता है और हमें दो, तीन सालों के आंकड़ों पर जाना पड़ता है, तो उससे मालूम होता है कि कुछ न कुछ सहायता जिस रूप में होनी चाहिये थी, हुई। अभी पारसाल जब बाढ़ आयी और उससे पहले भी जब आयी तो जंगलों को किसानों के मवेशियों के चरने के लिये सुरक्षित कर दिया गया। तकावी आदि दी गई, बाढ़ पीड़ितों के लिये मुफ्त गल्ला भी दिया गया, मकान के लिए सहायता दी गयी, लगान में भी छूट दी गयी और इतना ही नहीं, नदियों के कटाव को नियंत्रित करने के लिये प्रदेश की सरकार की योजना भी चल रही है कि जो पहाड़ी नदियां वेग के साथ आती हैं और प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों को बरबाद करती हैं उनके लिये क्या किया जाय। सवाल तो यह है कि यह एक बड़ी भारी मुसीबत है, दैवी प्रकोप है, इस पर आज हमारे बड़े-बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर्स रिसर्च कर रहे हैं। यह कार्य इतना आसान नहीं है कि जो साल दो साल के अन्दर इन नदियों के तीव्रतर कटाव और प्रवाह को इतनी जल्दी ठीक किया जा सके। इसके लिये कोई भी सरकार हो, जो उस सरकार की सीमा है, उसके अनुसार इस सरकार ने ध्यान दिया है और तेजी के साथ उन कार्यवाहियों में जुटी हुई है। मैं सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रकृति के इतने बड़े और खतरनाक रवैये पर विजय पाना मनुष्य के लिये साधारण चीज नहीं है। बात में और कार्य करने में बड़ा अन्तर होता है।

मैं तो आज माननीय त्रिलोकी सिंह की बात सुन करके दंग रह गया। मैं तो चाहता था कि इस प्रदेश में जहां जहां नदियों का कटाव चल रहा है, बरबादी चल रही है, मुसीबतें हैं, अभाव है उनके बारे में सुन्दर से सुन्दर और अच्छे से अच्छे सुझाव वह सरकार को देंगे ताकि सरकार जितनी जल्दी हो सके पीड़ित जनता को आराम पहुंचा सकती। लेकिन

मेरी वह आशा पूरी न हुई। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि वे उच्चकोटि के विद्वान हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। इसलिये जैसी हमें उनसे आशा थी वह पूरी नहीं हुई।

अभी मैं आपको बतलाऊं उन्होंने उन्नाव के कुछ हिस्से का हवाला दिया। मैं छितौनी की वह कहानी बताना चाहता हूं जो बड़ी गंडक के कारण हुई। जब पारसाल सैलाब आया था, नदी की वह तेज धारा छितौनी और खड्डा की रेलवे लाइन को ग्रसित करके मालूम होता था कि पूरे पडरौना को ग्रसित करके सरयू में मिलेगी और हजारों गावों को उससे खतरा पैदा हो गया था। मैंने देखा माननीय कमलापति त्रिपाठी जी, और प्रदेश के अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स वहां पहुंचे और वहां मैंने प्रकृति और मनुष्य के युद्ध को देखा। मैं वहां मौजूद था, माननीय गेंदासिंह जी भी थे और महीनों तक लगातार सैकड़ों मालगाड़ियां वहां सामान लेकर गयीं, बड़े-बड़े जंगलों को काटा गया, इंजीनियर्स ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। रेलवे की आधी लाइन कट चुकी थी, एक लाइन बाकी थी। एक अंग्रेज इंजीनियर वहां पहुंचा तो मैंने उससे कहा कि पता लगायें यहां कितना पानी है, तो वहां लाइन के नीचे २३ हाथ पानी था। तो ऐसा मालूम होता था कि पडरौना का वह इलाका और लाइन के उस पार का इलाका नहीं रहेगा। सारी रात वहां पर वर्क हुआ। यह बात के० एम० पी० पी० के भाई जानते हैं, पी० एस० पी० के भाई जानते हैं, समाजवादी भाई जानते हैं। कौन इससे, इनकार कर सकता है? मैं साफ-साफ कहता हूं। मैंने उस नदी के उमड़ते हुये प्रवाह को भी देखा है, और आज उस छितौनी बन्धे को भी देखा है। कितने सुन्दर बन्धे का निर्माण कर दिया गया है? आज वह नदी की धारा जिसने हिमालय पहाड़ को तोड़ा है आज उसका कुछ और ही रूप हो गया है। हजारों एकड़ की उससे रक्षा की गई है और यह इस गवर्नमेंट ने नहीं किया है तो किसने किया है? हमारे सम्मानित सदस्य माननीय गेंदासिंह जी हैं, उनके क्षेत्र में बड़ी गंडक क्रास करती है, आज वहां भी लाखों रुपये की योजना चल रही है। कई लाख की स्वीकृति हो चुकी है। यह इस प्रदेश की सरकार ने नहीं किया तो किसने किया? माननीय गेंदासिंह जी के ही क्षेत्र में कई लाख रुपया इस सरकार ने गांवों की पटाई में खर्च किया। इस सदन के विरोधी पक्ष के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप वहां चलें और चल कर के देखें, सैकड़ों गांव पाट कर के ऊंचे बनाये गये हैं। क्या यह इस प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है? इसलिये जहां पर जो काम खराब होता है वह तो सरकार के मत्थे जाता है और जो अच्छा होता है वह हमारे भाइयों के मत्थे जाता है। यह कुछ समझ में नहीं आता। इसलिये वस्तुस्थिति जो है, सही स्थिति क्या है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिये।

मैं कहता हूं कि नदियों के कटाव की वजह से, उनकी प्रवाहित धारा की वजह से पूर्वी जनपदों और पश्चिमी जनपदों का काफी नुक्सान हुआ है, अन्न की हालत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है और इस में हम हों या माननीय गेंदासिंह जी हों या माननीय नेता अपोजीशन हों, कोई भी हो, दो राये नहीं हैं। लेकिन आप समझते हैं कि आप फास्ट करके या और कोई तरीका इस्तेमाल करके सरकार का ध्यान दिलायेंगे। लेकिन किसका आप ध्यान दिलायेंगे? सरकार किसको आपने समझा? जो आप हैं वही सरकार है। कभी आप भी सरकार हो सकते हैं, यह सौभाग्य आप को भी हो सकता है। जितनी अच्छी से अच्छी कमेटियां बनी हुई हैं सब में आप रखे जाते हैं, जो आप सुझाव देते हैं, सरकार उसको मानती है। तो जो आप यह कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाती, या हमारे सुझाव नहीं माने जाते या हमारी बतलायी हुयी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो मुझे ताज्जुब होता है कि हमको और आपको कम से कम सोचना चाहिये और विचारना चाहिये और देखना चाहिये कि वाकई प्रदेश की सरकार अभावग्रस्त जिलों के लिये, पूर्वी जनपदों के लिये और पश्चमी जनपदों के लिये, बाढ़ के इलाकों के लिये क्या कर रही है। मैं यह जानता हूं कि सरकार ने जो भी सहायता की है उसमें सरकारी कर्मचारियों को जिस मुस्तैदी के साथ, जिस दिलेरी के साथ और जिस बहादुरी के साथ सहायता करनी चाहिये थी उतनी उन्होंने नहीं की है और इस से जनता की

[श्री राजदेव उपाध्याय]

मुसीबत बढ़ी है । मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सरकार चेते और इस पर सोचे । लेकिन यह प्रजातन्त्र की सरकार है । आपने अगर कोई तरीका अनशन का या और कोई तरीका अपनाया तो किस पर अनशन करना चाहते हैं ? जो हम हैं वही आप हैं । जितना दर्द इस प्रदेश के गरीब किसानों के लिये, मजदूरों के लिये आप को है उससे कम हमारे हृदय में नहीं है या यहां बैठने वाले किसी सम्मानित सदस्य के हृदय में नहीं है । अगर आप को अपने सत्याग्रह का, त्याग का, अपने जेल जाने का अभिमान है और यदि यह अभिमान है । कि हम फर्स्ट क्लास के हैं तो फर्स्ट क्लास से भी ऊंचे इधर के माननीय सदस्य बैठे हैं , यह मैं आप को बताना चाहता हूं ? किसी से कम नहीं हैं । अगर आपको प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालत की चिन्ता है तो प्रदेश की सरकार जो है, डाक्टर सम्पूर्णानन्द की सरकार जो है, और सम्मानित सदस्य जो इन बेंचों पर बैठे हुये हैं उनको भी उनको उतनी ही चिन्ता है । इसलिये अपोजीशन बेंच के सम्मानित सदस्यो, मैं आप का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं चाहे आप इधर बैठें हों चाहे उधर बैठे हों, आज अगर वाकई बाढ़ की वजह से भयावह हालत है, खराब हालत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं साफ-साफ बतलाना चाहता हूं कि अन्न की हालत पिछले दिन तीन चार सालों से खराब चली आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सस्ते गल्ले की दुकानें खोलकर के सरकार ने बड़ा भारी काम किया है । यह सही है कि जितना अभाव रहा है उतना इन्तजाम सरकार नहीं कर सकी और मैं यह कहता हूं कि जितना यह सरकार कर रही है उसके बदले अगर आप होते तो शायद नहीं कर पाते, मेरा यह दावा है । मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं । जितना यह सरकार कर रही है, यही कुछ कम नहीं कर रही है ।

हां, अगर कहीं कमी व अभावग्रस्त स्थिति है तो उसके लिये आप और हम दोनों मिल कर ऐसा रास्ता निकालें जिससे प्रदेश की हालत दुरुस्त हो सके और विकास की तरफ प्रदेश प्रगति कर सके और जो नदियां खतरनाक रूप में बह रही हैं, उनकी धाराओं के नियंत्रण के लिये , उनके कटाव को रोकने के लिये, उनके वेग को कम करने के लिये हमें और आप को मिलकर सम्मिलित रास्ता ढूंढना चाहिये जिससे कटाव की समस्या हल हो । जमीन जो किसानों की कट रही है यह समस्या आज से नहीं, पिछले ७-८ वर्षों से चल रही है । कभी पश्चिमी जिलों में, कभी-कभी पहाड़ी जिलों में, और कभी पूर्वी जिलों में कटाव होता है । उसे हमें और आपको दूर करना है और इस समस्या पर गंभीरता से सोचना है कि आज जो इस प्रकार की हालत है उन पर कोई वैज्ञानिक रिसर्च करके ऐसा तरीका निकाला जाय और दो तीन साल के अन्दर पूरे तौर से इस मसले को प्रदेशीय सरकार को हल कर देना चाहिये । जो लाखों किसान निरीह और निस्सहाय होते हैं , जिनकी रोजी, रोटी नदियों क कटाव से चली जाती है उनकी इस समस्या को हमें हल करना है । इसलिये मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि भावना में न बह कर , कटुता का वातावरण न पैदा करके हमको और आपको मिल करके इन खतरनाक नदियों के कटाव और प्रकृति के प्रकोपों को रोकने के लिये ऐसा तरीका निकालना है जिससे उन पर विजय पा सकें । ठंडे दिल से हमको इस समस्या पर सोचना और विचारना है जिससे बाढ़ का संकट, आपत्ति और मुसीबत जो है उसे रोका जा सके ।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे एक किस्सा याद आता है । जब कोई गलत काम होता है तो सरकार के मत्थे मढ़ दिया जाता है और बढ़िया चीज कोई होती है तो उधर के भाई उसका श्रेय लेते हैं । एक मतवाला बैल एक बैलगाड़ी खींचे लिये जा रहा था । उस बैलगाड़ी पर सामान लदा हुआ था । उस गाड़ी के नीचे एक दुबली पतली कुतिया बंधी हुई थी । दुबली पतली कुतिया यह सोचती थी कि इस गाड़ी को सारे साजो सामान के साथ मैं खींच रही हूं हालांकि खींचता था बैल । इसीलिये मैं, अधिष्ठाता महोदय, आप से कहता हूं कि चीजें कुछ और होती हैं और समझा उनको कुछ और जाता है ।

इसलिये मैं साफ-साफ और नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमें और आपको मिलकर ईमानदारी के साथ एक जगह बैठ कर सोचना पड़ेगा, तरीका निकालना पड़ेगा तभी प्रकृति के इन प्रकोपों और इन खतरनाक नदियों पर विजय पा सकेंगे, वरना आलोचना करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। मैं इस प्रदेश की सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कोई सहायता नहीं पहुंच पायी है वहां तत्कालिक सहायता पहुंचायी जाय।

दूसरी चीज मैं बीज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसका भी बाढ़ से बड़ा सम्बन्ध है। भादों का महीना खत्म होने वाला है। रबी की फसल के लिये अगर किसान के पास बीज का इन्तजाम नहीं हुआ और बीज नहीं बोया गया तो बड़ा भारी संकट हमारे सामने आने वाला है और उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिये प्रदेशीय सरकार और खास कर माल विभाग के एक्सपर्ट, माननीय चरणसिंह जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बीज को तकावी में दिया जाय। गेहूं का बीज हो, चाहे जिस रूप में हो। इस प्रदेश के किसानों को काफी तादाद में बीज मिलना चाहिये। प्रकृति के प्रकोप के कारण जो कुछ किसानों के पास बीज बचा था वह सारा का सारा बीज किसानों ने खा डाला। उनके पास मुठी भर बीज बोने को नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि प्रदेश से संकट दूर हो, हम चाहते हैं कि प्रदेश से भुखमरी दूर हो, हम चाहते हैं कि किसानों की हालत ठीक हो तो मैं माननीय माल मंत्री से कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके बीज और तकावी का इन्तजाम होना चाहिये। ऐसा भी होता है कि बीज के अभाव में किसान का खेत पड़ा रहता है और लाखों एकड़ ऐसा ही पड़ा रहता है और ठीक टाइम से बीज नहीं मिल पाता, तो मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि एक महीने में इस प्रदेश में पूर्वी आंचल में रबी की बुआई शुरू होगी और १० रोज पहले किसानों को बीज मिलना चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि जो सज्जन भाषण करते हैं उनके भाषण का समय निर्धारित कर दिया जाय। साधारणतया प्रत्येक माननीय सदस्य को १० मिनट का समय हो, लेकिन विशेष परिस्थिति में, जैसे माननीय नारायणदत्त तिवारी ने ऐडजर्नमेंट मोशन रखा था, उनको विशेष समय दिया जाय।

श्री ट्रीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---मेरा सुझाव यह है कि १० मिनट हम लोगों के लिये, जिनको किसानों ने चुन कर भेजा है, उनको दिया जाय और उन्हें भी सबको १० मिनट का दिया जाय। क्योंकि हम भी यहां रहते हैं, हमारा नम्बर ही नहीं आता है। इसलिय हर एक को १० मिनट का समय मिले।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव में एक सुझाव देना चाहता हूं कि अब तक समय का तो लिमिटेशन नहीं किया गया था और बोलने वाले भी ज्यादा हैं, इसलिये अच्छा यह होगा कि अन्य अन्य दलों के नेताओं को कम से कम २० मिनट और अन्य सदस्यों को जो बोलना चाहें उनको १० मिनट और १५ मिनट तक आपकी इच्छा पर हो। साथ ही २ घंटे या ३ घंटे जितना भी आवश्यक हो, समय बढ़ाकर अच्छा हो कि आज यह वाद-विवाद लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---आपने कोई कांक्रीट प्रपोजल नहीं रखा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैंने यह रखा था कि जो १० मिनट का सुझाव है उसमें यह संशोधन कर दिया जाय कि अन्य अन्य नेताओं को २० मिनट और साधारण सदस्यों को १५ मिनट दिया जाय।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---मैं यह चाहता था कि विरोधी दल के नेताओं को आध आध घंटा और अन्य सदस्यों को २०-२० मिनट का समय दिया जाय और जब तक सभी सदस्य बोल न लें तब तक यह हाउस बैठा रहे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है जैसा कि अभी एक सम्मानित सदस्य ने प्रस्ताव किया है उसको देखते हुए आज का कार्य ५ बजे तक चले और फिर सोमवार को सारे दिन इस पर वाद-विवाद रखा जाय ताकि सभी सम्मानित सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाय। जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों से आये हैं उनको मौका नहीं मिला है कि वह कुछ बोल सकें। १२० मील लम्बी शारदा नदी हमारे ही जिले में है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---मेरा प्रस्ताव यह है कि यदि माननीय नेता सदन एक दिन का मौका न देना चाहें तो आज ३ घंटे इस सदन की बैठक को और बढ़ा लिया जाय।

एक सदस्य---मेरा सुझाव यह है कि आज अगर यह बहस खत्म न हो सके तो कल भी जारी रहे।

श्री अधिष्ठाता---मैं यह निर्णय देता हूं कि १० मिनट तो माननीय सदस्य बोलें और जो विभिन्न लीडर हैं वह १५ मिनट बोलें, उसके अतिरिक्त ५ मिनट तक और ज्यादा समय दिया जा सकता है। वैसे साधारण तौर से १० मिनट और १५ मिनट का समय रहेगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि बैठक का समय बढ़ा दिया जाय, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं ...

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)---अभी थोड़ी देर पहले माननीय नेता सदन से मैंने बात चीत की थी क्योंकि हमारे विरोधी दल के नेता ने कहलाया था कि अगर एक दिन बढ़ जाय तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम सदन का समय आज दो घंटे बढ़ा दिया जाय तो वह बात मान ली गई थी और यह बात दोनों पक्षों के बीच में तय हो गई है। इसलिये मेरे ख्याल में इसी को मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि एक दिन बढ़ जाय।

श्री बलदेव सिंह---श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि तीन घंटे बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---माननीय बलदेव सिंह जी, यह निर्णय हो चुका है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ेगा।

*श्री टीकाराम पुजारी---अधिष्ठाता महोदय, मेरा १५-२० दिन बाद बोलने का मौका आता है। मैं कोई किसी से वैसे अल्फाज नहीं कहूंगा। एक चीज मैं कहूंगा और वह माननीय है और वह कौन सी है? वह है कि हम सब मिल कर एक रास्ते पर चलें जो सत्य का हो, ईमानदारी का हो। जिसमें असत्य हो, वहां से हम हट जायं और सत्य पर अड़ जायं। वह चीज आपके सामने पहुंचने वाली है। जो छठी क्लास तक सरकार ने फीस माफ की है और आठवीं क्लास तक करने जा रही है, उसका विरोध तो विरोधी दल के नेता के हाथ में है। जो सरकार किसानों का अहित करेगी उसकी जिम्मेदारी विरोधी दल की है और सरकार जो किसानों का हित करेगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार की आज यह हालत है कि "कड़ वे-कड़वे तुम्हारे और मीठे हमारे।" यह एक चीज आज बन गयी है। एक बार राधा जी ने कृष्ण जी को एक फूल दिखाया और उसका नाम पूछा। उस फूल को तूमरी या तूमा कहते हैं। कृष्ण जी बड़ी परेशानी में पड़े। अगर वह कहते हैं तू मरी तो राधा जी मरी जाती हैं और यदि कहते हैं कि तूमा तो राधा जी मां बनी जाती हैं। ऐसी ही हालत आज हमारी सरकार की है कि जो घटती होती है तो वह हम घटाते हैं और बढ़ती होती है तो सरकार बढ़ाती है, ऐसा समय आ गया है।

(इस समय ४ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पुनः पीठासीन हुए।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आज बाढ़ के ऊपर बहस चल रही है। यह नहीं है कि यह पूर्वी जिलों की या पश्चिमी जिलों की है। इससे मेरे कहने का मतलब यह है कि यह तो प्रान्तव्यापी चीज है। हमारे यहां पश्चिमी जिलों में दो मुसीबतें आई हुई हैं जिनका जिक्र नहीं आया है। पश्चिमी जिलों में एक तो बाढ़ आया करती है और दूसरी गर्की आती है। यह दोनों चीजें पश्चिमी जिलों में लगी हुई हैं। जैसे नदियों में बाढ़ है, जमुना की बाढ़ है, गंगा की बाढ़ है, काली नदी की बाढ़ है और हिंडन नदी की बाढ़ है और दूसरी गर्की है। सदन में गर्की की बात नहीं आई है। जब गर्की होती है, तो मकान गिर जाते हैं, घरबार खत्म हो जाते हैं और सुबह पड़ोसी को उसके दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, इसको गर्की कहा करते हैं जो हमारे पश्चिमी जिलों में हो रही है। इसके बारे में श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि पश्चिमी जिलों में बाढ़ और गर्की दो चीजें हैं। जब गर्की होती है तो एक एक मील तक फसल खराब हो जाती है। जब पानी निकल जाता है और जब बादल खुल जाते हैं तो सूर्य-नारायण की किरणें पड़ती हैं तो चारा सब बरबाद हो जाता है और वह मवेशियों के खाने के काबिल नहीं रहता है। मवेशियों को उस चारे को खिलाया जाय तो मवेशी खत्म हो जाते हैं। यह दो बीमारियां पश्चिमी जिलों में लगी हुई हैं। श्रीमन्, मेरी तो यही पुरानी चीज है जो हम कहा करते थे--

काजी थे जो पाजी हो गये,
पाजी हो गये काजी।
जिन घर नहीं सूप चालनी,
तिन घर नौबत बाजी।।

श्रीमन्, हम तो पुरानी चीज कह रहे हैं, कांग्रेस में सन् ३० में कहा करते थे, सन् ३२ में कहा करते थे। हम वही पुजारी टीकाराम हैं :--

यदि न सुराज की बहेगी गंग भारत मां,
दुःख, दुन्द, फंद गरीबों के कट जायंगे,
सबको मकान होगा, मौसम के मिलेंगे फल,
चोरों और डाकुओं के नाम मिट जायंगे,
अनिवार्य शिक्षा होगी, बच्चों को मिलेगा दूध,
सब को वजीफा होगा, बुड्ढे सुख पायेंगे,
जान और माल की हिफाजत को पुलिस होगी,
छुआछूत वाले सब अड्डे टूट जायेंगे,
मालूम हमको न था कि मिलेगी आजादी,
ये काले काय गोरेन के काका बन जायेंगे।

श्रीमन्, मैं पश्चिमी जिलों की दो बीमारियों, बाढ़ और गर्की की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब बदपरहेज होता है तो रोगी नहीं बचता है। हमारी सरकार को कभी-कभी बात पच जाती है तो उसे अपने खानदान का खयाल होता है। तब कहती है कि समाजवाद का निर्माण होगा। जब बात नहीं पचती है तो टाटा, डालमिया, बिड़ला, हीराचन्द ऐसे लोगों की याद आती है।

खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है,
मैं हर फरके से बचता हूं पर कयामत आ ही जाती है।।

राजसत्ता होती है, जहां राजलक्ष्मी होती है। महाभारत में कर्ण पांडवों को छोड़ कर राजसत्ता की तरफ चले गये। भीष्म पितामह भाइयों और बेटों को छोड़ कर दुर्योधन की तरफ चले गये। सभी चले गये, सिर्फ पांडव रह गये। लेकिन आखिर में विजय पांडवों की ही हुई और कौरवों को मुंह की खानी पड़ी। सन् ६२ में यह सरकार न रहेगी, किसान और मजदूर इस गद्दी पर कब्जा करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है।

श्री केशव पांडेय---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस विषय पर इस आदरणीय सदन के अन्दर चर्चा शुरू हुई है उसको मैं सुबह से ही ध्यान से सुन रहा हूं। माननीय माल मंत्री जी ने बाढ़ नियंत्रण और अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये जितनी कुछ तरतीब से बातें हो सकती हैं उनको सुनाया। उसके बीच में दूसरी ओर से भी कुछ बातें सुनने को मिला करती थीं। सम्भवतः उनको यह पता चलता था कि यह बात असंगत कही जाती है। लेकिन अब इस समय पर पहुंचकर दोनों तरफ के वे माननीय सदस्य जो बीच बीच में कुछ बोल दिया करते थे समझ गये होंगे कि आज की बात में क्या संगत है और क्या असंगत है। मैं सुन रहा था कि इस प्रान्त में बाढ़ आती है और सरकार उसका प्रबन्ध किया करती है। क्या उसको करना चाहिये, मेरा यह ख्याल था कि आज ये सुझाव अच्छे ढंग से इस आदरणीय सदन के अन्दर मिलेंगे। मैं बीमार हूं, आज मैं आता तो नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिये आया कि आज मुझे कुछ सुनने को मिलेगा और उस नेता से सुनने को मिलेगा जो इस आदरणीय सदन में विरोधी पक्ष के नेता बताये गये हैं। मान्यवर, मुझे सुनने के बाद यह निराशा हुई कि अब तो बाढ़ नियंत्रण के लिये, यहां के इंजीनियर्स जिस प्रकार टूटे-फूटे तरीके से काम करते आये हैं उसमें ही हमें बाढ़ वालों की व्यवस्था करनी होगी। मैं उस जिले का निवासी हूं और उस जिले का प्रतिनिधि हूं जहां घाघरा, बड़ी गंडक, छोटी गंडक, राप्ती, आमी गोआनो, आदि अनेक नदियां हैं और हर वर्ष हमारे यहां की जमीन और फसल उनसे बरबाद होती रहती है और उसमें हम अपने अल्प साधनों के साथ, जो सहायता अपने पास से हो सकती है, जो सहायता सरकार के पास से हो सकती है, लेकर, उन लोगों के पास पहुंचते हैं और उनकी सहायता करते हैं। माननीय नेता ने बताया किसी गांव का नाम उन्होंने लिया, वहां पर वह गांव पानी से घिरा हुआ है। उनकी सूचना मुझे कुछ ऐसी लग रही थी कि यदि सरकार की ओर से १०, १५ दिन पहले ही कुछ व्यवस्था हुई होती तो शायद पानी वहां नहीं पहुंचता, या वहां के आदमी वह सूचना पाकर इतनी दूर चले जाते कि जहां उन पर पानी न पड़ता। यह बात सुनकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने शायद बाढ़-ग्रस्त इलाके के लोगों को देखा या जाना नहीं है।

मेरे हल्के में राप्ती नदी बहती है, उसका नाम किसी जमाने में इरावती था, लेकिन वह इतनी कष्टकर है कि हमने उसका नाम चांडालवती रखा है। उसने किनारे के अनेक आबाद गांवों को काट दिया है। एक गांव की जमीन दूसरे गांव में चली जाती है और मेरे इस कितनी ही शिकायतें हैं कि वह जमीन उसी गांव के लोगों को नहीं मिल सकती। हम लोग उन गांवों में बाढ़ के पहले, बाढ़ के समय और बाद में जाते हैं और कहते हैं कि आपको बसने के लिये दूसरी जमीन मिल सकती है, आप वहां चलिय, इस जगह से हट जाइये, यहां आपको रहने से बड़ा कष्ट होगा और बहुत सारे साधन जुटाने पड़ेंगे और हम आपकी पूरी तकलीफ दूर नहीं कर सकते, लेकिन वह हमारी बात को कतई नहीं समझते। खीरी-लखीमपुर या और दूसरी-दूसरी जगहों में, जहां सरकार ने ऐसे बाढ़-ग्रस्त लोगों या भूमिहीनों को जमीन देने का प्रबन्ध कर रखा है, जिनके लिये कि इस सदन में अनेक तरह की बातें उठाई जाती हैं, ऐसे लोगों को बसाने की, जमीन देने की व्यवस्था है, किन्तु लोग अपनी जगह से हटना नहीं चाहते। मैं माननीय नेता विरोधीदल से निहायत अदब से कहूंगा कि अगर आपके पास कोई जादू मन्तर हो और उसके जरिये आप उन लोगों को समझा सकें तो मैं नम्रता के साथ आपके चरणों में सिर झुकाऊंगा अथवा आप अपने उस जादू मन्तर से हमारे यहां की जमीन को यदि कुछ खींच-खांच कर बढ़ा सकें जिसमें हम साढ़े २२ लाख आदमी खेती कर सकें तो भी मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा, लेकिन यह दोनों कार्य मेरी समझ में न उनकी ओर से संभव हो सकते हैं और न माल मंत्री की ओर से। इस ओर हमें और आपको विचार करना है। किस प्रकार बाढ़ का नियंत्रण हो सकता है, कैसे हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं, इसको हमें सोचना है। एक मिसाल मैं दूं। गत वर्ष दो बार लगातार घाघरा नदी में बड़ी भयानक बाढ़ आई और राप्ती में भी बाढ़ आ गई और मैंने उस समय के सिंचाई मंत्री माननीय पं० कमलापति त्रिपाठी जी से आग्रह किया कि किसी समय बाढ़ के टाइम पर आप उस क्षेत्र को देखिये कि कितने दायरे में पानी फैलता है, किस तरह से लोग वहां रहते हैं और उनके लिये क्या उपाय हो सकते हैं। उन्होंने अपने इंजीनियर्स के साथ हवाई जहाज से

तथा मोटर बोट से जाकर देखा और बहुत सोचने विचारने के बाद एक सुझाव यह निकाला कि उस एरिया में यह किया जा सकता है कि उनके गांवों को कुछ ऊंचा किया जाय ताकि उनके घरों में पानी न हले और जब तक पानी घेरे रहता है तबतक के लिये उनकी कुछ रक्षा इस प्रकार हो सकती है। लाखों रुपया इसके लिये खर्च हुआ। लाखों आदमियों ने इस उपाय से त्राण पाया और कई हजार आदमी इस काम से मजदूरी पाते रहे। क्या यह बाढ़ नियंत्रण और उससे ग्रसित लोगों की सहायता नहीं कही जा सकती? यह सहायता कही जा सकती है और इसको आपको मान लेना चाहिये। इसको न मानने का मतलब यह होगा कि जिस प्रकार बाढ़ आने पर लोग इधर-उधर तितर बितर हो जाते हैं और त्राहि-त्राहि करने लगते हैं उसी प्रकार जिस दिन यहां बाढ़ पर बहस आरम्भ होती है उस दिन बोलने वालों की बाढ़ सी आती है, लेकिन काम उससे नहीं चलता। काम तो काम करने से चल सकता है।

घाघरा नदी को पंडित जी को दिखलाया गया और इंजीनियर्स से विचार करने के बाद यह विचार हुआ कि यदि इस घाघरा से कोई गांव कटता है और इसके बीच आइलैण्ड बनता है, तो उस आइलैण्ड के बीच घाघरा को ड्रेन किया जाय और इसके दोनों किनारों पर ऊंचे ठोकर बनाये जायं तो इस प्रकार के कोई उपाय सोचे जा सकते हैं। इंजीनियरों ने सोचा और उनके दिमाग में एक नक्शा आया कि अयोध्या से छपरा तक घाघरा को ड्रेन करने के लिये ठोकर बनायी जायं। इतनी दूरी पर २०० ठोकर बन सकती हैं और एक ठोकर पर २, ढाई लाख रुपया खर्च होगा। तो इस २०, २२ करोड़ रुपये को देने के लिये उपाय कहां से निकाल सकते हैं? यही हालत राप्ती की थी। उसके किनारे एक गांव घुघुनकोठा है जहां पर ३५, ३६ घर हर वर्ष गिरते रहते थे। पिछले साल और पहले भी हमने उन लोगों से अनुरोध किया कि वहां डोमिनाग के टीले पर बसिये जो वहीं पर है। हमने यह भी कहा कि आज बाढ़ के जमाने में भी और सूखे के जमाने में भी उस टीले पर उनका जीवन सुख से चल सकता है लेकिन वह वहां से हटने के लिये तैयार नहीं हैं। हमने उन इंजीनियरों से अनुरोध किया कि ऐसा उपाय करने की जरूरत है जिससे वहां ठोकर बन जाय और लोगों का बचाव हो सके लेकिन जब मैंने ठोकर बनाने में उनसे लम्बी रकम को सुना और यह भी सुना कि हमारी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होगा तो सिवाय इसके कि उस स्कीम से सहमत न रहूं और कोई बात समझ में नहीं आयी। जितने भी माननीय सदस्य यहां पर हैं जिनको जनता पर बड़ा भरोसा है उनसे जनता आज बड़ी आशा लगाये हुए है लेकिन सिवाय इस उपाय के कि हम सब कुम्भज ऋषि हो जायं और क्या कर सकते हैं। रुपया कहां से आवे? टैक्स लगा नहीं सकते, कोई लेवी लगा नहीं सकते, कहीं से रुपया मिल नहीं सकता तो फिर क्या उपाय हो सकता है? तो यही उपाय हो सकता है कि हम सब मिल कर कुम्भज ऋषि हो जायं और उस नदी के पानी को पी जायं, लेकिन यह सम्भव नहीं है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हम इस ओर कुछ कदम उठावें। मेरा यह सुझाव है कि वह जलकुंडी की योजना जिसके बारे में माननीय सिंचाई मंत्री ने बताया था और हमारे इंजीनियरों ने सोचकर बताया था कि राप्ती के मुहाने पर एक योजना बन सकती है, उसको बनाया जाय। उसके पानी को वहां पर रोका जा सकता है। करीब-करीब ३/४ राप्ती का पानी उसके ऊपर की तरफ रिजर्व हो सकता है। बाकी १/४ पानी नीचे आयेगा। उस पर बांध लगाया जा सकता है लेकिन अगर यह बांध वहां पर नहीं बन सका और नेपाल सरकार ने अपनी जमीन पर बांध बनने की इजाजत नहीं दी तब इंजीनियरों का सुझाव था कि नदी के दोनों किनारों पर ८ फर्लांग तक बांध बना दिये जायं। मुझे मालूम हुआ कि ८ फर्लांग तक अगर बांध बन जाय तो कुछ बचाव हो सकता है वरना जो वहां पर गांव और जंगल है उसका बचाव नहीं हो सकता है। यह सारी बातें मुझे मालूम हैं। इस पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो गंगा कमीशन वहां पर बना था उनसे कहा गया कि कुछ रुपया वहां से मिल जाय तो यह नियंत्रण हो सकता है लेकिन वहां पर यह सुना गया कि २० लाख एकड़ जमीन उस बाढ़ के नियंत्रण में आयेगी। अगर ५ रुपये फी एकड़ के हिसाब से लेवी लगा तो जितनी जमीन पर बाढ़ के नियंत्रण की योजना है उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना रुपया लगेगा। तब फिर हमारे पास जो संकुचित साधन रह जाते हैं और जो उपाय हो सकते हैं वह यही कि लोगों की

[श्री केशव पांडेय]

हिम्मत को बढ़ाया जाय। उनके कामों को बल देकर उनका उत्साह बढ़ायें तो अच्छाई हो सकती है। हम चिल्लाते रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है। बाढ़ और कछार में रहने वाले लोग तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर घाघरा और राप्ती की नाव में बैठे आदमी चलते हों और इत्तफाक से नाव डूब जाय तो डूबने वाले आदमियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिये। मेरा खयाल है कि अगर एक आदमी भी कहता रहे कि हम इस नदी को पार कर ले जावेंगे तो कोई डूब नहीं सकता है। इसलिये हम लोगों को एकमत से काम करने की जरूरत है। सरकार ने जो सहायता की है उसकी प्रशंसा करनी चाहिये और कमी के बारे में एकमत से सुझाव देने चाहिए।

*राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े ध्यान से आज दोनों पक्षों के वाद-विवाद को सुनता रहा। माननीय माल मंत्री ने बड़ी गम्भीरता के साथ और आंकड़ों से युक्त बाढ़ के नियंत्रण की दृष्टि से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि सरकार बाढ़-नियंत्रण के लिये जो प्रयास कर रही है और जिस स्थिति में आज यह सरकार है उस स्थिति में कोई दूसरी सरकार कर नहीं सकती थी। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह विवाद का प्रश्न है और मैं इसमें नहीं जाऊंगा। परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि अतिवृष्टि से, प्रकृति के कोप से, प्रान्त के भिन्न-भिन्न भागों में, चाहे वह पूर्वांचल हो, हिमांचल हो या पश्चिमांचल हो, लोगों को बचाने के लिये सरकार ने कोई लांग रेन्ज योजना बनाई है क्या? ऐसी कोई योजना हमें सुनने को नहीं मिली।

बाढ़ आना बड़ा स्वाभाविक है। इसी प्रान्त या देश में नहीं, बाढ़ें सब देशों में आती हैं और वहां के लोग उनका प्रकोप कम करने के लिए लांग रेंज पालिसी की बात सोचते हैं। अमरीका में कैनीसिली और कोलारोडो अथारिटीज इसी दृष्टि से चल रही है कि बाढ़ का कोई परमानेंट साल्यूशन हो और अपने देश में दामोदर अथारिटी भी इसी दृष्टि से है। तो क्या हम भी इस दृष्टि से कोई योजना नहीं रख सकते हैं? यह बड़े दुःख की बात है कि हर वर्ष बाढ़ आती है और हमारे पहले वर्ष के किये सब प्रयत्न अगले वर्ष के लिये काम नहीं आ सकते हैं। कहने के लिये यह बड़ा सुन्दर होगा कि हमारे घाव लगे हैं और उस पर हम पुल्टिस बांध रहे हैं या पेनीसिलीन के इंजेक्शन्स लगा रहे हैं। लेकिन उस घाव से आगे के लिये बचने का क्या उपाय है? जौनपुर शहर में थोड़ी सी वर्षा से ही बाढ़ का रूप हो जाता है। मैं कल ही वहां था, और वहां अतिवृष्टि हुई और उसके परिणामस्वरूप उसके उपनगर में या जिसे शहर से लगा ही कहना चाहिये, वहां जल आ गया। अगर आज थोड़ी सी और वर्षा हो गई हो तो सम्भव है कि नगर के अन्दर भी जल आ जावे। जैसे इतिहास में वर्षों पूर्व, मैं तो कहूंगा कि ४०० वर्ष पूर्व, या इससे भी पहले, इसी गोमती नदी को जौनपुर के चारों ओर दो हिस्सों में उस समय के शासनकर्ताओं ने बांट रखा था और चैनल बना कर शहर को बाढ़ से बचा रखा था, जिसके भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। तो क्यों नहीं आज सरकार लाखों रुपया लगा कर उस चैनल को फिर से चालू करके और बांध निर्माण करके इस आपत्ति से बचाने का प्रयास करती? यह डेवलपमेंट के आधार पर हो सकता था। अगर आज उस चैनल को बना कर गोमती के पानी को दो हिस्सों में बांट दिया जाय तो जौनपुर से ३ मील पर एक वाटर रिजरवायर बन सकता है और हाइडल के द्वारा बिजली निर्माण की जा सकती है। यह बिजली आसपास के जिलों में देकर लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--इसका सारा सर्वे गत वर्षों में हो चुका है और उसका तखमीना भी बनाया जा चुका है। सोचा गया कि गोमती का लेविल बहुत ऊंचा गया है, तो बादशाही पुल को चौड़ा करना है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो सारी रिपोर्ट देख सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं इस बात पर आ ही रहा था। आप क्यों नहीं ड्रेजिंग कराते हैं? उससे लेबिल भी गहरा होगा और दोनों किनारे भी ऊंचे होंगे। अगर रुपये का अभाव है तो डेवलपमेंट की दृष्टि से यह किया जा सकता है। हो सकता है कि हमारे साधनों से ज्यादा रुपये की उस पर जरूरत हो और उसके कारण हम कहें कि इसे पीछे रख दें। तो क्यों न हम उन साधनों को पाने का प्रयास करें। हम जौनपुर के लिये ही नहीं, अपने सारे पूर्वांचल के लिये इस तरह से विचार कर सकते हैं।

दूसरी समस्या रिहैबिलिटेशन की है। बाढ़ से फसलें तो नष्ट हो ही जाती हैं, गांव के गांव और घर भी नष्ट हो जाते हैं। गोरखपुर और देवरिया में कई स्थानों पर जब मैं मई के महीने में गया तो देखा कि जिनके पिछली बाढ़ में घर नष्ट हो गये थे उनका पूर्णरूपेण रिहैबिलिटेशन नहीं हो सका था। पिछली बाढ़ से धक्का खाये हुये थे और दूसरी बाढ़ उनके सिर पर थी। इसके उपाय के लिये मुझे तो कुछ भी इस पुस्तिका में देखने को नहीं मिला। बाढ़ों से बचने के लिये गांवों का लेबिल ऊंचा किया गया। कुछ घर गिर गये होंगे उनको आपने मिट्टी डाल कर ऊंचा कराया। लेकिन जो बच गये उनको भी ऊंचा किया गया है? जो हमारे उन गांवों में कुएं मौजूद थे क्या उन कुओं को भी ऊंचा किया जा सका? इस विलेज लेविल रेंजिंग से परिणाम क्या हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि जो मकान बच गये थे, पूरी तरह से गिरे नहीं थे और कुएं नीचे रह गये और अब ऊंचे स्थानों से पानी वह आकर रुकता है। मैं कैसे कहूं कि हमारे इतने बड़े मंत्री महोदय सही नहीं कह रहे हैं लेकिन अगर वे मेरे साथ चल कर देखें तो मैं उनको दिखा सकता हूं। जो किनारे के गांवों को ऊंचा करने का प्रयास किया है वह उस बालू से ही ऊंचे कर दिये गये हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से इस काम की देख रेख होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई।

हो सकता है विलेज लेविल रेंजिंग की भावना सही हो लेकिन उस भावना पर जिस प्रकार से एक्जीक्यूशन हुआ है उसको देखने की आवश्यकता है। एक्जीक्यूशन के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं। योजना अच्छी हो सकती है, विचार भी शुद्ध है लेकिन जो उसका एक्जीक्यूशन होता है उसको देखने की अत्यन्त आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट भी आ जाती है कि काम हो गया लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। श्रीमन्, मैं इस समय नाम लेना उचित नहीं समझता हूं और न आज मैं उन स्थानों का ही नाम लूंगा लेकिन जौनपुर और गाजीपुर में ऐसे गांव हैं जिनमें रिपोर्ट के अनुसार विलेज लेविल रेंजिंग हो गया है लेकिन वास्तविकता कुछ दूसरी ही है। तो आवश्कता इस बात की है कि हम एक्जीक्यूशन को ठीक प्रकार से देखें।

हम लोगों को कहा जाता है कि १४००–१५०० सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दी गयी हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ-साथ इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि क्या इन दूकानों से गल्ला उन लोगों को मिल रहा है जिनके लिये यह दूकानें खोली गयी हैं? मैं स्वयं जानता हूं कि जौनपुर से भदोही को गल्ला जाकर ब्लैक मार्केटिंग होती है। श्रीमन्, ब्लैक मार्केटिंग वहां इन चीप ग्रेन शाप्स के कारण से ही होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, यदि माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो बता भी दूंगा। एक गांव में तीन नाम से एक ही आदमी ने तीन दूकानें ले रखी हैं। एक अपने नाम है, एक अपने भाई के नाम जो कलकत्ते में रहता है और एक अपने लड़के के नाम जो कि माइनर है, ५ वर्ष का है। इसका क्या अर्थ है? हम और आप यहां बैठकर कुछ भी बातें करें, मैं यह मानता हूं कि आपकी भावनायें और विचार शुद्ध हैं लेकिन वहां जो प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, जो गांव के आदमी देखते हैं, उससे लोगों की भावना बिगड़ती है, आस्था डिगती है। इसलिये श्रीमन्, एक्जीक्यूशन को देखने की अत्यन्त आवश्यकता है। श्रीमन्, मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जौनपुर शहर में थोक गल्ला बिकता है लेकिन उस बाजार में चीप ग्रेन शाप रिटेल की खुली हुई हैं। इस थोक के बाजार में रिटेल शाप रखने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि उससे ब्लैक मार्केटिंग होती है। माननीय मंत्री महोदय ने आकड़े दिये कि काशी से १९ लाख मन धान बाहर गया और ७ लाख

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

मन सूबे में दूसरे स्थानों को गया। पत्थर फरवरी और मार्च में गिरे थे और फसल नष्ट हुई थी। उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि शायद अप्रैल और मई में उनके पास रिपोर्ट भी आ गयी थी कि वहां पर फसल नष्ट हुई है। मान लीजिये कि रिपोर्ट नहीं आयी तो अखबारों में तो हल्ला हो गया था कि पत्थर गिरा है और फसलें नष्ट हुई हैं। तो श्रीमन्, जब मालूम था कि फसलें नष्ट हुई हैं और वहां स्वयं गल्ले की काफी कमी है तो फिर बाहर एक्सपोर्ट की आज्ञा क्यों दी गयी। यह इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता कि वह सरप्लस था। एक मिनट के लिये मान लें कि वह सरप्लस था तो भी जिस रीजन का माननीय मंत्री जी ने वर्णन किया वह डेफिसिट एरिया है, वहां १७–२० परसेंट से भी कम उपज हुई है और जब उपज कम हुई है और प्रकृति का इतना प्रकोप उस एरिया में है तो फिर गल्ले को बाहर जाने देने के बारे में मैं क्या कहूं? क्या श्रीमन्, यह अन्दाज नहीं लगाया जा सकता था कि इस क्षेत्र में गल्ले की आवश्यकता हो सकती है? यह तो स्वाभाविक रूप से अन्दाज लग सकता था और स्वाभाविक अन्दाज लगाने से पहले प्रथम कदम यह होना चाहिये था इस शासन का कि उस गल्ले को बाहर न जाने दे। श्रीमन्, मैं गल्ला बाहर जाने देने की बात को कोई प्रशंसा की बात नहीं मानता हूं। मैं तो समझता हूं कि गल्ला बाहर जाने देना यह एक अदूरदर्शिता का प्रमाण है।

श्रीमन्, माननीय माल मंत्री जी ने पोस्ट आफिस से आंकड़े मंगा कर हम लोगों को बतलाया कि इतने मनीआर्डर बाहर गये। गये होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, परन्तु उन्होंने यह नहीं बतलाया कि कितने मनीआर्डर बाहर से आये। बाहर से आने वाले मनीआर्डर्स की संख्या मालूम होती तो स्पष्ट हो जाता कि कितने लोग इस जिले से बाहर गये हैं। जहां तक जौनपुर की बात है, वह डेफिसिट जिला है और अगर वहां के लोग बाम्बे, कलकत्ता आदि स्थानों में बाहर जाकर न कमायें और मनीआर्डर न भेजें तो अपना लैन्ड रेवेन्यू पे करने की क्षमता भी उस जिले में नहीं है। जब लोग बाहर से मनीआर्डर भेजते हैं तभी वहां का काम चलता है। माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहिये था कि आखिर कितने मनीआर्डर १० रु० के थे, कितने १०० रु० के थे। इसको अलग-अलग बतलाते तो बात कुछ समझ में आ सकती थी।

श्री चरण सिंह—हर किस्म की रकम है। २ रुपये के भी मनीआर्डर हैं और २ हजार रुपये के भी मनीआर्डर हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, जहां तक काशी की बात है, वहां बड़ी संख्या में रईस लोग रहते हैं इतना ही नहीं बल्कि वे बाहर के लोगों को कर्जा भी दिया करते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है यदि रईसों की नगरी से मनीआर्डर बाहर गये। एक मेरे मित्र कह रहे थे कि ड्राफ्ट भेजते हैं, मैं कैसे कहूं, शायद उनको पुरानी महाजनी पद्धति का पता नहीं है। श्रीमन्, यह जो आंकड़े बतलाये गये हैं, उनसे यह पता नहीं चलता कि मनीआर्डर की संख्या देहातों से कितनी है और नगरों से कितनी है . . . .

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता जी, मैं आपकी इजाजत से एक बात अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—बाद में आप कह दें।

श्री चरण सिंह—इजाजत हो तो इसी वक्त कह दूं।

श्री अधिष्ठाता—कह दीजिये।

श्री चरण सिंह—देवरिया जिले में साढ़े ३ प्रतिशत शहर के लोग हैं, और साढ़े ९६ प्रतिशत देहात के लोग हैं। यानी किसी जगह पर ९५ प्रतिशत है किसी जगह ९६ प्रतिशत रूरल एरिया में है, मैं बनारस को छोड़ देता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—बनारस को छोड़ दीजिये, उसको जाने दीजिये, वह तो भगवान विश्वनाथ की नगरी है जो तीन लोक से न्यारी है, उसे छोड़ दीजिये, लेकिन जहां तक साढ़े ३ प्रतिशत के मनीआर्डर का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहिये कि इतना परसेंट मनीआर्डर नगर से गया और इतना परसेंट देहातों से गया। परन्तु माननीय मंत्री जी ने उसके आंकड़े सदन के सामने नहीं रखे। जब तक माननीय मंत्री महोदय पूरे आंकड़े सदन के सामने नहीं रखते, तब तक कम से कम मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा कि उनके आंकड़े मेरी समझ में नहीं आये। क्योंकि श्रीमन् वे आंकड़े बहुत जल्दी में मंगाते हैं और मैं आशा करता हूं कि इसको भी उन्होंने बहुत जल्दी में ही मंगाया है और उन आंकड़ों को हमारे सामने रख दिया है।

तो इसी प्रकार की श्रीमन्, इन स्थानों की दूसरी समस्यायें भी हैं और वे यह हैं कि थोड़ा सा प्राकृतिक प्रकोप हुआ, चाहे अति वृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, यह मानी हुई बात है कि वे आन दि वर्ज आफ पावर्टी की स्थिति में रहते हैं और इस तरह से थोड़ा सा भी प्राकृतिक प्रकोप सहन करना उनके लिये कठिन हो जाता है और वहां का रूप बहुत भीषण हो जाता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि उनके कष्टों का निवारण करने के लिये स्थायी रूप से कोई योजना बनावे और उनकी आमदनी बढ़ाने का कोई रास्ता निकाले। उनकी आमदनी बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई विचार माननीय मंत्री जी ने अपना नहीं रखा। शार्ट रेन्ज क्योर न करें, किसी ने कहा है कि 'वन स्टिच इन टाइम सेव्ज नाइन'; यह ऐसा विषय है कि जिसकी पुनरावृत्ति आये दिन हमें इस सदन में करनी होती है, उसके स्थायी निवारण के लिये हमें कोई उद्योग की, किसी प्रकार की कोई ऐसी योजना करनी होगी जिससे हमारे यहां के लोगों का आर्थिक स्तर ऊपर उठे और वह तमाम दिक्कतें दूर हो जायं जो उन पर प्रति दिन आया करती हैं। श्रीमन्, मुझे आप ५ मिनट का समय और देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—जी हां, अभी तो आप को समय मिलेगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—तो आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से और निर्माण की दृष्टि से जब तक हम अपने यहां कोई स्थायी योजना नहीं बनाते तब तक यह दारिद्रय और दैन्य दूर नहीं हो सकते।

अपने यहां पहाड़ी प्रान्त के कितने ही लोग ऐसे हैं जो मैदान में आकर नौकरी करते हैं, रोटी बनाते हैं, पानी भरते हैं या बर्तन मलते हैं, किसी को भी अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता, मनुष्य अपनी स्थिति से मजबूर हो कर ही अपना घर छोड़ता है। तो क्या पहाड़ी क्षेत्र में उद्योग बढ़ाने के लिये, जिस के आधार पर वहां के लोग भी अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकें, कोई ऐसी योजना किसी प्रकार की, वहां के लिये मंत्री महोदय नहीं बना सकते? लेकिन इस तरह का कोई विचार मंत्री जी ने हमारे सम्मुख नहीं रखा। पहाड़ी प्रदेश के लिये ही क्या, उन्होंने कोई योजना पूर्वाञ्चल, पश्चिमांचल या मध्य के भाग के लिये भी कोई योजना ऐसी नहीं बताई जिससे लोगों का आर्थिक स्तर ऊपर उठ सके। अगर यह कहा जाय कि इस सारे प्रदेश में, पूर्व, पश्चिम, पहाड़, क्या सारे देश में आज दारिद्रय और दैन्य है तो अनुचित न होगा। यह हो सकता है कि एक जगह की हालत कुछ १९ हो और दूसरी जगह की कुछ २० हो। यह किसी प्रदेश के किसी विशेष भाग की बात नहीं है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह पूर्वाञ्चल, पश्चिमांचल या पहाड़ की दृष्टि से किसी समस्या पर विचार न करें, यह दरिद्रता और दैन्य अभी हमारे यहां सब जगह है और उस के दूर करने का एक ही रास्ता है और वह यह है कि अनेक प्रकार के उद्योग हम अपने यहां लोगों के लिये खोलें और उन में उनको लगायें जिस से वह अपना जीवन स्तर उठा सकें।

हमारे मंत्री महोदय ने आज एक बात कही है जिसके लिये मैं उनको बधाई दूंगा कि वह यह जरूर चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों की हिम्मत बढ़े। बड़ी अच्छी बात है परन्तु इसके साथ

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत खराब बात है कि उनकी हिम्मत तोड़ने की बात की जाय। लकिन हम उनकी हिम्मत तोड़न की बात नहीं करते, आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के सर्वसाधारण व्यक्ति के अन्दर यह भाव आ गया है कि हमारे लिये हर काम, हर इंतजाम राज्य करेगा, उसमें स्वावलम्बी बनने की क्षमता और पात्रता नहीं रह गयी है। वह परावलम्बी होता जाता है। वह इवालूशन कमेटी की रिपोर्ट, जो सदन के सामने रखी गयी थी उसमें भी कहा गया था कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज का आदमी परावलम्बी होता जाता है। मेरा विचार है कि केवल भाषणों से स्वावलम्बी नहीं बनाया जा सकता, केवल सद्भावनाओं से भी काम नहीं चलेगा, हमें उस के लिये एक प्रकार का वातावरण पैदा करना होगा और उस के आधार पर हमें एक नये प्रकार की शिक्षा दीक्षा देनी होगी और एक योजना अपने मस्तिष्क में बनानी होगी तभी हम अपने लोगों में स्वावलम्बन की भावना ला सकते हैं। आज सुबह ही, जैसे ही मैं अपने मकान से बाहर निकल रहा था, एक दुःखद घटना मेरे सामने आयी। एक आदमी मुझ से कहने लगा कि मैंने ३ दिन से भोजन नहीं किया है और मैं भूखा हूं, मैंने उससे पूछा कि कारण क्या है, तुम्हारा गांव कहां है, वहां जिला पंचायत अदालत है या नहीं, और क्या वहां सस्ते गल्ले की दूकाने हैं, क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी कि २ पंचायत अदालतों पर एक दूकान सस्ते गल्ले की खोली गयी है। लेकिन २ क्या ४ पंचायती अदालत पीछे भी एक दूकान दिखाई नहीं देती है। मैंने उससे पूछा खाने को तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, उसने कहा पैसे भी नहीं हैं, वह कुछ थोड़ा पढ़ा-लिखा था, चलते समय उसने मुझे एक कविता सुनाई और कहा कि मेरी इस कविता को आप लखनऊ में भी सुना दीजिये। उसके भोजन का जो हो सका प्रबन्ध कर दिया, यह कहना अनावश्यक होगा। उसकी कविता थी :—

"कुसमय मीत काको कवन,
कमल के रवि हैं परम हित ।
कहत श्रुति अस बैन,
घटत वारिधि देख दुर्दिन,
करत कमलहिं दहन।
कुसमय मीत काको कवन।"

उस की भावना बड़ी स्पष्ट है कि सरकार उसकी मित्र तो है लेकिन उसका जो दुर्भाग्य है, उस के ठीक न होने के कारण आज उसका दमन हो रहा है, उस के ऊपर तमाम आपत्ति खड़ी हो रही हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो उसके भाव वाकई में सही हैं। तो आवश्यकता श्रीमन्, यह थी कि हम लोग इन तीन चार बातों की ओर ध्यान रखते और इन पर विचार करते। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आंकड़ों के जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। "वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बीइंग्ज" आंकड़े तो कुछ भी दिये जा सकते हैं, उनसे कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु, श्रीमन्, यहां मनुष्यता का प्रश्न है, उसकी भावनाओं का प्रश्न है, उसके अनुसार आपको विचार करना होगा। खाली इससे संतोष कर के हम बैठ जायं कि हमने इतने फ्लड रिलीफ सेंटर्स बना दिये, इतनी नावें रख दीं तो इससे काम नहीं चल सकता। उनका दारिद्र्य दूर करने के लिये लांग रेंज योजना बनानी चाहिए। उस लांग रेंज योजना की तरफ हमें विचार करना चाहिए और उसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे बार बार इस प्रकार का दुःखद प्रश्न इस माननीय सदन में उठाने की आवश्यकता न पड़े। इसकी जिम्मेदारी को सफलता से वहन करने के लिए सरकार इसको वहन करे, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है।

श्री अक्षयवर सिंह (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो बाढ़-नियंत्रण पर विचार हो रहा है उसमें हमें भी मौका मिला है कि मैं अपने विचार प्रकट करूं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि आज दस वर्ष के करीब इस गवर्नमेंट को आये हुए हो गये, जिसमें जब से बाढ़ आयी है इस बाढ़ में सरकार ने कुछ प्रयत्न जनता की तकलीफ को दूर करने के लिये किया या नहीं। जिन चीजों की कमी है, उनमें से सरकार कितनी को पूर्ति कर सकती है, हम सरकार को कुछ सहयोग दे सकते हैं या नहीं, यह देखने की बात है।

मैं गोरखपुर जिले का रहने वाला हूं जिसमें साढ़े चार हजार गांव हैं और करीब पंद्रह सौ गांव हर साल बाढ़ के शिकार होते हैं। उसमें तमाम नदियां जाल की तरह से बिछी हुई हैं—राप्ती, गोरी, गंडक, रोहिन, कुंवानी, सरयू, आदि तमाम नदियां भरी हुई हैं। लेकिन मैं यह जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में पूर्वी जिले उपेक्षा की दृष्टि से देखे गये। उनको ऊंचा उठाने के लिए या उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार के जमाने में कोई प्रयत्न नहीं हुआ। लेकिन जब अपनी सरकार हुई तो अपनी सरकार ने नजर डाली। मैं यह जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में, हमारे गोरखपुर जिले, जहां आबादी घनी है, जमीन कम है, वहां के लोग दूसरी जगहों में जा कर यानी, सिंगापुर, बैंकाक, मलाया, रंगून आदि स्थानों से कई लाख रुपया लेकर आये। अगर हमारी तहसीलों में देखा जाय तो मकान तो बहुत अच्छे व पक्के मिलेंगे। लेकिन खेती का पता लगेगा तो दस-पांच बीघे तक के लोग भी शायद मिलेंगे। आप जानते हैं कि जब कि सिंगापुर, बैंकाक, रंगून अलग हो गया तब भी वहां लोग कमाने जाते हैं। लेकिन इतना प्रतिबन्ध लगा रहता है कि वह घर खर्च के लिए तीस, चालीस रुपये महीने से अधिक नहीं भेज सकते। नतीजा यह है कि बाहर की कमाई वहां बन्द हो गयी। आज वहां की हालत यह है कि लोग ज्यादातर परेशान और दुखी हैं। लेकिन फिर भी यह सरकार जहां तक उपाय कर सकती है, करती है। हम यह जानते हैं कि जब से इस सरकार के हाथ में सत्ता आयी है, हमारे जिले में बांध बांधने की कोशिश की गई, बाढ़ पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। बाढ़ के समय उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि लगान में छूट करें, तकावी दें, जो गरीब हैं उनको मुफ्त दाना दें। इस बात की भी कोशिश की है और कर रही है। लेकिन अन्य जगहों पर जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो एक दो मील का पाट हो जाता है। एक दो मील तक पानी दिखायी देता है। लेकिन हमारे यहां चौदह-चौदह, पंद्रह-पंद्रह, बीस-बीस, मील लम्बा जल समुद्र की तरह से, जब बाढ़ आती है तो दिखायी देता है। उस हालत में जो संकट हमारे यहां आ जाता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिर भी उस संकट में सरकार अपनी शक्ति भर मदद करने की कोशिश करती है, जिसका मैं आभारी हूं। लेकिन हमको यह सोचना होगा कि सरकार के साधन सीमित हैं, उसी हिसाब से वह मदद करती है। अगर साधन होते हुए न करे तब तो आपत्ति की बात हो सकती है। लेकिन सरकार के सब तरह से मदद करते हुए भी बहुत सी कमियां रहती हैं, बहुत कुछ अभाव रहते हैं, और आये दिन तकलीफ और मुसीबत के दिन काटने पड़ते हैं। यहां तक कि नदियों का सर्वे भी हो गया है, लेकिन अभी तक जो बांध बनने हैं उन पर काम शुरू नहीं हुआ। हम यह भी जानते हैं कि बाढ़-नियन्त्रण के लिये सरकार चुप नहीं है तथा केन्द्रीय सरकार भी चुप नहीं है, जलाशय आदि जहां से नदी निकलती है वहां पर या उसके नीचे बनाने की सोच रही है, कहीं काम भी शुरू है, किनारे पर बांध बांधने की भी बात सोच रही है, लेकिन जिन्दगी भर का कोढ़ चार दिन में नहीं कटेगा। इसलिये सरकार अपने साधनों के अन्दर काम कर रही है, उसमें समय अवश्य लगेगा। लेकिन जो सरकार कोशिश करती है उसमें कमी भी है उसके लिये मैं थोड़े-बहुत सुझाव दूंगा।

मैं जानता हूं कि सभी गांवों को ऊंचा कर देना या बांध का बांधना, यह भी थोड़े ही दिन में पूरा नहीं हो जायगा। इनमें भी समय लगेगा। नदियां बढ़ती हैं, पानी आता है, लेकिन वह पानी कैसे रुके, कैसे जनता को बचाया जाय, यह गम्भीरता के साथ सोचना है। उसके लिये यह उपाय है कि जिस समय फसल कटती है उसके पहले सरकार यह उपाय करे कि अधिक से अधिक पंपिंग मशीनें कछार एरिया में दे और उसके अलावा जहां ऊंची जमीन हो वहां पर ट्यूबवेल लगावे और जिन दिनों में फसल कटती है, बैसाख में, खेतों में पानी दे करके

[श्री अक्षयवर सिंह]

फसल बुवा दे। नतीजा यह होगा कि मक्का ६० दिन में तैयार हो जायगी। आषाढ़ चढ़ते हुए मक्का कट जायगी, साथ ही सावां, कोदों भी कट जायगा, धान को भी ९० दिन लगते हैं वह आषाढ़ के अन्त तक काटा जा सकता है। भादों में जब बाढ़ आयेगी, उसके पहले सब फसल कट सकती है। नतीजा यह होगा कि मवेशियों के लिये चारा तथा आदमियों के लिए अन्न प्राप्त हो जायगा और गांव की सफाई तो हो ही जाती है। ऐसे हालात में अगर बाढ़ आयी तो कम से कम जनता को खाने तथा मवेशियों के चारे की चिन्ता तो नहीं रहेगी और जहां तक लोग यह कहते हैं कि लोगों को दूसरी जगह बसाया जाय, मैं तो बाढ़ के दिनों में ६, ८ दिन तक नाव में घूमा हूं। जिन लोगों के मकान गिर जाते हैं वे उसकी टूटी दीवाल पर ही बैठे रहते हैं और दूसरी जगह जाने के लिये तैयार नहीं होते। मैं जानता हूं, गोरखपुर में १२ गांव ऐसे हैं जो नदी से कट कर पूरे गांव पानी में चले गये हैं, लेकिन उनको दूर दूसरी जगह बसाने के लिये कहा जाता है, वे बसने को तैयार नहीं होते। बांधों के ऊपर रहते हैं या दूसरे गांवों में रहते हैं, तो ऐसी हालत में मैं सरकार से यह कहूंगा कि कम से कम वह ऐसा उपाय करे कि फसल बाढ़ के पहले हो जाय।

दूसरी बात जो बांध बनाये गए हैं, पानी के थपेड़े से वह टूट जाते हैं; सरकार का खर्चा भी होता है और वह खतरा भी हो जाता है। बांध के टूट जाने पर बहुत से गांव डूब जाते हैं और आदमियों को खतरा हो जाता है। ऐसी हालत में मैं सरकार से यह कहूंगा कि नदी की साइड की तरफ एक ईंट की दीवार जुड़वा दी जाय। उस पर जो पानी के थपेड़े लगेंगे उससे बांध की मिट्टी नहीं कटेगी और बांध सुरक्षित रहेगा। जो मिट्टी के बांध बंधते हैं उन पर सरकार कंकड़ डलवा दे तो वह पक्की सड़क का भी काम देगी और उससे यातायात की समस्या भी हल हो जायगी और वह बांध भी सुरक्षित रहेंगे।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब आज हम प्रदेश की बाढ़ समस्या पर विचार कर रहे हैं तो ऐसे अवसर पर मेरे सामने सन् १९५५ में आजमगढ़ जिले में जो भयानक बाढ़ आयी थी उसका दृश्य उपस्थित हो जाता है। सन् १९५५ की बाढ़ ने आजमगढ़ जिले में जो खंड प्रलय का दृश्य उपस्थित किया था, वह आज भी, जब पिछले दो तीन दिनों से लगातार पानी बरस रहा था तो मुझे इस बात का भय बराबर बना हुआ था कि चूंकि सरकार ने उसके बाद कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया, यदि आज भी उतना ही पानी बरसे तो आजमगढ़ जिले और आजमगढ़ शहर की गति आज भी वही होगी जो सन् ५५ में हुई थी। सन् १९५५ में आजमगढ़ जिले में और आजमगढ़ शहर में ४० हजार मकान ध्वस्त हुए, ५ लाख जनता गृह-विहीन हो गयी और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। यही नहीं शहर के अन्दर हाइडेल का करीब दो लाख रुपये का सामान डूब गया। सात सौ बोरे सीमेंट पानी में डूब गया और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। आजमगढ़ में जो बाढ़ आयी थी, निश्चित रूप से पानी अधिक बरसा था, वह भी एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन उसकी बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण सरकार, वहां के इंजीनियर और वहां के सरकारी अधिकारी थे। आजमगढ़ जिले की सड़कों को जिस प्रकार ऊंचा किया गया, जिस प्रकार से कि छोटे-छोटे पुलों का निर्माण किया गया, वहां के बांधों की जिस प्रकार से उपेक्षा की गयी उसकी वजह से आजमगढ़ जिले और आजमगढ़ शहर को उतनी बड़ी बर्बादी का शिकार होना पड़ा। जो बांध ८०, ८५ वर्ष पहले बना था सरकार ने उसकी उपेक्षा की। नागरिकों ने समय-समय पर सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया था, लेकिन लालडिग्गी के ऊपर बांध टूटा और देखते-देखते पूरे शहर और जिले के एक बहुत बड़े भाग की जनता उस बाढ़ का शिकार हो गयी। आजमगढ़ स्टेशन तक आने वाली सड़क को लगभग तीन फुट ऊंचा किया गया। लेकिन चार तख्तों के पुल से उतना पानी नहीं निकल सकता था। नतीजा यह हुआ कि टोंस नदी ने छः मील लम्बा पाट किया और सात सौ

गांवों को बर्बाद कर दिया। जब गांवों की जनता जिलाधीश के पास पहुंची और इस बात की प्रार्थना उसने की कि सड़क को काट दिया जाय वरना लाखों बर्बाद हो जायेंगे उस समय अधिकारियों ने जवाब दिया था कि सड़क काटने वालों के लिए सीधा लाल दरवाजा है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। जिले में भिन्न-भिन्न स्थानों पर सड़कों को ऊंचा किया गया, छोटे-छोटे पुल बनाये गये जिससे कि पानी का प्रवाह रुकता था और पूरा जिला उससे तबाह हुआ। इस जिले में बाढ़ विभाग की तरफ से पिछले तीन सालों में जो काम किये गये हैं, जिस प्रकार से सड़क को ऊंचा किया गया जिस प्रकार से पुल बनाये गये, उसके खिलाफ बराबर जनता ने आवाज उठायी है और इन चीजों के निर्माण में इंजीनियर, ओवरसियर और ठेकेदार ने मिलकर के बहुत बड़ी रकम का गबन किया। बराबर इस बात की मांग की गयी कि लाल डिग्गी का बांध, जो बनाया गया, ६० हजार रुपया खर्च किया गया और बाढ़ का एक धक्का भी वह नहीं सह सका, बह गया, उसकी सरकार जांच कराये। आजमगढ़ में ६० हजार रुपये की लागत से बना हुआ पुल पहले ही धक्के से टूट गया और इसी प्रकार ४० हजार रुपये की लागत से बनी हुई खुरहट की पुलिया भी पहले धक्के से ही टूट गई उसकी भी सरकार जांच कराये, लेकिन सरकार ने इन सारी बातों को अनसुना कर दिया।

फ्लड बोर्ड आजमगढ़ में गया। उसके समक्ष कुछ सुझाव रक्खे गये और फ्लड बोर्ड ने आश्वासन दिया, लेकिन वह आश्वासन पता नहीं सरकार की लाल फीताशाही में पड़ा हुआ है या कहां पड़ा हुआ है? उस आश्वासन का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब माननीय माल मंत्री सबेरे अपना बयान प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जहां बहुधा बाढ़ आ जाती है वहां पहले से ही वे पूरी व्यवस्था कर देते हैं और ऐसे स्थानों पर सरकारी अधिकारियों को इस बात के आदेश होते हैं कि वे जितना चाहें रुपया खर्च कर लें। लेकिन आजमगढ़ नगर में पिछले वर्ष जब बाढ़ आई तो वहां नावों की संख्या इतनी कम थी कि काफी संख्या में जन, धन और पशु की हानि हुई। सरकार बराबर दूसरे स्थानों पर नावें ढूंढने के लिये भेजती रही और इधर नाव की कमी की वजह से लोग और पशु डूबते रहे। जलमग्न गांव खाली नहीं हो सके। बार बार प्रश्न उठाया गया कि जब सड़कें ऊंची की जाती हैं तो जनता के अनुभव से भी लाभ उठाया जाय। जब इंजीनियर्स कोई स्कीम बनाते हैं तो जनता का सहयोग हासिल करने का प्रयत्न करें। जो जनता युगों से वहां रह रही है और जिसको वहां के स्थानों का पूर्ण अनुभव प्राप्त है उसकी राय से स्कीमें बनाई जायं, उसका सहयोग लिया जाय, इसमें सरकार की कोई हानि होने वाली नहीं है, फायदा होने की ही संभावना है; लेकिन बराबर यह बात ठुकराई गयी और सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।

अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ से जो भयानक नुकसान होता है उसमें दैवी आपत्ति व प्रकोप का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन साथ ही बाढ़ से नुकसान मानव निर्मित भी होता है। उसके कुछ ठोस प्रमाण भी हैं। आजमगढ़ में सड़कों का लेविल आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से नीचा था। बाढ़ आती थी तो पानी सड़कों से कई-कई फुट ऊंचा निकल जाता था। जब वहां इंजीनियरों ने सड़क को ऊंचा किया तो पुल वही पुराना रहने दिया, नये पुल को निर्मित नहीं किया लोगों ने चेतावनी दी थी कि पानी बह नहीं पायेगा और यहां की जनता को बर-बाद करेगा। परिणाम वही हुआ।

रेलवे लाइन पर भी जो पुल बना हुआ है उसके लिये भी बार-बार यह बात कही गयी कि सरकार जब कोई नया रेलवे पुल बनाती है तो रेलवे बोर्ड, सिंचाई विभाग और निर्माण विभाग मिल कर वह स्कीम बनाया करें ताकि रेलवे की वजह से या सड़कों की वजह से वाटर लागिंग न हो। आजमगढ़ जिला बाढ़ से तबाह और बरबाद होता है और उसकी सबसे बड़ी वजह वाटर लागिंग ही है। इतने अनसाइंटिफिक ढंग से स्कीमें बनती हैं जिनका परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

माननीय मंत्री जी स्केयरसिटी के बारे में यह भी कह रहे थे कि टेस्ट वर्क्स खोले गये लेकिन जनता काम पर नहीं जाती। दूकानें खोल दी गयी हैं लेकिन गल्ला बिक नहीं रहा है। जनता के सहयोग की उपेक्षा करने वाली सरकार की यही दशा होती है कि सरकार भी बदनाम होती है और जनता भी आफत और मुसीबत में मारी जाती है। टेस्ट वर्क्स खोलते वक्त सुझाव दिया गया कि फलां फलां जगह पर खोले जायं लेकिन अधिकारियों ने उस सुझाव की उपेक्षा की और ऐसी जगहों पर टेस्ट वर्क्स खोले गये जहां जनता जा नहीं सकती। इसी प्रकार दूकानें ऐसी जगहें खोली गयी जहां नदी में बाढ़ आने के कारण जनता जा नहीं सकती, उसको सुविधाजनक नहीं है। कहा जाता है कि ऐसे स्थान चुनिये जहां जनता आसानी से पहुंच सके लेकिन हमारे जिले में तो दशा यह है कि हम कितना भी कहें, कितने भी सुझाव दें लेकिन जिलाधीश, तहसीलदार जो रिपोर्ट देगा, पटवारी जो रिपोर्ट देगा उसके आधार पर काम करेगा। पटवारी जहां दूकान खोलने को कहे वहां खुलेगी, पटवारी जहां टेस्ट वर्क चलाने के लिये कहे वहां चालू होगा, जो जन-प्रतिनिधि हैं वह भले ही चिल्लाते रहें, किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता।

पिछले दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जो बरबादी हुई है, उसे सरकार भी स्वीकार करती है कि करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुक्सान हुआ। गोरखपुर में मलौनी का बांध टूटा। हम चेतावनी देते थे कि सरकार ध्यान दे, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और वह बांध टूट गया। आजमगढ़ में भी यही दशा है इसके अलावा आजमगढ़ में पिछले दिनों भी पुल बने हैं, उनकी दशा यह है कि इतने छोटे हैं कि आज भी बाढ़ आये तो पानी जितना इकट्ठा होता है वह उन पुलों के ताखों से निकल नहीं सकता है। सौभाग्य से जैसी सन् ५५ में बारिश हुई थी वैसी नहीं हुई। अगर दुर्भाग्य से वैसी बारिश हो तो उसी प्रकार से नुकसान होगा जैसा कि सन् ५५ में हुआ। सरकार यह नहीं कह सकती कि यह बाढ़ अचानक आ गयी, इसलिए प्रबन्ध नहीं कर सके। आजमगढ़ में सन् ४८ से लगातार ३ ऐसी भयानक बाढ़ें आई हैं, ४८ में, फिर ५३ में और ५५ में, जिन्होंने लाखों, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान किया, हजारों आदमियों को बरबाद किया और अपार क्षति हुई। इस बात के होते हुए भी सरकार का ध्यान उस मौलिक सुधार या मौलिक योजनाओं की तरफ नहीं जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि, चूंकि मेरी पार्टी के लीडर यहां नहीं हैं, मुझे कुछ समय ज्यादा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---कितना समय आप चाहते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव---१० मिनट समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता---अच्छा ५ मिनट और ले लें।

श्री चन्द्रजीत यादव---तो मैं कह रहा था कि इन बातों के होते हुए भी कोई मौलिक योजना सरकार ने नहीं बनायी। मंत्री महोदय ने यह कहा कि सरकार इस बात का अनुसंधान कर रही है कि कुछ ऐसे अनाजों की खोज की जाय, कुछ ऐसी फसल उगायी जायं, जो बाढ़ और अधिक पानी में संभल सके, रह सकें। अगर सरकार का यह इरादा है और इस प्रकार का अनुसंधान हो रहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस काम में जितना अधिक प्रयोग हो सके और जितने अधिक विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त कर सके, लेने की कृपा करें।

दूसरी बात जो गांव पटाई के सम्बन्ध में कही गयी है, इस संबंध में मैं बता देना चाहता हूं कि गांव जिस प्रकार से ऊंचे किये जा रहे हैं, इसमें भी जनता का सहयोग नहीं लिया जा रहा है और बहुत से गांव ऐसे होते हैं जहां जो गांव के प्रभावशाली लोग हैं, अनावश्यक रूप से जिनके मकान ऊंचे होने के कारण पानी वहां पहुंचता भी नहीं, उनके घर के पास मिट्टी पड़ती है, और ऊंचे कर दिये जाते हैं। खास तौर से आजमगढ़ जिले में, जहां कहीं भी गया, हरिजनों की ओर से शिकायत इस प्रकार की मिली, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं की बस्ती गांव में

सबसे नीची जगह होती है और उनकी उपेक्षा सबसे अधिक की जाती है, न ओवरसियर सुनता है न इंजीनियर, और बहुधा गांव का प्रधान भी नहीं सुनता। जहां उनके प्रधान हैं वहां तो कुछ सुना जाता है, लेकिन उनकी उपेक्षा ही होती है। तो सरकार इस बात की ओर ध्यान दे कि जो गांव ऊंचे किये जा रहे हैं उनमें समुचित ढंग से ऐसी जगह पर मिट्टी पड़नी चाहिये जहां उसकी अधिकांश आवश्यकता हो।

अब मैं संक्षेप में सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो कि इस बाढ़ से जनता की रक्षा में सहायक हो सकें। मेरी समझ में सरकार जब कोई भी स्कीम किसी स्थान पर लागू करती है तो वहां पर जन-प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करे, वहां के रहने वाले निवासियों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करे, उनसे सुझाव मांगे और उन पर विचार करे। दूसरी बात, जो वाटर-लागिंग हो रही है, सड़कों को ऊंचा किया जा रहा है...

श्री अधिष्ठाता—यह तो बार-बार आप दोहरा रहे हैं, पुनरावृत्ति न कीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—बहुत अच्छा। तो ऐसी सड़कें न बनें जिनसे पानी रुके और वहां की फसलों को, वहां के गांवों को नुक्सान हो।

तीसरी बात यह है कि पुलों की संख्या बढ़ाई जाय। सड़कों पर पुल बहुत कम हैं और पानी बाहर नहीं निकल पाता है।

श्री अधिष्ठाता—यह भी आप कह चुके हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—पहले मैंने पुल बढ़ाने की बात नहीं कही थी बल्कि यह कहा था कि पुल छोटे हैं इसलिये पानी नहीं निकल पाता है।

चौथी बात यह है कि जो छोटी-छोटी नदियां हैं और उथली हैं, उनकी सतह गहरी की जाय और उन्हें खोदा जाय।

पांचवीं बात यह है कि सरकार ने जो फंड अब तक बाढ़ की सहायता के लिये रखा है, उसको बढ़ाया जाय। इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे अत्यन्त दुख हुआ। केन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकार का सही रूप से सहयोग नहीं कर पा रही है और हमारे मंत्री जी भी साहस खो बैठे हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि हम कम रुपया खर्च करेंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने प्रयत्नों को जारी रखें और केन्द्रीय सरकार के सामने समस्या ठीक तरह से रखें ताकि जितना बजट है उसके लेने में उन्हें सफलता मिल सके।

छठी बात जो मैं सुझाव के रूप में कहता हूं वह यह है कि सरकार जब कोई स्कीम बनाती है तो इस बात का ध्यान रखे कि जो इंजीनियर या ओवरसियर जाते हैं वह उस बात के विशेषज्ञ होने चाहिये। अक्सर यह देखने में आता है कि नये इंजीनियर और ओवरसियर भेज दिये जाते हैं, जिन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से काम शुरू करना चाहिये और कैसे यह काम होना चाहिये। नतीजा यह होता है कि सरकार के रुपये का तो नुकसान होता ही है जनता भी बरबाद और तबाह होती है।

अब अधिष्ठाता महोदय, एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी ने एक मौलिक प्रश्न उठाया था कि वे सत्याग्रह और भूख हड़ताल को गलत समझते हैं। उनके मतानुसार आज की व्यवस्था में यह अस्त्र ऐसे हैं जिन्हें किसी राजनीतिक पार्टी को ग्रहण नहीं करना चाहिये, यह उनका कहना है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र लिखा था जब माननीय झारखंडे राय जी अनशन कर रहे थे। उसमें एक वाक्य था कि मैं सत्याग्रह को किसी भी राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिये अनैतिक समझता हूं। इसमें अनैतिक शब्द बहुत खटकता है। अनैतिक शब्द का अर्थ यह होता है कि जो नैतिकता के विरुद्ध हो। लेकिन जिस पार्टी के लोग आज ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में आज देश का शासन सूत्र है, और जिन्होंने राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिये इन्हीं अस्त्रों को ग्रहण किया है और स्वतंत्रता भी प्राप्त की है, वह इस प्रकार की बात करें और जनतंत्र की व्यवस्था के अन्दर, तो मुझे आश्चर्य होता है और क्षोभ भी होता है।

श्री अधिष्ठाता—मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी भूख हड़ताल में विश्वास करती है ?

श्री चन्द्रजीत यादव—अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि आपने मौलिक प्रश्न उठाया है, इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी उन सभी रास्तों में विश्वास करती है जो भारतीय परम्पराओं के अन्तर्गत हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन अस्त्रों द्वारा सफलता प्राप्त हुई है, उनसे लाभ उठाकर उनका प्रयोग करना चाहती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि हमारे मित्र श्री झारखंडे राय जी से पार्टी ने जवाब तलब किया है कि उन्होंने भूख हड़ताल क्यों की है ?

श्री चन्द्रजीत यादव—जी हां, माननीय मंत्री जी को संभवतः भ्रम हो गया है, या जिस सूत्र से उन्हें खबर मिली है वह बिलकुल निराधार है। जब उन्होंने अनशन प्रारम्भ किया तो हमारे प्रदेश की समिति ने, जिसमें केन्द्रीय समिति के भी जिम्मेदार व्यक्ति थे, उसका निर्णय था उसके अनुसार उन्होंने अनशन प्रारम्भ किया था, क्योंकि सरकार की हठवादिता के समक्ष दूसरा कोई मार्ग नहीं था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्। मैं एक व्यवस्था मार्ग दर्शन के लिये चाहता हूं कि क्या चेयर, सभापति कोई पोलिटिकल नेचर का प्रश्न किसी माननीय सदस्य से पूछ सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—इस तरह के रिमार्क्स तो चेयर से हमेशा होते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, रिमार्क्स नहीं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—पूछ सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—अधिष्ठाता महोदय, किसी प्रजातंत्रीय व्यवस्था में शांतिपूर्ण आन्दोलन चलते हैं और जो मार्ग अपनाया जाता है उस पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जायंगे, इस प्रकार की बात कही जायगी तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा मार्ग ऐसा होगा जिससे हम सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ सकें और अपना आन्दोलन चला सकें। यदि इसी प्रकार की नीति का पालन करके इन सत्याग्रहों और आन्दोलनों को दबाने की कोशिश की गयी तो फिर उसके बाद क्या रास्ता होगा, सरकार के लोग ही इस बात को समझ सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रदेशीय सरकार को धन्यवाद देता हूं . . . .

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—जरा इधर भी देख लिया करिये ।

श्री अधिष्ठाता—इस प्रकार की जो बातें आप कहते हैं यह बड़ा अनुचित है। आप के नेता जो यहां बैठे हैं उन्होंने इस बात का निर्णय कर दिया है कि एक आदमी इधर से बोलेगा और दूसरा उधर से बोलेगा। फिर भी आप इस तरह का रिमार्क पास करते हैं कि जरा इधर भी देख लिया करिये ।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पुनः राज्य सरकार को हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वह अनशन की बाढ़ को नियन्त्रण करने में सफल हुये ।

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय रामलखन जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अनशन के बारे में, व्यक्तिगत बातों के बारे में और गेंदा सिंह जी के बारे में बातें न हों तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामलखन मिश्र--आप की आज्ञा शिरोधार्य है पर इस विवाद के सम्बन्ध में कुछ ऐसी पृष्ठभूमि बन गयी है विरोधी दल की, से उसके ऊपर ऐसा प्रकाश डाला गया है और महात्मा गांधी के चरित्र की ओर ऐसा संकेत किया गया है कि जनतन्त्रीय शासन में ऐसा माना गया है कि भूख हड़ताल को बड़ा भारी स्थान है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह हठ और दुराग्रह है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बहुत सूक्ष्म रूप से, बिना किसी व्यक्ति के हृदय को दुखाए, हुये इसके ऊपर मैं अपने भाव प्रकाशित करूं, क्योंकि मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इस प्रदेश के इतिहास में यह एक नया अध्याय हुआ है और जो हम यहां शपथ लेते हैं और नियमानुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा लेते हैं उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें ईश्वरवाद के ऊपर भी आक्षेप है। इसलिये मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर बहुत संक्षेप में मैं कुछ अपने भाव प्रकट कर सकूं।

श्री अधिष्ठाता--थोड़े से शब्दों में प्रकट कर सकते हैं।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि जनतंत्रीय शासन में भूख हड़ताल को कोई स्थान नहीं है। हमारे पूज्य बापू जी जब निरंकुश वायसरायों के प्रति भूख हड़ताल और सत्याग्रह किया करते थे तो वे समझते थे कि यह उनक अधिकार में था कि उनकी बात मानें या न मानें। अंग्रेज भारत छोड़ो, यह नारा उन्होंने लगाया पर यह अंग्रेज के अधिकार में था कि वह चला जाय या न जाय। पर यहां पर हमारे मुख्य मंत्री भूख हड़ताल नहीं कर सकते। हमारे मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल का इस विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व है। एक व्यक्ति से पत्र-व्यवहार करने के बाद इस प्रकार अनशन करना, यह तो सारे मेम्बरों में भ्रष्टाचार का बीजारोपण करना होगा।

श्री बंशीधर शुक्ल--अनशन में भ्रष्टाचार की बात यहां नहीं कही जा सकती।

श्री अधिष्ठाता--आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री रामलखन मिश्र--मैं कहता हूं कि यह एक बौद्धिक भ्रष्टाचार है। राजकोट में सत्याग्रह करने के पश्चात पूज्य बापू ने कहा था कि अन्तरात्मा से जो आवाज आयी वह विपरीत थी, मुझे यह नहीं करना चाहिये था। भूख हड़ताल का दर्शनशास्त्र बहुत व्यापक है। मेरे रोयों में गर्मी आ जाती है अगर कोई सदस्य भूख हड़ताल करने के पश्चात् कोई ऐसा निर्णय ले ले जिसके कारण इस विधान सभा की धारा दूसरी ओर चलने लगे। मैं यह मानता हूं कि इस चुनाव पद्धति में यदि किसी को विश्वास न हो तो वह यहां से त्यागपत्र दे कर जो चाहे सो करे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि एक व्यवस्थित चुनाव क पश्चात् वह यहां आये और शपथ ले इस बात की कि हम राज्य की नियमानुसार व्यवस्था करेंगे और फिर यहां पर नियमों को भंग करके और उसके अन्दर एक गयी हुई वस्तु लाकर के वे अपने हृदयवाद को उत्पन्न करें और अपनी फीलिंग्ज को पैदा करें, यह दूसरी बात है। परन्तु यहां पर महात्मा गांधी का कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। मैं ऐसा मानता हूं और दूसरे माननीय सदस्य भी मानते होंगे कि कुछ व्यक्ति महात्मा गांधी के चित्र की ओर संकेत कर के दिखलाना चाहते थे कि महात्मा गांधी सत्याग्रही थे। परन्तु वे सत्याग्रही नहीं थे, वे प्रेमी थे उनका एक दर्शन था : आज का सत्याग्रह विवेक को छोड़ कर के एक मूर्छित रूप में था। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। मैं पुनः इसको बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा के किसी सदस्य को जो कि चुनकर आये हैं, जब कि सारा निर्णय यहीं पर होता है, मंत्रिमंडल उन्हीं चुने हुये व्यक्तियों का एक वर्ग है, उसके मुख्य मंत्री से पत्र-व्यवहार कर के निराश हो जाने के पश्चात् कोई भी भूख हड़ताल नहीं कर सकता क्योंकि वह नियंत्रित है। मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि इस प्रदेशीय सरकार

[श्री रामलखन मिश्र]

को या केन्द्रीय सरकार को भारतीय दंड विधान की धारा ३०७ में कोई क्लाज जोड़ना पड़ेगा जिसके अन्तर्गत चाहे १० दिन हों, ११ दिन हों, जो भी नियंत्रण हों, जो मनुष्य इस प्रकार हठ कर के आत्म-हत्या करने का प्रयास करे उस को दंड दिया जा सके, वरना हम इस जनतांत्रिक शासन को चला नहीं सकते, क्योंकि अपने दल के झंडे को ऊंचा करने के लिये हम ऐसा कर सकते हैं। एक व्यक्ति ईमानदारी से देख ले कि उसको सफलता मिल सकती है तो वह ऐसा कर सकता है। मैं इस विषय को यहीं पर छोड़ देता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अब बाढ़ नियंत्रण के विषय पर आना चाहता हूं। मेरी यह धारणा है कि बाढ़ दो प्रकार की हैं जिसकी यहां चर्चा की जा सकती है। एक बाढ़ तो यह है कि समुद्री मौसमी हवायें चलती हैं ये हमारे यहां बाढ़ से भी दुखदायी हुआ करती हैं। पिछले साल तेज हवा ने रबी की फसल को बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा के जिलों में नष्ट कर दिया था। अगर यह फसल बाद में बोई जाय जब मौसमी हवायें चलती हैं तो वह भी बड़ा भयंकर होता है। राज्य सरकार उन पर नियन्त्रण के रूप में कोई प्रयास नहीं करती है। राज्य सरकार को इस ओर सोचना पड़ेगा कि किस मौसम में कब कौन फसल बोयी जाय, यह प्रश्न एक प्रकार से एकेडेमिक हो जाता है। मैं विरोधी पक्ष के लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य नहीं है कि हमारे जिलों में फ्लड कमेटी है, क्या माल मंत्री जी और इस राज्य सरकार की ओर से पिछले साल जिलाधीशों के पास यह सर्क्यूलर नहीं गया था कि मई के पहले सप्ताह के अन्तर्गत बाढ़ों के सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था हो जानी चाहिए।

मैं अपने जिले का हाल बताता हूं, मेरा जिला उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है, जिला बस्ती, जहां पर अनेक दरिया हैं—राप्ती है, बूढ़ी राप्ती है, सिकरी है, बानगंगा है, इन दरियाओं पर, अगर सरकार का दावा हो कि हिमालय से पानी नहीं आने पायेगा, अपने सीमित साधनों से तो अभी सरकार ऐसा करने में असमर्थ है। हां तात्कालिक सहायता देने में जो सरकार ने कार्य किया है उसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। हमारे जिले में अंग्रेजी शासन में कहावत थी कि जो बाहर कमाये वह हमारे जिले में खाये। जावा, सुमात्रा, न्यू गायना, जमैका में हमारे यहां के हजारों लोग चले गये, लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से उसने बहुत कुछ कार्य किया है। उसने नीचे मुकामों को ऊंचा करने की ओर ध्यान दिया है। नीचे के किनारे में जो बांध बांधे गये हैं वे बड़ी मात्रा में बाढ़ का नियन्त्रण कर रहे हैं।

हमारे यहां फ्लड पोस्ट कायम हुई हैं, मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि इसी साल की बात कर रहा हूं कि डिवीजन्स के कमिश्नर ने वहां जा के निरीक्षण किया, उनको ऐसा आदेश था। उन्होंने जो पहला काम किया है वह यही कि उन्होंने जिलों के अन्दर फ्लड पोस्ट को देखा है। वहां पर तैराकों की टोलियां जिन गांवों में रहती हैं वहीं पर उनका निवास रहेगा। दूसरी व्यवस्था उनके लिये दान की भी करायी गयी है, और लोगों में इस तरह के भाव उत्पन्न किये गये कि लोग उनकी कुछ सहायता करें। ऐसी अनेक व्यवस्था की गयीं।

हमारे जिले में बाढ़ से लड़ने के लिये इस वर्ष काफी तैयारी पहले से हो गयी थी लेकिन भगवान् की कृपा है कि हमको बाढ़ से लड़ना नहीं पड़ा। कछार के इलाके में दरिया से कुछ क्षति हुई है जिसके लिये राज्य सरकार से कहा गया है और स्वयं भी वह उस तरफ अपनी दृष्टि कर रही है। मेरा राज्य सरकार से यह सुझाव है कि इसको बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार के सामने जलकुंडी के प्रश्न को जोरदार शब्दों में रखे। मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली है कि एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय सरकार ने बताया कि उसने जलकुंडी के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार को कोई समुचित विचार कर के योजना नहीं भेजी है। यह एक अच्छा विचार है कि जलकुंडी योजना से राप्ती का नियन्त्रण हो जाय। यह राप्ती और घाघरा बहुत डिसेप्टिव दरिया हैं। यदि ५० वर्ष के इतिहास को देखा जाय तो मालूम होगा कि

इन्होंने बहुत भारी हानि उस इलाके की की है। राप्ती को नियन्त्रित करने के लिये कई करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से लेना पड़ेगा। हमारी सरकार के लिये यह काम करना असम्भव है। यदि हमारी प्रदेशीय सरकार इसमें प्रयास भी करे तो वह सफल नहीं होगी। हमारी प्रदेशीय सरकार ने पीछे एक नकशा बनाया था जिसमें नौगढ़ तहसील में मुहाने बाजार में कार्यक्रम के अनुसार बाढ़ के लिये बांध बनाया था। दो वर्ष के पिछले अनुभव ने यह बताया कि यह आवश्यक था।

इस वर्ष और भयंकर स्थिति वहां पर हो गयी। १०, २० गांवों में हिमालय से पानी इतना आया कि जिसने एक तरफ तो बिलकुल समाप्त ही कर दिया। हम राज्य सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने इंजीनियरों को भेजकर देखे कि उधर जो बांध बनाया गया था उसके भीतर दृष्टि डाले। उसमें कुछ दोष हो गया है। राज्य सरकार वहां पर जो तात्कालिक सहायता कर रही है, वह प्रशंसनीय है।

मुझे बहुत दुख है कि हमारे विरोधी दल के नेता ने यह बताया कि जो छूट का नक्शा वहां से बन कर आया है वह आरबिट्रेरी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने ऐसा कह कर किसानों का हित नहीं किया है। एक तो वह इस प्रकार से बन कर आता है कि कानून और कायदों से बहुत जकड़ा होता है और उस पर आरबिट्रेरी दृष्टि चौधरी चरणसिंह नहीं डाल सकते। एक तो विलम्ब से वह नक्शा तैयार होता है, लगान वसूल होने लगता है तब फिर कहीं वह नक्शा बना कर भेजते हैं।

हमारे पालीवाल जी ने आंकड़ों के विषय में आरोप लगा कर, साम्यवादी दृष्टिकोण को लेकर, यह कहा कि जो आंकड़े हैं वह बिलकुल ग़लत हैं। मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाया। आंकड़े पूरे साधन न हों तब भी कुछ सिद्धान्त की ओर संकेत करते हैं, लेकिन केवल सांकेतिक भाषण से अपने पास नक्शा बनाया नहीं जा सकता। बस इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आज इस अहम मसले पर, जो विशेषरूप से बाढ़ पीड़ित लोगों का मसला है, कुछ कहने के लिये मौका दिया।

मैं बड़े गौर से अपने माननीय माल मंत्री जी का भाषण बाढ़ नियन्त्रण और प्रदेश में अभाव की स्थिति पर सुन रहा था। अच्छा होता प्रदेशीय सरकार द्वारा नियुक्त २५ सितम्बर, १९४८ की फ्लड कमेटी और बाद में २८ सितम्बर, १९५३ में नियुक्त कमेटी के मसलों को पी० डब्ल्यू० डी० के हवाले बाढ़ योजना के सिलसिले में कर दिया गया होता। अच्छा होता, इस बाढ़ के विवाद की भूमिका हमारे बाढ़ मंत्री करते। इस समय जो भावनाओं का प्रदर्शन यहां पर हुआ, उससे मुझे तो ऐसा लगा कि हमारे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र और कटाव पीड़ित क्षेत्रों की समस्या हमारी इन भावनाओं में बह गयी और आंकड़ों के जालों में फंस गयी, जिस प्रकार से शंकर की जटाओं में गंगा लटकी रह गयी, ऐसा ही मुझे यहां महसूस हुआ। मैं बाढ़ पीड़ित भी हूं और कटाव पीड़ित भी हूं। मेरे घर के पास जब बाढ़ आती है तो कम से कम ३०-४०, मील के रेडियस में, समुद्र की तरह से पानी ही पानी होता है और यह मुसीबत गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती, बहराइच में १० वर्षों से आ रही है।

श्रीमन्, हमारे माल मंत्री जी ने बहुत से आंकड़े दिये कि कितना पेमेंट किया गया, कितना जेबर बना, कितना रुपया मनीआर्डर करके पूर्वी जिलों से बाहर भेजा गया। इस किस्म के आंकड़े उन्होंने हमारे सामने अपनी रिपोर्ट में पेश किये। मुझे दुःख है, श्रीमन्, और इस आदरणीय सदन के सदस्य होने के नाते मेरा यह हक भी है कि मैं माननीय माल मंत्री जी से यह पूछूं कि बाढ़ पीड़ित और कटाव पीड़ित क्षेत्र में कितनी लाशें मिलीं, क्या इसके लिये उनके पास आंकड़े हैं। कितनों के लोटा-थाली नीलाम हुए, क्या इसके भी आंकड़े उनके पास हैं इन बाढ़ पीड़ित और कटाव पीड़ित क्षेत्रों में कितनी लाशें बिना कफन के दफना दी गयीं, माल मंत्री जी के पास क्या इसके भी आंकड़े हैं? कितने लोग

[श्री उग्रसेन]

अपने बाल बच्चों के साथ, आबाल-वृद्ध नर-नारी अपने घरों को छोड़ कर आसाम, बाम्बे और न जाने कहां कहां चले गये, इसके भी क्या आंकड़े उनके पास हैं? श्रीमन्, इस विवाद के सिलसिले में माननीय माल मंत्री जी से इन आंकड़ों की भी उम्मीद करता था । मैं यह मानता हूं कि मैं इस सदन का नया सदस्य हूं, लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि माननीय माल मंत्री जी आंकड़ों के प्रकांड विद्वान हैं, इसलिये उनसे आज मैं गरीबी के आंकड़े भी चाहता था, भुखमरी से हुई मौत के आंकड़े भी चाहता था और उन लोगों के भी आंकड़े चाहता था जो बिना कफन फूंक दिये गये। मुझे अफसोस है कि इस विवाद में इतना समय लगा दिया गया, लेकिन बाढ़ और कटाव की असली समस्या की तरफ किसी का ध्यान भी आकर्षित नहीं हुआ।

पहले १८७१ में बाढ़ आयी थी। १९२०-२१ से फिर शुरू हुई लेकिन उसका उग्र रूप सन् ५० से आया। मेरे सामने इस समय सूचना विभाग की एक पत्रिका है उससे मैं कुछ आंकड़े पढ़ देना चाहता हूं, यह दिखाने के लिये कि हमारे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की परेशानियां, मुसीबत, बरबादी घट रही है या बढ़ रही है। माल मंत्री जी ने उन सब पर पर्दा डालने के लिये आंकड़े बतलाये और कहा कि हमारी हालत उत्तरोत्तर अच्छी हो रही है। श्रीमन्, उस समय हमारे यहां गांवों की संख्या इस प्रकार थी --

	१९५०	१९५३	१९५४	१९५५
१--बाढ़ग्रस्त गांवों की संख्या	७,०००	१४,०००	८,०००	२२,०००
२--बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का रकबा (एकड़ में) ..	२५,६०,०००	२२,४०,०००	३२,००,०००	६०,००,०००
३--बाढ़पीड़ित लोगों की संख्या	२०,००,०००	३८,००,०००	३४,००,०००	८०,००,०००
४--ध्वस्त अथवा कटे मकानों की संख्या ..	२५,०००	८०,०००	१९,०००	३,५०,०००
५--बह गये और मरे मनुष्यों की संख्या ..	१२८	२३	२७	७७

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। माननीय सदस्य को गवर्नमेंट के किसी आंकड़े पर तो विश्वास नहीं है, लेकिन जो आंकड़े उन्होंने अब रखें हैं इससे साबित हो गया कि उनको इस आंकड़े पर विश्वास है।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, मैं अपने आंकड़े देना नहीं चाहता क्योंकि माननीय मंत्री जी हमारे आंकड़ों पर विश्वास नहीं करेंगे । मसलन् सन् ५५ में ४०, ५० करोड़ रुपये का नुकसान इस प्रदेश में हुआ और ८० लाख लोग बाढ़ से पीड़ित रहे, यह सरकारी आंकड़ा है जब कि सही आंकड़ा यह है कि इस प्रदेश की एक तिहाई जनसंख्या बाढ़ से पीड़ित थी। श्रीमन्, कोई भ्रम न हो इसलिये मैंने सरकारी आंकड़े को बतलाना ही उचित समझा। मैं सन् ५६ की बाढ़ के बारे में कह रहा था । उस साल बाढ़ के दो दौर हुए। एक दौर तो वर्षा होने पर ही हुआ। सन् ५४ में जितनी वर्षा हुई थी उससे दुगुनी वर्षा अब की बार हुई। १-६-५५ से ७-१०-५५ तक पूर्वी जिलों में हर जगह फैजाबाद वगैरह में दुगुनी वर्षा हुई और वहां बड़ी जबरदस्त बाढ़ आयी।

सरकार ने कुछ काम किया, उसको मैं इंकार नहीं करना चाहता। काम हुआ, उसमें कुछ टेस्ट वर्क का काम भी शुरू हुआ था और प्रदेश के राजस्व का पैसा टेस्ट वर्क में लगा और

में यह मानने के लिये और कहने के लिये तैयार हूं कि उस समय जो टेस्ट वर्क हुआ उससे लोगों को काफी राहत मिली लेकिन अफसोस है कि हमारी सरकार और सरकार के मंत्री लोग, जो सम्बन्धित हैं, वे टेस्ट वर्क कराना नहीं चाहते। सरकारी बेंच की तरफ से बहुत कहा जाता है कि उसमें काफी भ्रष्टाचार हो जाता है, टेस्ट वर्क ठीक नहीं है। श्रीमन्, टेस्ट वर्क के माने यह हैं कि उससे तात्कालिक रिलीफ मिलती है। मैं माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो देवरिया जिले में टेस्ट वर्क चला उसमें कितने मजदूरों ने काम किया, किन किन सड़कों पर काम किया और उनको कितनी मजदूरी मिली। सलेमपुर में भी टेस्ट वर्क हमारे माननीय कांग्रेस विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में खुला और वह ४, ६, ७, १० दिन चलने के बाद बन्द कर दिया गया। माननीय गेंदासिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में भी टेस्ट वर्क खुला जहां काम करने के लिये आठ-आठ, दस-दस हजार आदमी रोज आते थे, अहरौली-पीपराडाम अमवांखास रोड पर, लेकिन वहां पर जल्दी ही काम खत्म कर दिया गया और मजदूरों को कह दिया गया कि अब बरसात आ गयी इसलिये काम बन्द हो गया है, अब जाओ और भूखों मरो। आज हम सरकार से टेस्ट वर्क के लिये मांग करते हैं कि पूर्वी जिलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिये वहां टेस्ट वर्क खोले जायं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में २ करोड़ ६३ लाख रु० बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कुछ स्कीमों पर खर्च हुआ। मैं चन्द स्कीमों के नामलेना चाहता हूं जिनके लिये प्रदेश के बाढ़ विभाग की तरफ से काम किया गया है। नारायणी बांध बनाने के बाद भी ८ मील नैपाल में बाकी रह गया। अगर वह नैपाल तक नहीं जायगा तो छोटी गंडक अपने पानी से उसको तोड़ देगी और उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जलकुंडी योजना के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह योजना बहुत जल्द सरकार अपने हाथ में ले। श्रीमन्, मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है 'मैन अगेन्स्ट फ्लड बाई रेवी ऐले'। इसमें क्या दिया हुआ है कि किस तरह से चीन में टाइपिंग काऊ सिकियांग फ्लड डिटेंशन बेसिन में पानी का कंट्रोल किया गया और इस तरह से चुंकिंग से जो पानी चलता था उससे बहुत सा हिस्सा, जो बह जाता था उसे बचा लिया गया है। वहां पर पानी डिटेन कर लिया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तब उसे खोला जाता है और इस तरह से वहां पर बहुत बड़ी उपज बढ़ गयी है। अगर कोई माननीय सदस्य इस किताब को देखना चाहें तो वे मेरे पढ़ने के बाद इसे ले कर देख सकते हैं। चीन में इसके बनाने पर ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च हुआ है। हां, उनका श्रम जरूर ज्यादा लगा है। जिस तरह से सीक्यांग फ्लड डिटेंशन बेसिन का रूप है उसी तरह से जलकुंडी योजना को भी सरकार अपने हाथ में ले जिससे राप्ती, नारायणी की जो सहायक नदियां रोहिनी, गुर्रा, मझने, कठने, कुरना, खनुवा हैं वे उस एरिया को अपने पानी से बहा न सकें।

श्रीमन्, सरकार ने फ्लड कमेटी बिठाई थी जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, उस की रिपोर्ट मौजूद है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे माल मंत्री जी ही उसके चेयरमैन थे, वह २८ सितम्बर को रिकांस्टीट्यूट हुई थी। जो सिफारिशें उस कमेटी ने की थीं उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और सदन से अपील करता हूं कि वह देखे कि वह कहां तक लागू की गयी हैं। रिपोर्ट में है कि 'ए २४ आवर सेन्ट्रल आफिस शुड बी ओन्पेड एट लखनऊ"। मतलब यह है कि कम से कम बाढ़ के ३ माह के लिये लखनऊ में एक केन्द्रीय दफ्तर बाढ़ की खबरों के लिये खोलना चाहिये जहां से वार्निंग आदि भेजी जा सकें। और उसी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश थी कि ऐसे खतरों का हाल भेजने के लिये रेडियो सेट्स भी रखे जायं ताकि वायरलेस से खबर पहुंचाई जा सके। आगे एक सिफारिश यह भी की गई थी कि गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर और बलिया जिलों में एक-एक रेडियो इक्विप्ड पेट्रोल बोट रखी जायं। वहां के लोगों की मारेलिटी और चारित्रिक बल को उठाया जाय। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या काम हुआ है।

(इस समय ५ बज कर ४८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां, पीठासीन हुये।)

[श्री उग्रसेन]

हम आशा करते थे कि माननीय माल मंत्री जी अपने भाषण में बतायेंगे कि उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में यह यह काम हुए हैं। मैंने अभी चीन की किताब को कोट कर के सदन को बताया कि किस तरह से वहां बाढ़ को रोकने का काम किया गया, कैसे वहां के लोगों की मारल कैपेसिटी को बढ़ाया गया, कैसे उनका चारित्रिक बल बढ़ा। इसमें लिखा है कि बड़े से बड़े इंजीनियर से लेकर फावड़ा कुदाल वाले आदमियों तक, सबने मिलकर डाक्टर, प्रोफेसर, स्टूडेंट, लाइयर, सबने मिल कर, कोआर्डिनेशन के साथ काम करके अपने काम को एक यूनिट की तरह पूरा किया। किस तरह से उन लोगों ने अपने मारल को ऊंचा उठाया और अपनी हमेशा की मुसीबत को दूर किया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी चीन के इस दृष्टान्त से लाभ उठाकर अपने यहां के लोगों का मारल स्टैन्डर्ड ऊंचा करने की कोशिश करेंगे और सब ताकतों को कोआर्डिनेट करके इस तरह के कामों के करने में सफल होंगे। परन्तु मुझे अफसोस है कि जिस कमेटी के चेयरमैन माननीय माल मंत्री स्वयं थे उस फ्लड कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को भी कार्यान्वित नहीं किया गया। योजना की बात कही जाती है और कहा जाता है कि एक मील में एक करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फैजाबाद से सरयू के मुहाने तक की २०० मील के कटाव का सर्वे हुआ लेकिन वह योजना आज तक केन्द्रीय सरकार को भेजी तक नहीं गयी। आज हम बड़ी-बड़ी योजना बनाते हैं लेकिन आज से ५० साल पहले लकड़ी का बांध बनाकर सरजू की धारा को रोका गया था, राप्ती के छोटे-छोटे कटावों को छोटे-छोटे लकड़ी के बांध बना कर रोका जाता है, यह इतिहास बताता है और माननीय कमलापति त्रिपाठी जी इस चीज को जानते हैं कि किस तरह से पानी इन लकड़ी के बांधों से रोका जा सकता है। हमारे मित्र श्री केशव पांडेय ने लोगों को महाराजगंज में जमीन देने की बात कही, लेकिन आज तक किसी को कोई जमीन नहीं दी गयी। कहा जाता है कि मारेलिटी ऊंची की गयी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, इस वादविवाद का श्रीगणेश माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया है और अब उस पर विचार हो रहा है और जो प्रश्न आज उठाये गये हैं उनका उत्तर भी सन्तोषजनक ढंग से और प्रभावपूर्ण ढंग से देने की शक्ति भी उन में है। मुझे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि मैं इस वादविवाद में पड़ता और सदन का समय लेता, पर यह आवश्यक इसलिये हुआ कि मैं स्वयं उन्हीं इलाकों का रहने वाला हूं जहां बाढ़ बहुत आया करती है और मैं तो व्यक्तिगत रूप से अपने जिले के उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं जो क्षेत्र प्रति वर्ष बाढ़ से ग्रस्त हुआ करता है।

(इस समय ५ बजकर ५१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पुनः पीठासीन हुए।)

इसके सिवा बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं। गत तीन चार वर्षों में बाढ़ नियन्त्रण की जो योजनाएं हमारे प्रदेश में चलीं उनका कुछ थोड़ा सा सम्बन्ध जहां तक उनके कुछ निर्माण सम्बन्धी कार्यों से था, वह मुझसे था, क्योंकि वह विभाग मेरे पास था जो बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए निर्माण सम्बन्धी कार्य करता रहा। तो मैंने आज बड़े ध्यान से सारा विवाद सुना। मुझे स्मरण आता है यदि मैं गलती नहीं करता कि तीन चार महीने के बीच में अधिष्ठाता महोदय, शायद तीसरी या चौथी बार यह वाद-विवाद हो रहा है। कभी सूखा पर हुआ, कभी फूड सिचुएशन के नाम पर हुआ। एक बार मैं समझता हूं कि पहले बाढ़ पर विवाद हो चुका है, महीने डेढ़ महीने पहले, और फिर यह रखा गया। कुछ हमको आदत सी होती जा रही है कि बाढ़ का विवाद शुरू करें।

श्री त्रिलोकी सिंह—बाढ़ पर इधर तीन चार महीने के अन्दर कब विवाद हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि नहीं हुआ तो मैं भूल स्वीकार करता हूं। मुझे स्मरण आता है कि एक दिन फ्लड के ऊपर विवाद हुआ था। खाद्य के ऊपर, ड्राट के ऊपर और फ्लड के ऊपर शायद शुरू में ही बरसात आने के पहले हुआ था।

श्री अधिष्ठाता—नहीं। इस सदन में नहीं हुआ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—तो खाद्य पर एक बार हो चुका है और एक बार यह हुआ और बजट पर तो हुआ ही। एक महीना बजट चला है। पूरी बात हुई। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कुछ आदत होती जा रही है कि कुछ समय निकाल कर इस प्रकार के प्रश्न पर विचार करें। फिर उसमें कुछ वैसे भाषण हों जैसे हमारे भाई उग्रसेन जी ने दिया। मैं आंकड़े चाहता हूं, मुर्दों के। मैं आंकड़े चाहता हूं भुखमरों के। मैं आंकड़े चाहता हूं हड्डियों के। मैं आंकड़े चाहता हूं टूटी हुई खोपड़ियों के। एक विनाश, स्मशान, महा विध्वंस और महा सत्यानाश का कोई रूप इस प्रदेश में व्याप्त हो गया है जिसके आंकड़े जानना चाहते हैं। इस प्रकार के भाषण यहां हो जाया करें, मैं नहीं समझता, कहां तक उचित है। बाढ़ आयी नहीं भगवान की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से अब के कहीं बाढ़ आयी नहीं। फिर भी हमारे आदरणीय सदन में बाढ़ घनघोर प्रवाहित होती है। बहरहाल, मेरा कुछ सम्बन्ध बाढ़ नियन्त्रण योजना में रहा है।

शुरू ही में हमारे नारायणदत्त जी ने हमारे भाई राजस्व मंत्री जी का व्याख्यान सुन कर कुछ परेशानी जाहिर की। कुछ अपनी कुर्सियों में कुनकुनाने से लगे। यह परिधि के बाहर जा रहे हैं। बाढ़ से सम्बन्ध खाद्य का भी है और खाद्य नष्ट होता है तो अभाव पैदा होता है। हमको सिद्धांतों पर बहस करने की आवश्यकता हो जाती है। सत्याग्रह और अनशन हो सकता है या नहीं, यह सब एक दूसरे से सम्बन्धित विषय हैं। तब वह कुछ थोड़े से परेशान से हुए। इसमें बाढ़ नियन्त्रण पर बहस है। जो आप का ऐडजर्नमेंट मोशन था उसमें कुछ खाद्य का भी सम्बन्ध था। तो कुछ ऐसे भ्रम में हुआ—तुलसीदास जी का एक दोहा है—

हरित भूमि तृण संकुलित, समुझि परै नहीं पंथ।
जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होहिं सद्ग्रंथ।।

श्री बंशीधर शुक्ल—इस कांग्रेसी राज्य में....

श्री कमलापति त्रिपाठी—आप जरा सुनते रहिए, शुक्ल जी तो कलाकार हैं और कवि हैं। उनकी प्रतिभा का मैं सामना नहीं कर सकता। मुझे कुछ अपने विचार बहुत नम्रता-पूर्वक निवेदन करने देना चाहिए। मैं उनकी प्रतिभा का बहुत दिन से कायल हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि वह प्रश्न ही कुछ गायब हो गया। अब मैं किस चीज पर कहूं, कुछ थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। बाढ़ नियन्त्रण में एक-एक बात कहता चलता हूं। हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी बैठे हुए हैं, इनको आज अपने कान और दिमाग पर कुछ भरोसा खो गया। दो, तीन बार कहा, कहिये तो सिविल सार्जन का सर्टिफिकेट पेश कर दूं कि मेरे कान और दिमाग ठीक हैं? आपको अपने सम्बन्ध में यह भ्रान्ति क्यों पैदा हो गयी? मुझे कभी इस बात में संदेह नहीं रहा कि आपके कान, दिमाग और जुबान दुरुस्त हैं, बिना आपके कहे हम आपकी बात मानते हैं। अब तो प्रश्न केवल इतना है कि आपने विवाद छेड़ा और राजस्व मंत्री जी के बाद आप बोले, तो आपने कौन सुझाव दिया? आपने कहा कि साहब तुम्हारी स्कीम्स कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, इससे हमारा सम्बन्ध है। ठीक बात है, हमारा भी इससे सम्बन्ध है। हम तो एग्जीक्यूटिव हैं ही, स्कीम्स भी बनाते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। आपका भी सम्बन्ध है। आपने पूछा कि फलाने गांव में किस तरह से काम हुआ। हुजूरवाला, हमारे प्रदेश के १९ जिले तो ऐसे हैं जिनको

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

राजस्व मंत्री जी ने बताया कि प्रति वर्ष बाढ़ से ग्रस्त हुआ करते हैं। अब उनमें कितने गांव ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त हुआ करते हैं, इन सबका आंकड़ा अगर राजस्व मंत्री जी पेश करेंगे.....

श्री त्रिलोकी सिंह---मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा कि कितने गांव ग्रस्त हुए। मैंने एक गांव की मिसाल दी जो गांव मंत्री जी के घर से स्टोन थ्रो डिस्टेंस पर है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय मंत्री का घर तो काशी में है। यहां तो मैं आपका मेहमान हूं और आपकी कृपा से निवास कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपने एक गांव का नाम लिया कि उसमें क्या स्कीम ऐग्जीक्यूट हुई और उस गांव के बारे में आपने कौन से आर्डर्स दिये। अब आंकड़े अगर पेश करने लगें कि कितने गांव और मकान ध्वस्त हुए तो आप आंकड़ों के नाम से अकड़ने लगते हैं। इटौंजा में क्या किया, उन्नाव में क्या किया, बनारस के औरंगाबाद मोहल्ले में क्या किया, दशाश्वमेध घाट में क्या किया? तो इस तरह से अगर आंकड़े दिये जायं तो ३६५ दिन यही होता रहेगा। आपको शौक हो किसी गांव के संबंध में, आप प्रश्न कर सकते हैं। जो आर्डर्स उनके इश्यू हुए, जो काम किया गया उसकी रिपोर्ट आपके सामने है। अब उनमें अगर आपको कहीं कोई कमी दिखती है तो आपको पूरा अधिकार है और आपकी बात हमको सुननी भी चाहिये, उस कमी को हमें दिखायें कि स्कीम एग्जीक्यूट हुई या नहीं। हम कहते हैं यह स्कीम्स एक्जीक्यूट हो रही हैं, इतना काम किया है, हम देखते हैं, हम काम कर रहे हैं।

फिर भाई यादवेन्द्रदत्त जी भी मेरे छोटे हैं, नये-नये आये हैं सदन में। तो कोई देखने वाला भी है कि स्कीम ऐग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं? तो कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको न दिन में दिखाई पड़ता है न रात में और उधर भी निवास करते हैं। तो मैं क्या करूं, उसका कौन सा इलाज है? हम देखते तो हैं कि स्कीम हमारी चल रही है, एक्जीक्यूट भी करते हैं। जितना काम किया है उसकी रिपोर्ट मौजूद है। आप कोई सुझाव तो नहीं देंगे।

कहा गया लांग टर्म सुझाव नहीं रखा गया। आपको कदाचित् पता नहीं कि लांग टर्म सुझाव है और शार्ट टर्म कार्यवाही भी कर रहे हैं। उन स्कीम्स को आप देखें। आपने उनका अध्ययन नहीं किया और आज कहते हैं लौंग टर्म प्लान आपके पास नहीं है। नदियों के पानी को प्रयोग में लाने की कोई प्लान आपके पास नहीं है। उसका भी हम काम कर रहे हैं। हम बेतवा नदी के पानी का प्रयोग कर रहे हैं जिससे वहां बाढ़ न आये और वह पानी सिंचाई और बिजली के लिये काम में आ रहा है। हम शारदा नदी के पानी का प्रयोग कर रहे हैं, नहर में भी और बिजली भी पैदा कर रहे हैं, कई पावर हाउसेज बनाने की भी हमारी स्कीम है। जलकुण्डी का बार-बार नाम लिया जाता है। जलकुण्डी स्वयं ऐसी है। गंगा की इतनी बड़ी नहर बनी हुई है। उसके पानी का प्रयोग होता है और आठ या नौ उसके ऊपर पथरी को लेकर के शायद और ज्यादा आज बिजली के कारखाने बने हुए हैं। अब जानोगे नहीं? चीजों को देखोगे नहीं?

घाघरा और राप्ती के कंट्रोल के लिए पिछले तीन वर्षों में इस प्रदेश की सरकार ने पूरा सर्वे कराया है और पूरी उसकी स्कीम बनायी है। राप्ती और घाघरा की ट्रेनिंग के ऊपर कई करोड़ रुपये का खर्चा है कि किस तरह से राप्ती से कटाव रोका जा सकता है और घाघरा से भी किस प्रकार कटाव रोका जा सकता है। बाढ़ किस प्रकार उससे रोकी जा सकती है। बाढ़ का मतलब बाढ़ से नहीं बल्कि जितना ध्वंस बाढ़ से होता है, वह किस प्रकार रोका जा सकता है, क्योंकि बाढ़ तो हमारे भाई त्रिलोकीसिंह जी ने जैसा कहा, कि कोई आदमी की करामात नहीं है, न एकदम से उसको रोक लेना उसके हाथ में है। पर उसकी कठिनाइयों, उसकी मुसीबतों से लोगों को बचाने का कुछ प्रबन्ध किया जा सकता है। तो उसकी ट्रेनिंग की हमारी स्कीम्स मौजूद हैं, किस प्रकार हम छोटी-छोटी

नदियों को ट्रेन करके बाढ़ को रोक सकते हैं। लांग टर्म प्लान मौजूद है। स्वायल कंजर्वेशन की हमारी स्कीम्स चल रही हैं। नदियों के कैचमेंट एरिया में लाखों एकड़ में हम पेड़ लगवा रहे हैं जिससे कि नदियों की बाढ़ को रोक सकें, उनको कंट्रोल कर सकें। यह स्कीम्स हमारी चालू हैं।

फ्लड कमेटी सन् ४८ में बनी। उसकी रिपोर्ट आयी। आज फ्लड कंट्रोल बोर्ड कायम है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लड कंट्रोल बोर्ड मौजूद है।

दर्जनों स्कीम्स चालू हैं और दर्जनों स्कीम्स के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। अब आप कहें कि आप की कोई स्कीम नहीं, कोई योजना नहीं। गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए कोई योजना नहीं है। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना पूरी हो गयी, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपनी समझ के मुताबिक, दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी चल रही है। दुनियां का एक सब से बड़ा प्रयोग है। दुनिया के किसी देश में वहां की राजनीतिक सत्ता ने जिसकी बुनियाद लोकतन्त्र रही हो, इस प्रकार की योजना चलायी नहीं है, जो आज अपने देश में चल रही है। यह प्लानिंग शब्द जो है, प्लानिंग का जो नाम आया है वह प्लांड इकानामी, कंट्रोल्ड इकानामी के अर्थ में आया है और वह स्टेट के हाथ में ही सारी सत्ता के लाने से हुआ है, जहां कहीं भी हुआ है। हमारे यहाँ हमने प्लानिंग की है लोकतन्त्र के आधार पर सत्ता को स्थापित करके और आज अपनी दूसरी योजना चला रहे हैं। कमजोरियां हो सकती हैं। हम सर्वज्ञ नहीं हैं। हमारे पास साधन पूरे नहीं हैं। जितना हम करना चाहते हैं, उतना कर नहीं पाते। यह सारी बातें हो सकती हैं। यह योजना है ही उस लक्ष्य को लेकर के कि हम अपने देश की गरीबी को दूर करें, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करें, शोषण से उन्हें मुक्त करें और आप कहते हैं कि कोई लांग टर्म योजना ही नहीं है। तुम इस दिशा में कोई काम ही नहीं कर रहे हो। तो इन बातों पर तो मुझे मान्यवर, एक श्लोक याद आता है। मैं चाहता हूं हमारे भाई विरोधी दल के नेता जरा ध्यान दें मेरी तरफ। हमारे देश में तर्क का, विवाद का भी एक बड़ा भारी स्थान रहा है। एक तर्कशास्त्र में एक जगह यह कहा गया है कि अगर तुमको अपने विरोधी से विवाद में जीतना ही हो, चाहे किसी भी प्रकार अगर तुम जीतना ही चाहते हो तो कौन सी नीति ग्रहण करनी चाहिए—

"न भेतव्यं, न बोधव्यं, न श्रोतव्यम्।"

अगर तुम जीतना चाहते हो अपने विरोधी के ऊपर, तो उसमें यह काम करो। तुम डरो मत कि तुम सच कह रहे हो या गलत कह रहे हो, क्या कह रहे हो, उसके ऊपर न सोचो। बोलते चलो। न बोधव्यम्। दूसरे की बात को समझने की भी कोशिश मत करो। न श्रोतव्यम्। अच्छा तो यह है कि उसकी बात को सुनने की कोशिश न करो। तो करो क्या? अगर तुम अपने प्रतिद्वन्दी से जीतना चाहते हो तो जो कुछ भी बात समझ में आये धड़ाधड़ कहते चलो। तो इस प्रकार का विवाद व्यर्थ सा हो जाता है और विचार विमर्श से किसी सिद्धांत पर पहुंचना नहीं होता और तथ्य की बात गायब हो जाती है।

पूर्वी जिले, पूर्वी जिले बार-बार चिल्लाया जाता है, बनारस-गोरखपुर की कमिश्नरी कहिये। माननीय त्रिलोकीसिंह जानते होंगे कि पिछले ३०–३२ वर्षों से मुझे भी उनके साथ उस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता रहा है। किसी स्थान को जानते न हों ऐसी बात नहीं हो सकती। एक एक चप्पा जमीन से हम परिचित हैं। वहां के आदमियों से परिचित हैं। वह बाढ़ का क्षेत्र रहा है, बड़ी आबादी का क्षेत्र रहा है, गरीबी का क्षेत्र रहा है, इसमें किसी को कोई सन्देह नहीं है। पिछले ५–६ वर्षों से, जब से यह योजना चली, तब से इस प्रदेश की सरकार ने और इस प्रदेश की जनता ने—जो उस अंचल के निवासी नहीं हैं—उन्होंने जिस प्रकार उस पूर्वांचल की सहायता और सेवा करने का संकल्प किया और व्रत लिया और उसे कार्यान्वित किया, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, बिना किसी हठ अथवा दुराग्रह के, कि वैसी मिसाल इस देश में किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती। करोड़ों रुपया उस पर खर्च हर वर्ष हुआ। आप आज एक वर्ष की छूट को

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बात सुन रहे हैं। राजस्व मंत्री जी से पूछिये ४७ से लेकर ५७ तक कितनी छूट हुई, कितनी रिलीफ दी? आप आंकड़ों से घबरायें नहीं। कितना टेस्ट वर्क्स पर दिया और पूछिये सिंचाई सम्बन्धी कार्यों पर कितना खर्च किया, पी० डब्ल्यू० डी० पर कितना खर्च किया, कितनी गल्ले की दूकानें खुलवाई गयीं और हर साल ५१ से लेकर ५५ तक उस पर लगातार सरकार कितना नुकसान उठाती रही है, वह कितना नुकसान था, अगर यह सब के आंकड़े एकत्रित किये जायंगे तो वह एक अपरिसीमित और अकल्पित रकम हो जायगी। अब भुखमरी बढ़ती जा रही है। लोग बिना कफन के मरते चले जा रहे हैं। मैं भी हर जिले में घूमता रहा हूं। मैं उग्रसेन जी से कहता हूं कि कितनी ही उग्र बुद्धि उनकी हो, भले ही वे घूमते रहे हों.....

श्री उग्रसेन--अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं.....

श्री कमलापति त्रिपाठी--आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। मेरे कहने में कुछ विघ्न-बाधा डालने की चेष्टा न करें।

श्री उग्रसेन--मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मुझे मिसकोट कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--आप बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन--तो मुझे बाद में मौका दिया जाय क्योंकि माननीय मंत्री मुझे मिसकोट कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--बाद में मौका मिल जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--भाई यादवेन्द्रदत्त जी कह रहे थे कि तुम्हारी और राजस्व मंत्री की राय में भेद है। भेद उनकी ही बुद्धि में है। भेद उनको कहां दिखाई पड़ा? हमने भी कहा, उन्होंने भी कहा और अगर न कहा होता तो करोड़ों रुपया छूट क्यों देते? जहां २ करोड़ १९ लाख में से १ करोड़ ५५ लाख की छूट दे दी जाय, जहां लाखों मन गल्ला पिछले साल भर से बट रहा हो और टेस्ट वर्क्स चलाये गये हों, वहां की स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए हमारे राजस्व मंत्री जी ने यह किया था। हमारे भाई त्रिलोकीसिंह जी कहते हैं कि यह चीज आर्बिट्रेरी थी। यह कह कर उन्होंने क्या हित किया है? अगर कभी आर्बिट्रेरी करने की आवश्यकता थी तो उसी समय थी जब कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया है-- अगर वह आर्बिट्रेरी है? जब कि रिपोर्ट यह हो कि १२ आने का नुकसान नहीं हुआ है और ३३ फीसदी, २९ फीसदी, और ३४ फीसदी वह स्वीकार करते हैं कि नुकसान हुआ, तो ऐसी हालत में एक पैसा भी उनको छूट नहीं मिलती कायदे और कानून के मुताबिक, लेकिन उसको तोड़ कर के उस जगह इर्रेगुलेरिटी कमिट की और अपने अधिकार का प्रयोग कर के करोड़ों रुपया उन्होंने छूट दी है। तो वह तो धन्यवाद के पात्र हैं, जवाब तलब करने के पात्र नहीं हैं, आपने जवाब तलब कर दिया। इससे क्या आप सेवा वहां की जनता की करेंगे? इस प्रकार से तो अगर अगली रिपोर्ट ऐसी आयी तो छूट नहीं मिलेगी, बन्द होगी। यह कौन सा तर्क है? यह कुतर्क है और कुतर्कों पर जो आरूढ़ होते हैं तो उनसे सेवा प्रदेश की नहीं हो पाती है। तो मैं आप से निवेदन करता हूं--यह सत्य है कि स्थिति गम्भीर है, हमने भी कहा और हम तो उस गम्भीर स्थिति के परिहार की चेष्टा कर रहे हैं। राय इस सम्बन्ध में क्या दो होंगी? लेकिन हमारी राय आप से भिन्न है इस सम्बन्ध में कि आप जो चीज सामने होती है, उसे देख कर भी इंकार करते हैं, तो "दिवांधः प्राणिना केचित रात्रा वंधास्तथापरे"। तो आप को देखते हुए भी प्रतीत नहीं होता। जो चीजें मौजूद हैं उन्हें देखते हुए भी आप स्वीकार नहीं करते।

जहां तक हमसे संभव हो सकता है वह हम करने की भरसक कोशिश करते हैं। यह कहना कि कुछ नहीं हो रहा है, यहीं हमसे आप का विरोध हो जाता है। अनशन हो चाहे सत्याग्रह, मैं किसी अपने सम्मानित मित्र के किसी एक संकल्प, विचार और उसके अनुसार काम करने के ढंग के विषय में कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि अतिरंजन से हम अपने केस को खराब करते हैं, बनाते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के वे हिस्से, जिन की आज सेवा करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है और सेवा कर रही है, उसे यदि हम निगेट करें और यह कहें कि वह तथ्य नहीं है और तत्व नहीं है तो उससे तो सारे प्रदेश के रहने वालों की हिम्मत टूटेगी, बढ़ेगी नहीं। हम भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है और उनकी सेवा के लिये जो कार्य हो रहा है वह कितना हो रहा है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से, सारी कल्पना से, साधनों से, विश्वास से और निष्ठा के साथ यह सरकार इस प्रदेश के उस हिस्से के लिये कार्य कर रही है और जितना उनको करना चाहिये वह कर रही है। उसी अंचल की नहीं, जितने भी हमारे अंचल हों, उनकी सेवा के लिए प्रयत्न कर रही है। आज अगर इस तरह का प्रश्न उत्पन्न करें जैसे कि सत्याग्रह के नाम पर उत्पन्न होते हैं तो उससे हम इस काम में बाधा ही अधिक डालेंगे। मान्यवर, अगर पालीवाल जी होते तो मैं भी जैसा कि उन्होंने कहा था, उनके लिये कहता कि "क्षमा बड़ेन को चाहिये..." क्योंकि वे हमसे बड़े हैं। लेकिन वह नहीं हैं। खैर, वह बात मस्तिष्क से भी उतर गयी।

तो मैं कह रहा था कि जितने की आवश्यकता है उतना कार्य हो रहा है और बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। कहीं कोई शिकायत रह गई हो, जैसा आपने कहा कि उसको ऊंचा नहीं किया गया। सैकड़ों गांव मैंने देखे हैं जिनको ऊंचा किया गया है। हो सकता है, कुछ नहीं किये गये हों। आपने कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं जिन को ऊंचा कर दिया गया है और वह गांव हैं ही नहीं। राजा साहब ने दो एक गांवों के नाम भेजे हैं कि यह ऊंचे हुए हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिलाया गया। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो आप सरकार को बताइये वह उसकी जांच करे। हमारा और आप का काम है कि अगर ऐसी गलती हुई है तो उसका सुधार करें, परिहार करें। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। एक-आध जगह अगर ऐसी कार्यवाही हुई हो, जैसा आप कह रहे हैं, तो हुई होगी, तो इसकी वजह से तीन हजार गांव ऊंचे कर दिये गए जिसको देखने के लिये दिल्ली से आदमी आये और अमेरिका के पत्रों में छपा कि इन्होंने अपने यहां तात्कालिक रिलीफ देने की कोशिश की है, विदेशी पत्रकार जिन को देखने आये हैं, उसका कोई नाम ही नहीं है। मेरी प्रार्थना यह है कि इससे काम चलने वाला नहीं है।

सत्याग्रह की बात मैं कहने जा रहा था। बार बार विनोबा जी और गांधी जी का नाम लिया गया। विनोबा जी और गांधी जी तो प्रमाण हैं। उनके नाम लेने के विरोध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन बुद्धि और विवेक यह कहता है और मैं मानता हूं और सत्याग्रह में काम करने का अवसर मुझे मिला है। गांधी जी के नाम लेने की आवश्यकता पर तो बड़ा भारी शास्त्रार्थ हो सकता है, लेकिन मैं तो एक बहुत साधारण बुद्धि का कार्यकर्ता हूं और मैं समझता हूं कि जिस प्रदेश में लोकतंत्र की पद्धति स्थापित हो और उस को उलट देने का अधिकार जनता को प्राप्त हो, जिस जगह मनुष्य को अपने विवेक, बुद्धि और वाणी के अनुसार अपने भावों का प्रगट करने का अधिकार हो, और जिस जगह की व्यवस्था और कानून जनता के प्रतिनिधि बनाते हों और जब चाहें तब बदल दें, वहां सत्याग्रह करने और कानून के तोड़ने का अधिकार न हो, अगर वहां तोड़े जायेंगे तो भी आप का जनतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। पहले कानून का पालन करना अपना कर्त्तव्य मानें तब अधिकार का भोग हो। इसके बिना जनतंत्र और लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। आप को अधिकार है कि आप कानून बदल दें। गांधी जी ने कहा है कि "सत्याग्रह इज ऐन अफेक्टिव सब्स्टीट्यूट फार आर्म रिबेलियन"। शस्त्रों के द्वारा विद्रोह कर के जो सरकार नष्ट की जाती है उसका यह एक प्रभावकारी पर्याय है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मैं पूछता हूं कि जहां जनतंत्र स्थापित हो और उसकी स्थापना इस बात की हो कि जनता जब चाहे बदल दे और जिस तरह से चाहे बदल दें, शान्ति से मूड़ गिनकर, तोड़कर नहीं। यह लोकतंत्र का कार्य है, व्यावहारिक जीवन के संचालन की दृष्टि से, समाज को संगठित रखने की दृष्टि से, हम लोग कानून को तोड़ने की प्रवृत्ति करें और अव्यवस्था कर दें तो जो सरकार होती है उसे लोभ होता है कि उसे रोके, तो इस प्रकार शक्ति, प्रबन्ध के औचित्य को सिद्ध करती है और जब शक्ति का केन्द्रीयकरण होता है तब फिर एक तरफ तो समाज की ओर से और दूसरी तरफ शक्ति से, इन दोनों के बीच जनतंत्र पड़कर, वह जीवित नहीं रह सकता है। इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि धमकी के लिये, सत्याग्रह के लिये कोई स्थान नहीं है आप के सामने विचार परिवर्तन का क्षेत्र है। कहीं अगर भूलचूक हो रही हो, कर्तव्यों से कोई विचलित हो रहा हो तो फिर जन समाज में जा कर उस के विचारों को परिवर्तित करने और अपने भावों को उसके दिल में बिठाने का क्षेत्र है। इस ढंग से यह लोकतंत्र चलता है। इस दृष्टि से कहा जाता है कि यहां सत्याग्रह के लिये कोई स्थान नहीं है। जिस सत्याग्रह का प्रयोग एक विदेशी, निरंकुश, अनुत्तरदायी और पाशविक सत्ता के विरुद्ध किया गया उसका आज अपने देश में जनसमाज द्वारा चुन कर आयी हुई सरकार के विरुद्ध प्रयोग करना, मैं समझता हूं, असंगत है और व्यावहारिकता का विनाशकारी है।

अब मैं आप का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं और मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि भगवान की कृपा से हमारे यहां अब की, अभी तक बाढ़ नहीं आयी। हमें मंगल की ही कामना करनी चाहिये। यहां की जनता अपने अधिकारों की सुरक्षा करने में रत रहे, यहां का प्रत्येक नर-नारी अपने कर्त्तव्यों के पालन में अपनी समुचित शक्ति लगाये, जहां कहीं जनता के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न होगा उसका परिहार होगा, इस देश में यह शक्ति है। यह कामना आप अपने मन में करें। आपकी इस कामना से यदि हम भी कहीं गलत होंगे तो सही हो जायंगे। आप की इन भावनाओं से हमारा भी थोड़ा बहुत पवित्रीकरण हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं। आप यहां बैठ कर मंगल की कामना करें हड्डियों और मुर्दों को गिनने की चेष्टा न कीजिये। यहां पर बैठ कर इस प्रदेश की समस्याओं को हल करने की चिन्ता कीजिये। आज यह सरकार जनशक्ति के साधनों के साथ जहां कहीं प्रदेश में किसी को संकट हो उसकी सेवा कर रही है। उसे आप देखें और जहां कहीं कमी हो उसका आप परिहार भी करायें और साथ-साथ लोगों के हृदय में यह बात भी बिठायें कि अगर प्राकृतिक आपत्तियां आयें तो उनका दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिये। हमारे किये कुछ नहीं हो सकता, आत्मविश्वास को खो देने से आदमी में जो व्यक्तित्व का एक गौरव होता है उसे भुला कर के एक और प्रकार से अपनी शक्ति को खो देने से हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। हमारा इतना ही आज सब से बड़ा कर्त्तव्य है। फिर जो शक्ति और साधन हैं उन्हें प्रयोग कराने के साधन आपके हाथों में हैं। अब तो मुख्य मंत्री जी ने एक कमेटी भी बना रखी है। उसमें आप अपना परामर्श और सुझाव दे सकते हैं और जिस प्रकार आप के साधनों का उपयोग हो रहा है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मूल बात यह है कि लोगों की हिम्मत और विश्वास को न डिगने दिया जाय और सत्य पर पर्दा डाल कर जो कुछ हो रहा है उसको भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, यह कहने की चेष्टा न की जाय। आप से इतना ही मेरा निवेदन है। और मैं समझता हूं कि जैसे कि आजतक समाचार आ रहे हैं, कहीं बाढ़ वगैरह नहीं आयी है। (एक सदस्य--बाढ़ आयी है)। बाढ़ मैंने भी देखी है। बाढ़ वह होती है जब खलीलाबाद से बरहज तक, ५० मील इधर तक और १०० मील उधर तक समुद्र की तरह से दिखलायी देता है। आज उन्हीं जगहों में बाढ़ आयी है जिसका जिक्र हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी किया करते हैं कि साहब, पहले से कलेक्टरों के यहां लिखा रहता है। तो वहां फ्लड कमेटी तो बनी हुई है और रुपया, जिस पर आप को एतराज था कि क्यों भेज दिया है, इसलिये भेज दिया है कि अगर सहसा कोई चीज आ जाय तो यहां से सैंक्शन लेने के झगड़े में न रहे, तुरन्त उनको रिलीफ देने का काम करे और वे इलाके

जो कटोरी बने हुये हैं और जिनका रेकार्ड मौजूद है कि उनमें पानी आ जाता है, उनकी सेवा-सुश्रूषा और सहायता के लिये वहां लोकल कमेटियां बनी हुई हैं और रुपया भी रखा है।

यह बताया जाता है कि इतना पानी चला। मैं आप से कहता हूं कि गंगा का हरिद्वार से जितना पानी चलता है उसकी सूचना दी जाती है। माया डैम से इतना पानी पास हुआ, ११ लाख या १२ लाख क्यूसेक्स, पिछले साल जितना पास हुआ था उस से इतना ज्यादा पास हुआ, इन सब बातों की उसी दिन सूचना बराबर आती है। आपके फ्लड पोस्ट कायम हैं, आपकी फ्लड की नापने की जगहें कायम हैं वहां से बाढ़ की सूचनायें आती हैं कानपुर, लखनऊ, जहां-जहां गंगा है वहां से सूचना आती है।

इसी प्रकार से यमुना से जितना पानी चलता है उसकी सूचना आती है। यदि वस्तुस्थिति को न देखते हुये लोग यह कह दें कि यह है ही नहीं तो कहां तक उसका जबाब दिया जाय, जबाव देते-देते भी थकान आती है। अब मैं समझता हूं कि इस पक्ष के लोगों की ओर से भी इस कार्य में जो सहायता का कार्य हो रहा है उसमें सहयोग मिलेगा और मैं कोई राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री की हैसियत से नहीं परन्तु इस प्रदेश के सार्वजनिक कार्यकर्ता की हैसियत से और उस क्षेत्र के निवासी की हैसियत से जहां अक्सर बाढ़ आया करती है और जहां बाढ़ में दसियों बार मैंने काम किया है, उस क्षेत्र के निवासी की हैसियत से अपने राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इस सरकार की शक्ति के ऊपर मुझे पता है कि जब कभी भी कोई सूचना और संकट और सहायता की आवश्यकता पड़ी है जिस प्रकार उन्होंने और उनकी सरकार ने तत्काल सहायता प्रदान की है और माल विभाग के कर्मचारियों ने इस दिशा में जिस प्रकार गतवर्षों में सहायता और सहयोग प्रदान किया है उसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

इसलिये आप इसको बाढ़ न कहें क्योंकि मैं भी उन क्षेत्रों का कार्यकर्त्ता हूं और निवासी हूं जहां बाढ़ आती है, उसे मैंने देखा है इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें सरकार को बधाई देना चाहिये क्योंकि कृतघ्नता कोई अच्छी चीज नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अधिष्ठाता महोदय, यदि आप की आज्ञा हो तो एक बात कह दूं।

श्री अधिष्ठाता--कह दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मंत्री जी ने अभी कहा था कि मैंने कहा था कि कुछ गांव ऐसे हैं जो नीचे हैं और वे गांव ऊंचे करने की लिस्ट में रखे गये हैं तो उन्होंने कहा कि कोई लिस्ट नहीं भेजी तो अगर वे चाहें तो अभी मैं उनको लिस्ट दे दूं।

श्री अधिष्ठाता--इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, अभी-अभी हमने इस प्रदेश के एक अत्यन्त लब्धप्रतिष्ट, ख्यातिनामा, स्वनामधन्य व्यक्ति के प्रवचन सुने। उनके व्यक्तित्व के प्रति, उनके भाव व्यंजन के प्रति, उनकी शाब्दिक शैली का हमको आदर है और इसीलिये आज हम उनकी एक उक्ति से सहमत हैं जब उन्होंने दिन भर के विवादों के बाद यह विश्लेषण किया आज जो मुख्य प्रश्न था वह गायब हो गया। पहले ही वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बाढ़ का जो प्रश्न था वह गायब होगया। मैं उनका ध्यान आकर्षित करूं इस प्रदेश के संबंध में कि यह प्रश्न गायब किसकी ओर से हुआ।

श्रीमन्, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आज का विवाद यह बाढ़ की समस्या के ऊपर नहीं हो सका तो इसका मुख्य उत्तरदायित्व हमारे माननीय राजस्व मंत्री के ऊपर है जो अपने भाषण के अधिकांश भाग में उससे हट गये। आज नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बल्कि उस दिन जब कि श्री गेंदासिंह जी के एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर बहस हो रही थी उस दिन माननीय राजस्व मंत्री जी भाषण देते तो इस सदन को कोई शिकायत विशेष नहीं होती, लेकिन आज जिस प्रकार उन्होंने स्तर से नीचे उतर करके माननीय गेंदासिंह के ऊपर और उस आल पार्टीज कमेटी जिस के कि वे खुद चेयरमैन हैं उसके टर्म्स आफ रेफ्रेन्स के ऊपर जिस प्रकार हमला किया उस से हमें ठेस पहुंची है। वही मुख्य तथ्य है जिसकी वजह से यह प्रश्न भंग हो गया। इस को त्रिपाठी जी भी कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ वह इस कारण हुआ कि हमारे राजस्व मंत्री जहां अत्यंत योग्य व्यक्ति हैं वहां उनको क्रोध भी आजाया करता है। क्रोध इसलिये आता है कि जो उनसे डिस ऐग्री करता है वह उनसे क्रोधित होजाया करते हैं। क्रोध जब किसी व्यक्ति को आजाता है तो उसकी वही दशा होती है जो गीता में बतलायी गयी है --

"क्रोधात्भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद्भ्रंबुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।" क्रोध आजाने से स्मृति विभ्रम होता है और बुद्धि-विभ्रम से नाश होता है। वही हाल इस फ्लड डिबेट का हुआ है। मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय राजस्व मंत्री ने प्रश्न तो गायब किया लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री ने भी इस प्रश्न को गायब कर दिया और फ्लड पर बहुत कम बोले। हमारे विरोधी दल के नेता की शिकायत की गयी...

श्री अधिष्ठाता--आप तो ऐसी गलती न कीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से शिकायत की कि हमको न दिन में दिखायी देता है और न रात में दिखाई देता है। मैं समझता हूं उनको तो २४ घंटे दिखायी देता है। हर जगह देखने की शक्ति और दिन रात देखने की शक्ति माननीय शिक्षा मंत्री को है और जिनको वह समझते हैं उनको हैं। जहां तक सरकार को देखने की बात है, सरकार तो सर्वशक्तिमान है और मैं उसके विराट स्वरूप को हर जगह देखता हूं। विनाश में, कल्याण में, व्यक्ति में, जीवन में, समूह में, और समाज में हर जगह भगवान की तरह वह व्याप्त है "कालोस्मि लोकत्रय प्रवृत्त :" सरकार का यह प्रभावकारी स्वरूप विद्यमान है।

जहां तक बाढ़ की बात है माननीय माल मंत्री जी ने एक रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की है कि हम बाढ़ के लिये इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन श्रीमन्, आप देखें कि इस रिपोर्ट में और सब तो विस्तार में दिया हुआ है लेकिन यह पता नहीं है कि आज कौन सी बाढ़ की योजना चल रही है और कौन सी चलने वाली है, कितनी सफल हो चुकी हैं और कितनी असफल हो चुकी हैं। इसका कोई ब्योरा इस रिपोर्ट में नहीं है।

१८ करोड़ रुपये की योजना का जिक्र किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि आज जब बाढ़ के नियन्त्रण की समस्या पर विवाद हो रहा है तो माननीय माल मंत्री जी ने यह क्यों नहीं बतलाया कि हमने बाढ़ नियन्त्रण की इस योजना को चलाने का निश्चय किया है और अब तक इतनी सफल रही है और इतनी असफल रही हैं? सारी बातें हमारे सामने नहीं आयीं। मैं सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने बाढ़ नियन्त्रण के लिये थोड़ा बहुत काम करने की चेष्टा की है, लेकिन, यदि सरकार कहे कि उसने सारे उत्तरदायित्व को पूर्ण किया है तो मैं कहूंगा कि जितना कार्य इस सम्बन्ध में भारत के दूसरे प्रदेशों ने किया है उसके मुकाबले में हमारी सरकार असफल रही है। हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है। मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है प्लानिंग कमीशन की जिसमें यह बतलाया गया कि पंजाब में भाखरा नांगल योजना, मद्रास में तुंगभद्रा योजना, बिहार में कोसी प्रोजेक्ट और दामोदर वैली योजना। इस प्रकार से नदी घाटी योजनायें बन रही हैं। हमारी प्रदेशीय सरकार एक नदी घाटी योजना के लिये एक पैसा भी केन्द्रीय सरकार से नहीं ले सकी। श्रीमन्, आप देखें कि बिहार को कोसी प्रोजेक्ट और दामोदर घाटी योजना के अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना के अवसर पर २.५४ करोड़ रुपया मिला है। इसी प्रकार से आसाम को

डिब्रूगढ़ योजना के अतिरिक्त २.९ करोड़ रुपया दिया गया है। वेस्ट बंगाल को १.६२ करोड़ और कश्मीर को ४९ लाख रुपया उनके प्रोजेक्ट्स के अलावा दिया गया है, लेकिन एक तो हमारे प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है तिस पर भी २.७५ करोड़ रुपया ही दिया गया है।

पहला आरोप सरकार पर हमारा यह है कि सरकार ने इस मृगमरीचिका में कि इतना निर्माण हमारे यहां हो रहा है, हमको भ्रम रहता है कि हम सब काम कर चुके हैं, इस भ्रम-वश हम केन्द्रीय सरकार से धन भी प्राप्त नहीं कर पाते, प्लानिंग कमीशन से धन प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चाई को बतलाने में केन्द्रीय सरकार से डर लगता है। बिहार असेम्बली में एक मत से यह प्रस्ताव पास होता है कि कोसी प्रोजेक्ट को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाय। लेकिन यहां पर जब बाढ़ नियंत्रण की बात आती है तो माननीय मंत्री जी जब अपनी कांस्टीटुयेंसी में प्रेस कांफ्रेंस करते हैं तब तो कहते हैं कि अनप्रीसीडेंटेड फ्लड यहां पर आया है लेकिन जब सदन में बोलते हैं तो कहते हैं कि हमको दिखायी नहीं देता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने वाराणसी की प्रेस कांफ्रेंस में यह नहीं कहा था कि यह अनप्रीसीडेंटेड फ्लड्स हैं? यह दुमुही बात तो सरकार के मंत्री ही कह सकते हैं, हमारे विरोधीदल के लोग तो इससे वंचित ही हैं।

इस रिपोर्ट को अगर आप आगे देखें तो आपको छिपकर लिखा हुआ मिलेगा कि इस साल हमारी ३.२७ करोड़ की योजना है, लेकिन खर्चा १.६२ करोड़ ही करेंगे। कहते हैं कि भारत सरकार रुपया ही नहीं दे रही है। योजना बना रही है। आप स्पष्ट रूप से हमारे सामने क्यों नहीं रखते बजाय इसके कि आप ३ करोड़ की योजना बनाते हैं और १ करोड़ रुपया खर्च के लिये रखते हैं।

फ्लड कमेटी की रिपोर्ट में एक बात यह भी कही गयी थी कि १,९५,००० फ्लड सेंटर्स खोले जायेंगे। यह बात सन् ४९ में कही गयी थी और आज सन् ५७ हो गया है लेकिन ३६,००० ही बन पाये हैं।

दूसरी बात फ्लड रिपोर्ट में यह कही गयी थी कि प्रिकाशनरी मेजसं लिये जायं। ये तीन प्रकार के होते हैं—एक तो बाढ़ के पहले, दूसरे बाढ़ के दरिमियान और तीसरे बाढ के बाद, जिसे रिहैबिलिटेशन कहते हैं। पहली बात में उन्होंने एक रिवर स्काउट आर्गेनाइजेशन का जिक्र किया है। क्या वह आज तक बनाया गया? मैं जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की सबसे पहली रिकमंडेशन को जिसके चेयरमैन स्वयं माल मंत्री जी थे, क्यों नहीं आज तक कार्यान्वित किया गया—रिवर स्काउट आर्गेनाइजेशन का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया? यह काम प्रान्तीय रक्षक दल के द्वारा हो सकता था, ग्राम सभाओं के द्वारा हो सकता था, लेकिन कमेटी की पहली रिकमंडेशन की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया।

एक फंड, नैचुरल कैलेमिटी फंड के नाम से, हर जिले में है। तीन साल से उसमें रुपया एकत्र किया जा रहा है, लेकिन उसका कहीं जिक्र भी नहीं है। बजट में भी उसका कहीं जिक्र नहीं पाया। उस फंड में कितना रुपया जिलों में और प्रान्त में खर्च किया गया इस के कोई आंकड़े हमें नहीं दिये गये। मैं यह मांग करूंगा और माननीय माल मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड है, उसको ठीक से आर्गनाइज किया जाय। साथ ही साथ प्रादेशिक स्तर पर एक फ्लड रिलीफ कमेटी होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर फंड हो, हेल्थ मिनिस्टर चैरिटी फंड हो, उसी तरह से एक स्टेट फ्लड रिलीफ फंड कायम करें जिस में दान के द्वारा, वालंटरी तौर से जो पैसा देना चाहे वह उसमें जमा हो और उनसे हम बाढ़ पीड़ितों की मदद करें।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जो लोग बाढ़ में बह जाते हैं या उसकी वजह से मर जाते हैं उन के परिवार के लिए लाइफ पेंशन होना चाहिए। जिस तरह से ओल्ड एज पेंशन की स्कीम चालू की है, उसी तरह से फ्लड में मरने वालों के परिवार के लिए भी पेंशन का प्रबन्ध होना चाहिए। माननीय माल मन्त्री जी ने एक फ्लड इंश्योरेंस की स्कीम की बात अपनी कमेटी की रिपोर्ट में

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कही है लेकिन मैं कह नहीं सकता कि वह कामयाब हो सकती है या नहीं, लेकिन जहां तक अल्मोड़ा जिले की बात है अगर वहां की नदियों पर कन्ट्रोल किया गया होता तो वहां जो बाढ़ आने की वजह से इतनी बरबादी व मृत्युएं हुई हैं, वे न होतीं। वहां पर ४२ आदमियों की मृत्यु जो हुई है उनके परिवार के लिए लाइफ पेंशन का इन्तजाम सरकार को करना चाहिए।

साथ ही साथ मुझे सरकार से एक शिकायत और है कि कमेटी ने एक मत से सिफारिश की थी कि फ्लड के सम्बन्ध में जितने निर्माण कार्य हैं वे सब पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा हों। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पी० डब्ल्यू डी० के द्वारा वे काम हो रहे हैं? नहीं, कुछ को इरिगेशन डिपार्टमेंट चलाता है तो कुछ स्कीम को ऐग्रीकलचर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चलाता है, कुछ को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाता है और कुछ को फारेस्ट डिपार्टमेंट चलाता है। तो इस प्रकार से जो फ्लड कन्ट्रोल की स्कीम है उसको दर्जनों विभाग चला रहे हैं। बनारस के घाटों की योजना भी बाढ़ योजना के अन्तर्गत ही है, लेकिन मालूम नहीं कि उसका जिक्र तक क्यों नहीं किया गया? माननीय शिक्षा मन्त्री जी जो बनारस के ही रहने वाले हैं उनसे मैं उम्मीद करता था कि उसके बारे में जिक्र अवश्य करेंगे, लेकिन मालूम होता है कि वे भी काशी को भूल गये जो उनके लिए बड़ी प्यारी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब मुझे नैनीताल ज्यादा प्यारा हो गया है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरे लिए तो नैनीताल प्यारा है ही।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने भी कहा है कि उनको अब नैनीताल ज्यादा प्यारा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब कुमायूं यूनिवर्सिटी कायम करेंगे तब मैं यह भी देखूंगा। तो श्रीमन्, मैं बनारस के घाटों के बारे में कह रहा था कि इस रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इतनी बड़ी रिपोर्ट, यह तो वेस्ट पेपर बास्केट में डाल देने लायक है। हां, यह जरूर है कि इस में यह लिख दिया गया है कि ५ सितम्बर को गोमती में कितना पानी रहा। यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह नहीं बतलाया गया है कि कितने क्युजेक्स पानी का डिस्चार्ज हुआ। इसी प्रकार से एक सिफारिश यह की गयी थी कि नैपाल से भारत सरकार के जरिये मिल कर राप्ती व गन्डक की जो कैंचमेंट एरिया है उसका सर्वे कर लिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के सर्वे के लिए कोई भी कोशिश की गयी है? जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने भी कहा कि नारायणी नदी नैपाल तक जाती है तो पूर्वी जिलों में भी कैंचमेंट एरिया का सर्वे होना चाहिए और जब तक यह सर्वे नहीं होगा तब तक फ्लड को कन्ट्रोल करने में कामयाबी नहीं हो सकती। यह ठीक है कि प्राकृतिक प्रकोप पर काबू पाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी यदि कोशिश की जाती और अल्मोड़ा में कपकोटा स्थान पर नदियों को बांध दिया जाता तो ४२ आदमियों के मरने की नौबत नहीं आती। इसी तरह से हर जिले में भी डिस्ट्रिक्ट फ्लड सर्वे होना चाहिए। इस रिपोर्ट में इसका जिक्र होना चाहिए था कि ५१ जिलों में से कितने जिलों में डिस्ट्रिक्ट फ्लड सर्वे हो चुका है और कितने में अभी बाकी है। लेकिन उसका आज कुछ भी पता नहीं है।

इसी तरह से स्वायल कन्जर्वेशन की भी एक स्कीम है। स्वायल कन्जर्वेशन के सिलसिले में ४ विभाग काम करते हैं, फारेस्ट विभाग की स्वायल कन्जरवेशन स्कीम अलग है, स्टेट फार्म्स जो कृषि विभाग के हैं उनकी स्वायल कन्जरवेशन स्कीम अलग है और प्लानिंग रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन इन्स्टीटयूट का फ्लड रिलीफ डिपार्टमेंट अलग है। एक ही स्कीम पर यह चार-चार विभाग अलग-अलग रुपया खर्च कर रहे हैं और एक भी उस काम में ठीक से कामयाब नहीं होता। अगर इस पूरी स्कीम को एक ही विभाग के द्वारा चलाया जाता तो इस स्वायल कन्जरवेशन के काम में अधिक सफलता मिल सकती थी और शायद खर्च भी कम होता, चार-चार जगह इस्टैब्लिशमेंट में रुपया खर्च हो रहा है, क्या चारों विभागों को इस सम्बन्ध में अलग-अलग

इस्टैब्लिशमेंट नहीं रखना पड़ता है ? यह फ्लड कन्ट्रोल की स्थिति है। अगर माननीय माल मन्त्री जी जरा अपने दिमाग को ताजा करें और अपनी स्वयं की बनायी हुई रिपोर्ट को पढ़े और उसका अक्षरशः पालन करें तो उसमें कहा गया है कि कम रुपये में भी बाढ़ नियंत्रण हो सकता है और ज्यादा रुपये की ही आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं जानता कि कितने रुपये की सिफारिश उस में है लेकिन उसमें यह बात जरूर लिखी है कि कम रुपये में भी काम चल सकता है।

माननीय मन्त्री जी ने अभाव के बारे में कहा। उस सम्बन्ध में भी मैं कुछ राय जाहिर कर दूं। वह आंकड़ों के सम्बन्ध में है। मन्त्री जी ने हमें चक्कर में डालने के लिए और स्वयं भी चक्कर में पड़ने के लिए एक रेवेन्यू की लिस्ट पढ़ दी। उसमें माननीय माल मन्त्री जी वाराणसी के बारे में कहते हैं कि वहां से १२ लाख टन अनाज बाहर गया और साथ ही मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी की चिट्ठी याद आ गयी उसमें लिखा है कि हमारा जिला वाराणसी सेल्फ सफीशियेंट नहीं है और न कभी हो सकेगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी उस पत्र के दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि वाराणसी कभी सेल्फ सफीशियेंट न हो सकेगा . . .

श्री चरणसिंह--इजाजत हो तो मैं जरा सी बात कह दूं . . .

श्री अधिष्ठाता--माननीय मन्त्री जी आपको अभी समय मिलेगा, इस लिए आप अभी उन को कहने दें।

श्री सुल्तान आलम खां--अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या डिबेट ७ बजे के बाद भी चलेगा और क्या टाइम लिमिट चल रही है या वह खत्म कर दी गयी ?

श्री अधिष्ठाता--खत्म नहीं की गयी है, जो व्यवस्था शुरू से चल रही है वही चल रही है। सदन ७ बजे खत्म हो जायगा, बाद में नहीं चलेगा। आपकी तरफ के बोलने वालों को भी अधिक समय दिया गया है तो मैं अब उन को कैसे रोक दूं ? अब माननीय नारायणदत्त जी जरा जल्दी करें।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--अधिष्ठाता महोदय, ७ बजने में दस मिनट बाकी हैं और अभी माननीय माल मन्त्री जी भी बोलेंगे इस लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, आधा घंटा सदन का समय और बढ़ा दिया जाय, मैं ४० मिनट और बोलना चाहता था, लेकिन ३५ मिनट या आधा घंटा ही सही।

श्री अधिष्ठाता--तो कनसेन्शस आफ ओपिनियन ऐसा मालूम होता है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़े। आधा घंटा सदन का समय और बढ़ गया।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--माननीय माल मन्त्री जी भी ४० मिनट बोलना चाहते हैं और दूसरे लोग भी बोलना चाहते हैं इस लिए समय १ घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--लेकिन शायद सदन की राय १ घंटे की नहीं मालूम होती आधे घंटे की ही मालूम होती है।

श्री बलदेवसिंह--अधिष्ठाता महोदय, इस में ओपिनियन का सवाल नहीं है आप राय ले लें।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि सदन का समय १ घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदन पांडेय--मैं डिवीजन चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--डिवीजन आप को निर्णय के पहले मांगना चाहिए था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय माल मन्त्री जी ने अभाव-ग्रस्त क्षेत्र के बारे में आंकड़े दिये और कहा कि लाखों और करोड़ों रुपया हमने माफ किया, लेकिन सदन को आश्चर्य होगा और मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि जितनी लगान माफी की रकम वह बताते हैं उस से बिल्कुल अलग रकम माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रेस कान्फ्रेंस में दी है। माननीय माल मन्त्री जी की आज की कुछ और रिपोर्ट है और माननीय मुख्य मन्त्री जी की रिपोर्ट जो इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट ने सप्लाई की है वह कुछ और है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने गेंदा सिंह जी को जो २४ अगस्त को पत्र लिखा उस में लिखा है—"गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरियों की १३६४ फसली की रबी की कुल मालगुजारी २.१९ करोड़ है। इसमें से ८६ लाख की छूट दी जा चुकी है और ६० लाख स्थगित की जा चुकी है"। यह माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं और माननीय माल मन्त्री जी की रिपोर्ट में पृष्ठ १८ पर पैराग्राफ ११ खोल लें, श्रीमन्। इस में लिखा है, "गोरखपुर और वाराणसी की कमिश्नरियों के जिलों में मालगुजारी की सब मिला कर लगभग ८७ लाख रुपये की वसूली निलम्बित की गयी है और बहुत सम्भव है कि यह धनराशि अन्त में छोड़ ही देनी पड़े"। कौन सही है? माननीय मुख्य मन्त्री जी जो चिट्ठी लिखते हैं, वह या माननीय माल मन्त्री जी ने आज जो अपना बयान पेश किया वह? बड़े जोरों से माल मन्त्री जी ने कहा कि हम ने यह कर दिया वह कर दिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि ८६ लाख की छूट दी जा चुकी है और आप कहते हैं कि सस्पेंड किया है।

श्री चरणसिंह—मैं बतलाऊंगा कि आप कितना समझे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के भ्रामक आंकड़ों से सरकार सारे प्रदेश की जनता को झगड़े में डालना चाहती है।

मैं माननीय माल मन्त्री से एक अपील करूंगा। उनके ऊपर कल रात से एक बड़ा भारी दायित्व आ गया है। वह एक रिलीफ कमेटी के चेयरमैन हैं और आज तक यह कनवेंशन रहा है कि किसी कमेटी का चेयरमैन, जब कमेटी के सामने कोई मसला हो उसके बारे में अपनी राय व्यक्त नहीं किया करते। आज पहली बार माल मन्त्री जी ने इस पार्लियामेंटरी पद्धति का हनन करके, एक कमेटी जो कल बनी है, उस के चेयरमैन नियुक्त हुए, उसके दूसरे ही दिन उस कमेटी के कामों के सम्बन्ध में अपनी सारी राय खोल कर व्यक्त कर दी। क्या यह उनको शोभा देता है? जो कुछ उनकी राय थी उसको वह कमेटी के सामने कहते कि इतनी रिलीफ दे चुके हैं और ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अब कमेटी का क्या काम है? चेयरमैन साहब की इतनी सख्त राय बनी हुई है तो कमेटी क्या करेगी? कमेटी के विचार बन चुके। कमेटी के सदस्य स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी राय नहीं व्यक्त कर पायेंगे माननीय माल मन्त्री जी भविष्य में सावधानी से कार्य करने की कृपा करें। वह पार्लियामेंटरी परम्परा से भिज्ञ हैं। वह बड़े हैं। मुझे वह छोटा भाई कहते हैं, वह बड़े भाई हैं, लेकिन आज ऐसा अवसर आ गया है जब यह आवश्यकता पड़ गयी है कि छोटा भाई बड़े भाई को बतलाये कि पार्लियामेंटरी परम्परा क्या है।

श्री अधिष्ठाता—जल्दी खत्म कीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। सत्याग्रह और अनशन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया। सरकार हमें तो कुछ बात कहती है, लेकिन मैं अपने माननीय शिक्षा मन्त्री जी से, माल मन्त्री जी से और माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब माननीय मुरारजी देसाई, बम्बई के मुख्य मन्त्री थे और उन्होंने बिना नोटिस के अनशन शुरू कर दिया था और इसलिए शुरू कर दिया था कि जनता मेरा भाषण नहीं सुनती अहमदाबाद की, इसलिए बिना नोटिस के अनशन अनिश्चित काल के लिए शुरू कर दिया था। अगर मैं

भूल नहीं करता, तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बधाई का तार दिया था। कहा था यू० पी० से कि माननीय मुरारजी देसाई, आप एक नया नैतिकता का अध्याय खोल रहेहैं। जब माननीय मुरारजी देसाई, अनशन करते हैं तो वह एक नया अध्याय खोलते हैं और जब माननीय गेंदासिंह जी अनशन करते हैं तो नैतिकता का विरोध होता है और सब कार्यों का विरोध होता है। महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है। श्रीमन्, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने अपनी दुःखजनक मृत्यु के कुछ ही पहले ५५ हजार की धनराशि भारत सरकार से दिलवाने के लिए अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल की थी जब कि गवर्नमेंट बदल चुकी थी। उस समय जवाहरलाल जी प्रधान मन्त्री हो चुके थे। उस समय ५५ हजार दिलवाने के लिए महात्मा गांधी जी ने अनशन किया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि नैतिकता किस कसौटी से नापी जाती है? माननीय गेंदा सिंह जी ने अनैतिक कार्य किया अगर वह कहते हैं कि पूर्वी और अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायता होनी चाहिए तथा अन्य अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी सहायता होनी चाहिए। कौन सी मर्यादा है। केवल इसलिए कि हम विरोधी दल में हैं। केवल इस लिए कि हम यहां पर एक प्रजातन्त्र का जो महत्वपूर्ण कार्य है विरोध करना, उसे कर रहे हैं। इसलिए हमसे शिकायत है। इसलिए हमको कुनकुनाने वाला बताया जाता है। नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं माननीय शिक्षा मन्त्री जी को जितना आत्म-विश्वास उनको है उतना ही आत्म विश्वास इधर के बैठने वालों में भी है इस देश में प्रजातन्त्र के निर्माण के लिए, समाजवाद के निर्माण के लिए, हमारे हृदय में भी उतना ही भाव है जितना उनके में है। इसीलिए श्रीमन्, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम देश का कल्याण चाहते हैं और देश को समृद्धिशाली देखना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात को मान कर काम करते हैं कि हमारे सामने बैठने वाली सरकार जल्दी बदले।

नियोजन स्थायी समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अधिष्ठाता—(श्री चरण सिंह से) इसके पहले कि आप अपना भाषण शुरू करें, एक एनाउंसमेंट करना है, उसे कर दूं।]

आज नियोजन स्थायी समिति का चुनाव हुआ है जिस में १४ सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(१) श्री अनन्तराम वर्मा, (२) श्री कालीचरण अग्रवाल, (३) श्री चन्द्रजीत यादव, (४) श्री चन्द्रिका प्रसाद, (५) श्री धर्मदत्त वैद्य, (६) श्री बालक राम, (७) श्री ब्रज गोपाल (८) श्री यमुना प्रसाद, (९) श्री राघव राम पांडेय, (१०) श्री लुत्फअली खां, (११) श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन, (१२) स्वामी विश्वेश्वरानन्द, (१३) श्री शंकरलाल, (१४) श्री शिवमूर्ति सिंह।

प्रदेश की बाढ़ नियन्त्रण समस्या पर विवाद—(क्रमागत)

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मुझ को अफसोस है कि माननीय श्रीकृष्णदत्त पालीवाल यहां पर इस वक्त मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने आज उपदेशक का काम किया था, उपदेश ही दिया था। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो मैटर पेश किया वह तो उनको पसन्द था लेकिन मैनर पसन्द नहीं था। अब अगर मैं बीच में पूछ बैठता कि क्या चीज नापसन्द थी तो शायद वह भी अनमैनर्ली हो जाता। तो मैं खामोश रहा कि बाद में पूछूंगा। लेकिन वे इस वक्त मौजूद नहीं हैं। अब मैटर तो ऐसा था कि जिसका जवाब, जैसा कि मेरे सहयोगी माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा जब तक वह तरीका न अपनाया जाय संस्कृत के श्लोक वाला तब तक और कोई जवाब इसका है नहीं। खैर मैटर तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पसन्द है। अब मैनर एक अनडिफानेबिल चीज है, उसकी बाबत कुछ ही कोई आदमी कह सकता है।

[श्री चरणसिंह]

माननीय त्रिलोकीसिंह जी की जो तकरीर हुई तो उन्होंने शुरू किया 'हम यह जानना चाहते हैं, हम यह जानने के लिए आये हैं, जानने के लिए भी आये हैं, कुछ बतलाने के लिए भी आये हैं, सुझाव देने के लिए भी आये हैं, सभी चीजों के लिए आये हैं।' लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कोई जल्लाद कहे कि देखो हम यह जानना चाहते हैं और अगर यह नहीं होगा तो, इसके आगे वे दया करके खामोश रहे। लेकिन बात वही रही, जो हमेशा होती है। फिर सेक्टीमोनियसनेस देखिये कि मैं राजस्व मन्त्री जी से पुराना हूं और सत्याग्रह में आप से ज्यादा सबक जानता हूं, आपसे ज्यादा कुर्बानी की होगी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के जरिये अपने मित्र को बता देना चाहता हूं कि मैंने तो इन सब बातों से इन्कार नहीं किया। मैंने केवल एक बात कही थी और फिर भी चैलेंज करता हूं, मैंने यह कहा था कि पी० एस० पी० के तीन वर्कर्स जिन में से एक की चिट्ठी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देवरिया के नाम थी और इस इम्प्रेशन में थे कि ८ आने का नुकसान है तो ८ आने का रेमिशन होना चाहिए। इस मुगालते में थे, यह मैंने कहा तो उन्होंने ग्राउन्ड चेंज कर दिया। बारह आने का नुकसान कहने लगे। सेक्रेटरी पी० एस० पी०, आनन्द प्रसाद सिंह का वह लेटर मेरे पास है और उन्होंने नहीं माननीय गेंदासिंह जी ने भी ग्राउन्ड चेंज कर दिया क्योंकि उनका जो लेटर है हमारे नेता के नाम, माननीय सम्पूर्णानन्द जी के नाम, प्रेस में छपा है, मेरे पास मौजूद है। नेशनल हेरल्ड के आखिरी पेज पर लिखा है कि १२ आने का नुकसान सब जगह हुआ उन्होंने भी ग्राउन्ड चेंज कर दिया और यह मैंने कहा इस सिलसिले में कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यह ज्यादती की कि एक तरफ तो छः आने के रेमिशन का जिक्र है और साथ ही यह दिखाया गया है कि दस आने का नुकसान है, १२ आने का नुकसान है, मानो कि नुकसान जितना होता है उतना ही रेमिशन भी होता है। और मैंने यह कहा कि यह स्पीच होगी जो कि हमारे रेकर्डस में मौजूद होगी। अगर यह बात गलत निकले तो जब मेरे मित्र इसको साबित कर देंगे मैं माफी मांग लूंगा। एक दफा इसी तरह जब कंसालिडेशन की बात हो रही थी, तब मैंने यह बात कही थी कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा था कि यह बात कही गई, उन्होंने फौरन इन्कार किया। मैंने माफी मांगी। उसके बाद फिर वह रिपोर्ट निकली, वह मैंने उनके पास भेज दी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी के पास दिमाग है, आंखें हैं, नालेज है लेकिन मेरी याददाश्त उनसे किसी तरह कम नहीं है। लिहाजा सन् १७८० के बन्दोबस्त और १८०१ में आजमगढ़ जिला आया और रीड साहब कोई थे अंग्रेज आफिसर, तो मैं उस नालेज के सामने झुकता हूं लेकिन यह सब क्या कहने की बात है? क्या अपनी जबान से कहने की बात है? फिर यह शायद मुझको तो शोभा दे जायगा लेकिन माननीय विरोधी दल के नेता को शोभा नहीं देता जो अपनी उन्होंने तारीफ की कि म यह जानता हूं, मैं वह जानता हूं और रीड साहब को भी जानता हूं।

अच्छा साहब, अब लीजिये यह कि कलेक्टरों ने रिपोर्ट चौथी मई से पहले क्यों नहीं भेजी। अब रेवेन्यू मैन्युअल में यह लिखा है कि १५ अप्रैल तक वह प्रेलिमिनरी रिपोर्ट भेजेंगे। यह रेवेन्यू मैन्युअल मेरे पास मौजूद है, मैं यह क्लेम नहीं कर सकता कि सारी किताब मैंने आज तक पढ़ी है बावजूद इसके कि मेरे ऊपर मुहकमे माल की जिम्मेदारी है, कभी-कभी जब जरूरत हुई पढ़ लेता हूं, लेकिन सारी किताब नहीं पढ़ी है। माननीय नेता जी ने जरूर पढ़ी होगी। इसके पैरा १७४ (३) और पैरा १८५ को जरा रात को जब घर जायं तो पढ़ लेंगे, रेवेन्यू मन्युअल न हो तो मैं भेज दूं। उसमें लिखा हुआ है कि १५ अप्रैल तक प्रेलिमिनरी रिपोर्ट जायगी और १५ मई तक फाइनल रिपोर्ट जायगी। अब १५ मई तक भी कलेक्टर दे नहीं पाते हैं। उसमें बड़ी देरी लगती है। फिर यहां से कोई एनक्वायरी हो जाती है तो और देर लग जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चौथी मई तक गवर्नमेन्ट के पास कलेक्टरों की रिपोर्ट नहीं आयी तो इससे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट या गवर्नमेन्ट की इनएफिशियेंसी साबित नहीं होती क्योंकि वह तो तारीख दी हुई है और

वह भी उस तारीख तक गवर्नमेन्ट के पास नहीं बल्कि कमिश्नर के पास जिसकी जगह अब लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर हो गया है ।

अब यह कहा गया है कि इंस्ट्रक्शंस फार इवैकुएशन कब दिये जाते हैं? माननीय त्रिपाठी जी ने काफी तफसील के साथ जवाब दिया कि जब पानी बढ़ता है तो नीचे जितने जिले होते हैं उनको इर्रीगेशन विभाग की तरफ से दिये जाते हैं और तफसील के साथ दिये जाते हैं।

दूसरी बात यह कही गई कि खाली क्यों नहीं कराया जाता। तो मैं बाराबंकी की ऐसी एक रिपोर्ट को माननीय त्रिलोकीसिंह जी की इत्तिला के लिये पढ़ कर सुनाता हूं। ७ अगस्त, सन् ५७ का टेलीफ्राम है :

"No person now wants to leave his house. About 70 thousand acres of cropped area has been affected."

दूसरा है १३ अगस्त का । इसमें यह लिखा हुआ है:

"Population unwilling to leave their houses. Staff busy in relief operations."

लोगों को इतना मोह होता है अपनी जगह से कि वे उसे छोड़ते नहीं। यह तो इस हाउस में ही एक वबा मालूम होती है और अखबारों में बड़े जोर शोर के साथ निकल जाता है। बाप दादाओं के जमाने से बसे हुये हैं और पानी में मछली की तरह से बसे हैं। मुझे मेरठ और बुलन्दशहर जिले की मालूम है कि औरतें अपने सर पर भैंसों का दूध निकाल कर शाम को फर्लांगों पार कर जाती हैं और अपने मकानों को नहीं छोड़तीं। माननीय त्रिलोकी सिंह जी कह रहे हैं कि वे होते तो इवैकुएट करा कर छोड़ते। ठीक है वे शायद कर देते लेकिन हम करते तो दूसरे दिन एडजर्नमेन्ट मोशन आ जाता कि अन्याय हो गया।

माननीय त्रिलोकीसिंह और चन्द्रजीत जी ने कहा कि साहब नाव नहीं मिलती। माननीय मुख्य मंत्री जी के बंगले से आध मील पर गांव है जियामऊ और वहां के लिये नाव नहीं मिली। मैं उनसे कहता हूं कि हर गांव को नाव नहीं मिलेगी। आप लोग चाहते हैं कि हर जिले में हजारों गांव जो बाढ़ से प्रभावित हो जायं तो उनके लिये दो-दो, डेढ़-डेढ़ और चार-चार हजार नावें सरकार अपने खर्चे पर रक्खे यह नामुमकिन है। इस के लिये हर जिले में कितना खर्चा होगा, उनकी मेन्टिनेन्स में कितना खर्चा होगा? कायदा यह है कि १००-५० मोटर बोट्स तो जरूरी हैं, उनको गवर्नमेन्ट रखती है और अगर गांव वाले अधिक इंटरेस्ट दिखलायें तो ४० प्रतिशत रुपया खुद दें और ६० प्रतिशत रुपया सरकार देगी। वर्ना वक्त पर किराये पर नावें लेना सरकार मुनासिब समझती है, उनसे जिनके पास हजारों की तादाद में नावें होती हैं। उससे खर्चा काफी कम बैठता है बनिस्बत इसके कि गवर्नमेन्ट अपनी नावें बनावे और मेन्टेन करे। यह गवर्नमेन्ट की नीति है। वह हर गांव के लिये नावें रख ही नहीं सकती।

माननीय जगदीश प्रसाद जी ने एक बात का जिक्र किया कि गंगा का बेड़ ऊंचा हो गया है और जो इलाका है उसकी सतह नीची हो गई है। ऐसा हो सकता है। यह बात ठीक है। ज्योलाजिस्ट्स की राय है दक्खिन के प्लेटों की तरफ से मूवमेन्ट है। माननीय मित्रों को याद होगा कि १८१० में माउन्ट एवरेस्ट की जो ऊंचाई थी वह अब कई फुट और ऊंची हो गयी। अब जो सर्वे किया गया उससे चोटियां और ऊंची हो गयी हैं। विंध्याचल और हिमांचल के बीच में जो दोआब है वहां उत्तर में मूवमेन्ट है लिहाजा हमारी रिवर्स की यह टेंडेंसी है कि वे लेफ्ट बैंक से ओवर फ्लड करती है राइट बैंक को और सर्वे करने का यह परिणाम निकला कि जो वाटर की निचाई थी वह दुआब में ज्यादा हो गई, चूंकि उधर की जमीन उठी, पानी ज्यादा नीचे गया और गंगा की जितनी बाढ़ देखेंगे वह सब बायें-दायें की बाढ़ है। तो वह एक बड़ा भारी प्रश्न है। अगर इधर के गांव की जमीन नीची हो गयी है और उधर की उठ गयी है तो मैं समझता हूं सारे मित्र सहमत होंगे कि वह एक ऐसी मेजर कैलेमिटी होगी जो शायद ताकत के बाहर हो। तो जगदीश प्रसाद जी जब याद दिलायेंगे माननीय

[श्री चरणसिंह]

त्रिपाठी जी को या माननीय राममूर्ति को तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे इन्क्वायरी करा ली जायगी ।

बलिया के फ्लड के बारे में कहा गया कि कितने ही गांव डूब गये थे, चरणसिंह साहब ने इन्कार किया कि बांध नहीं टूटा, परमात्मानन्द सिंह जी ने फौरन तरदीद की कि बांध टूट गया, यह इल्जाम मुझ पर लगाया गया । माननीय पालीवाल जी ने उस वक्त ऐसी बात कही थी बीच में, जब क्वेश्चन टाइम खत्म हो चुका था । मैं उस वक्त जवाब नहीं दे सकता था । माननीय परमात्मानन्द जी ने मेरी तरदीद नहीं की थी । मैंने कहा था कि बांध कट चुका । दो बांध थे, एक बांध तो कट चुका था और दूसरा जो सपोर्टिंग या सप्लीमेंटरी था उस पर रेलवे लाइन पड़ रही थी और वह कटना शुरू हो गया था । तो वह कट रहा था परमात्मानन्द जी ने कहा कि कट रहा है । उसकी सफाई करना भूल गये । उसके बाद माननीय पालीवाल भी बोले । मुझे शक हुआ बाद में कि वह मेरी बात तो नहीं कह रहे थे, तो मैंने उनको बुलाया और उन्होंने एक बयान लिख दिया अखबारों में देने के लिये, लेकिन मैंने कहा कि छोड़ो लेकिन मेरा अन्देशा सही निकला । माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने तकरीर में कहा कि बलिया का जिक्र ही नहीं किया । बलिया का मैंने जिक्र किया है और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बलिया के कलेक्टर का २२ अगस्त, १९५७ का लेटर है । उसके तीन, चार सेंटेंसेज पढ़ देना चाहता हूं :—

"When I visited the site of this cutting on 19th August, 1957 I found that only about 5 yards width of this embankment remained to be cut whereafter it was likely that the water of river Ghaghra hitherto held by the railway embankment would spill over its right bank and inundate the low-lying areas."

उन्होंने लिखा है कि ४,००० रुपये की हमने मांग की है इरिगेशन डिपार्टमेन्ट से अगर रुपया नहीं मिले, तो चूंकि अर्जेन्सी है इसलिये फ्लड डिवीजन से २ फर्लांग का एक रिंग बांध बांधने के लिये कहा गया ।

"The Flood Division Bund is now nearing completion and hitherto there has been no loss to any Abadi or cultivated area."

लिहाजा वहां किसी गांव के डूबने का सवाल नहीं होता । तो मेरी ओर से कोई गलत-बयानी की गयी हो और जानबूझ कर की गयी है उसका प्रश्न नहीं उठता । तो मैं इसकी स्ट्रेंग्थ पर ऐबसाल्व हो जाता हूं ।

एक बात अल्मोड़ा के सम्बन्ध में कही गयी कि हम जानना चाहते हैं कि अल्मोड़ा में क्या हुआ ? तो मैं आपके जरिये जानना चाहता हूं कि जो नोट रखा गया था जनाब ने पढ़ा या नहीं पढ़ा ? उसमें लिखा जरूर है, लेकिन शायद यह कहा जाय कि जो लिखा है वह कम था, वह दूसरी बात है, लेकिन इसमें मौजूद जरूर है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अल्मोड़ा को क्या मदद दी गयी, यह बताइये ।

श्री चरणसिंह—परिशिष्ट २ पढ़ लें । मैं सुनाये देता हूं, क्योंकि शायद पढ़ने में गलती रह गयी हो तो मैं तो यह नहीं कह सकता कि सिविल सर्जन के पास जाना पड़ेगा । अधिष्ठाता महोदय, परिशिष्ट २ में पढ़ लें जिलों का नाम, चारे के लिये प्रबंध, नावों के लिये प्रबंध, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाये गये—आदमी, मवेशी, खाद्यान्नों इत्यादि के लिये प्रबंध, नकदी में दी गयी सहायता, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये प्रबंध, गैर सरकारी सूत्रों के द्वारा दी गयी सहायता का ब्योरा, दुर्घटनाओं के ब्योरे । यह तफसील है । मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद इसको यों देख लिया । इसमें सभी दिखाया है । इसमें दिया है कि जरूरतमन्द तथा उपयुक्त व्यक्तियों को खाद्यान्न तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुयें दी गयीं ।

१२ परिवारों के ३३ व्यक्तियों को अहेतुक सहायता के रूप में लगभग साढ़े बारह मन गेहूं, ६९ कपड़े, साढ़े चौबीस सेर नमक, तीन बंडल बीड़ी, ९ दियासलाइयां, १८ बोतल मिट्टी का तेल, साढ़े सात सेर कड़ुवा तेल और १८ साधारण कम्बल दिये गये। फेयरनेस का तकाजा यह है कि माना जाना चाहिये कि कुछ किया गया है। जनाब ने यह कहा था कि हम जानना चाहते हैं कि क्या-क्या किया गया है, वह मैंने आपको बतला दिया, और भी तफसील दी गई है।

अधिष्ठाता महोदय, पहाड़ पर चारे की कमी नहीं होती है। माननीय नारायणदत्त जी ने एक बात फरमा दी कि अल्मोड़े में जो नदी थी उसमें बांध क्यों नहीं बांधा गया? वहां तो जमीन धसकी थी जिसमें पांच गांवों को नुकसान हुआ था। जमीन तो हर जगह धसक सकती है। अब लगाइये जगह-जगह बांध। एक बात माननीय पालीवाल जी ने यह कही कि हिसाब ज्यों का त्यों फिर कुनबा डूबा क्यों? यानी आंकड़े सही हैं फिर भी हालत खराब है। माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे ने कहा है कि साहब आंकड़े से क्या होता है और कहने से क्या होता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर आप कह दें कि १८ लाख आदमी बिना कम्बल के मर गये, ३३ लाख आदमी बिना कफन के दबा दिये गये और १८ करोड़ आदमियों की हड्डियां देवरिया में पायी गयीं, कुछ भी कह दीजिये। यह आंकड़े हुये या नहीं, हजारों मर रहे हैं यह आंकड़े हुये या नहीं? मैं यह जानना चाहूंगा कि सदन को साढ़े सात बजे खत्म करना है यह आंकड़े हुये या नहीं? या कल ११ बजे आना है, यह आंकड़े हुये या नहीं? यानी बिना आंकड़े के काम नहीं चल सकता है। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ आंकड़े दिये हैं उससे बड़ी परेशानी हुई है। माननीय नारायणदत्त जी न जाने कितनी बार खड़े हुये, न जाने कितनी बार परेशानी उनको हुई?

जहां तक यह बात कही गई कि मैंने स्केअरसिटी शुरू कर दी। "शुड आई बी हेल्ड गिल्टी फार टैलिंग दी ट्रुथ (should I be held guilty for telling the truth)।" लेकिन मेरा खयाल यह था कि माननीय गोविंदसिंह ने कहा था कि इसके लिये कोई डेट मुकर्रर कर दी जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुकर्रर कर दी तो मुझे यही इम्प्रेशन था और मैं तैयार होकर आया था। आपके व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर आपकी व्यवस्था हो जाती कि मैं आंकड़े में न जाऊं तो न जाता। लेकिन अगर आपकी इजाजत मिल गई और मैंने आंकड़े रख दिये तो क्या "शुड आई बी हेल्ड गिल्टी फार दिस (should I be held guilty for this)"। लेखपालों के आंकड़े की बात नहीं है बल्कि सुन लीजिये कि कहां-कहां के आंकड़े हैं। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के आंकड़े हैं। उनकी रिपोर्ट है कि किस तहसील में कितनी रेंडम सर्वे किस फसल की की गई है। रेलवे डिपार्टमेन्ट से मैंने खाद्यान्न के बाहर जाने के फीगर्स लिये हैं, गरीब लेखपाल वहां पर नहीं जा सकता। सब-रजिस्ट्रार के आफिस से रजिस्टर्ड डाक्युमेंट्स की फीगर्स ली हैं और जहां मेले होते हैं उनके यहां हिसाब होता है, रजिस्टर्ड बुक्स होती हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस देता है, काउन्टर-फायल उसमें होता है, मवेशी की हुलिया लिखी जाती है, खरीदने और बेचने वाले का नाम लिखा जाता है, कुछ आंकड़े उनके हैं। पोस्टल डिपार्टमेन्ट के आंकड़े हैं मय दस्तख्त के। चन्द्रजीत यादव जी तो उनकी नकल करके ले गये हैं। इसमें भी गरीब लेखपाल का कोई वास्ता नहीं। सर्राफे का हिसाब है और इन्कम टैक्स के आंकड़े मैंने दिये हैं। इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट की फीगर्स हैं रिवर के लेविल की और एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के बच्चों की तादाद जो कि रजिस्टरों में दर्ज होगी हर क्लास में और हर गांव में, वह मौजूद है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दो ही साल की है।

श्री चरणसिंह—वक्त नहीं मिला नहीं तो मैं पांच साल की मंगा देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंगा दीजिये।

श्री चरणसिंह—मंगा दूंगा। लेकिन फिर क्या होगा अगर मेरा नतीजा सही निकला। मैं तो सिर्फ यह कहता हूं कि ठीक है, तकलीफ है, अन्न कम पैदा हुआ, जिस इलाके

[श्री चरणसिंह]

में हर साल सफीशियेंट से भी कम पैदा हो वहाँ १० और २० परसेंट के कम पैदा होने से भी तकलीफ हो जाती है। लेकिन जो गल्ला बाहर से ४७ लाख मन भेजा गया उसने उस कमी को पूरा कर दिया। जिस तेजी से हम वहां के लोगों की एकोनामिक कंडीशन बढ़ाना चाहते थे वह हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन जो डार्क पिक्चर आप पोर्ट्रे करते हैं यह सही नहीं है।

अब अधिष्ठाता महोदय, यह कहना एक फैशन हो गया है कि माल मंत्री तो आंकड़े पेश कर देते हैं। आखिर मैं क्या करूं। क्या आंकड़े न दिया करें। माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि भावनाओं में बाढ़ बह गयी। अगर आंकड़ों में बह गयी, ऐसा कहते तब तो शायद कुछ बात भी होती। भावना तो उधर से है जो कंकाल, भुखमरी और कफन न होने की बात करते हैं। मुझे तो यह उपदेश दिया जा रहा है कि ऐ मिनिस्टरों, आंकड़ों पर ही न रहो, कुछ दिल से भी काम लो।

श्री अधिष्ठाता—अब आपके पांच मिनट रह गये।

श्री चरणसिंह—तो फिर मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—माननीय माल मंत्री जी हाउस एक दफा इसको आपोज कर चुका है कि समय न बढ़ाया जाय।

श्री चरणसिंह—तब एक घंटे का प्रस्ताव था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, इसी दृष्टि से मैंने यह निवेदन किया था कि एक घंटा बढ़ा दिया जाय परन्तु उस समय हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया और अब चूंकि हाउस का एक प्रस्ताव हो चुका है तो जब तक वह प्रस्ताव कैंसिल न हो जाय दूसरा प्रस्ताव इस सम्बन्ध में पास नहीं हो सकता।

श्री चरणसिंह—वही बात है कि सचाई से घबरा रहे हैं। चोरों में यह कायदा है कि जब लड़के को चोरी सिखाते हैं तो उसकी बड़ी भारी परीक्षा लेते हैं। सब-इंस्पेक्टर चाहे जितना पीटे लेकिन अगर बकरी के तीन टांग मुंह से निकल गया है तो आखिर तक तीन टांग ही कहेगा। विन ओवर होने का सवाल कहां है? क्या यहां हम बैठे हैं विनओवर होने के लिये? दिल से भी विनओवर हों तो जबान से मानने वाले नहीं हैं। अधिष्ठाता महोदय, माननीय पालीवाल जी ने कहा कि मान लूं भुखमरी हो रही है, मान लूं कि मालगुजारी सारी माफ हो जानी चाहिये और तब मान लूं कि शायद हालत दुरुस्त हो जाय लेकिन उन्होंने मुझे यह नहीं बतलाया कि फलां गलती हुई और उसका फलां हल है। अधिष्ठाता महोदय, मनीआर्डर के सिलसिले में मैंने बतला दिया और उन्होंने कहा कि शहर से गये होंगे। नारायणदत्त जी को एक नक्शा दिया है। उसकी कापी मेरे पास भी है। उन्होंने कहा शहर इतने मालदार हो गये कि चारो तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है। एक बात और कही गयी कि स्टार्वेशन से जो मरे उसके आंकड़े नहीं दिये गये।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने एक नक्शा बनवाया था वह मेरे पास है, लेकिन उसको सुनाने का मौका नहीं है। दो बातें हैं—एक तो यह कि हम को तस्लीम है कि कन्ट्री गरीब है और हमारा सूबा ज्यादा ऐग्रीकल्चरल होने की वजह से दो तीन सूबों को छोड़कर बाकी सबसे ज्यादा गरीब है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहां बनारस और गोरखपुर डिवीजन पर जमीन का प्रेशर बहुत है। सूबे के दूसरे हिस्से से वह ज्यादा गरीब है। मुझको मालूम है कि मालन्यूट्रीशन है लेकिन मालन्यूट्रीशन का असर ७०, ५० साल के बाद होता है। हमारी ऐवरेज लाइफ ५० साल की नहीं है जो कि होनी चाहिये। क्या कभी हमसे किसी ने कहा कि फलां आदमी ने दस रोज

से खाना नहीं खाया है उसको गल्ला पहुचाना चाहिये? कोई आदमी कम से कम नार्मली एक महीने डेढ़ महीने तक खाना न मिलने के बाद मर सकता है। कोई कमजोर आदमी हो तो २० दिन लूंगा। पी० एस० पी० वालों ने कभी मुझको यह खबर नहीं दी कि फलां आदमी भुखमरी शैय्या पर पड़ा हुआ है। इस तरह की एक भी मिसाल हमारे सामने नहीं आयी।

श्री उग्रसेन—हम लोगों ने दी है।

श्री चरणसिंह—मेरे पास नहीं आयी।

श्री त्रिलोकीसिंह—इसके अलावा प्रेस स्टेटमेंट भी दिया है।

श्री चरणसिंह—लेकिन मेरे पास नहीं आया है।

दूसरी मजे की बात यह है कि कहीं बाप तो जिन्दा है और मां भी जिन्दा है और जवान बेटा भुखमरी से मर गया, या बाप मर गया और जवान लड़का घर में मौजूद है। यह बात समझ में नहीं आती। कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूं कि मैं पहले अपने जवान लड़के को नहीं मरने दूंगा और न मेरा जवान लड़का मुझको मरने देगा, हम दोनों एक साथ मरेंगे बल्कि सारा घर एक साथ मरेगा। केवल एक आदमी एक फेमली का नहीं मर सकता है। इसलिये इस तरह की बात सड़क पर कहने में, स्टेटमेंट देने में और प्रोपेगेन्डा करने में, यह सब आपको मुबारक हो लेकिन देश को इससे हानि होगी।

यह बात कही गई "कन्ट्रोल इन फ्लड इन चाइना"। चाइना का बड़ा भूत सवार हो गया है। हर चीज हमको दूसरों की अच्छी लगती है। सन् १९५१ में एक दफे हमने भी खबर सुनी थी कि चाइना में सब फ्लड रुक गये। लेकिन अब अखबारों में फ्लड रुकने का जिक्र नहीं होता, सिर्फ इतनी मौतें हो गयीं, इतना नुक्सान होगया इसी का जिक्र आता है। सन् १९५७ की रिपोर्ट यांगसी की ले ली जिये जोकि २३ जुलाई, ५७ की रिपोर्ट है और यह निकली पायनियर में और यह हांगकांग से चली है जिस में यह लिखा है कि :—

"Nearly 560 people are already known to have died in floods covering about 4,250 squire miles of land near the coast by the boundary of China Shantung and Kiangsu Provinces. The new China News Agency reported last night."

(इसके बाद सदन ७ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, ९ सितम्बर, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
६ सितम्बर, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

१—एलोपैथिक

निम्नलिखित अस्पतालों को प्रतिवर्ष आवर्त्तक रूप में सरकारी सहायता दी जाती है ।

			रुपये
१—लेपर असाइलम नैनी, इलाहाबाद	..	..	६६,६००
२—कमला नेहरू मेमोरियल, अस्पताल, इलाहाबाद	..	..	८०,०००
३—यमुना मिशन डिस्पेन्सरी, इलाहाबाद	..	..	१,४६०
४—हरिजन सेवक संघ, इलाहाबाद	..	..	२,०००
५—सेवा समिति अस्पताल, इलाहाबाद	..	..	१५,०००
६—बी० एस० मेहता नेत्र चिकित्सालय, इलाहाबाद (शाखा सीतापुर नेत्र-चिकित्सालय)	..	..	३,८००

निम्नलिखित अस्पताल इलाहाबाद में सरकार द्वारा चलाये जाते हैं

१—मोतीलाल नेहरू अस्पताल
२—तेज बहादुर सप्रू अस्पताल
३—मनोहर दास आंख का अस्पताल
४—टी० बी० अस्पताल
५—टी० बी० क्लिनिक
६—डफरिन अस्पताल ।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय

१—सिकन्दरा	..	..	आयुर्वेदिक
२—जसरा	..	..	,,
३—बलरामपुर	..	..	,,
४—सराय ममरेज	..	..	,,
५—जसबा	..	..	,,
६—भारतगंज	..	..	,,
७—तिलहापुर	..	..	,,
८—चैल	..	..	यूनानी
९—मेन्डरा	..	..	,,

२—जिला परिषद् द्वारा संचालित राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सालय

१—वारुन	..	आयुर्वेदिक	६०८ रुपये प्रति चिकित्सालय प्रति वर्ष ।
२—अभीपुर		,,	
३—अजुया	..	यूनानी	

३—चीप रेट सब्सिडी के अन्तर्गत सहायता प्राप्त चिकित्सक एवं चिकित्सालय

(इस योजना में प्रत्येक रजिस्टर्ड हकीम या वैद्य को स्वीकृत ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिये २० रुपये मासिक तथा शुरू में फर्नीचर आदि के लिये ६० रुपये एकमुश्त मिलता है।)

१—हकीम मुहम्मद शफीउल्ला, ग्राम तलव तिवारी पत्रालय, मनोरी .. .. यूनानी
२—हकीम मुहम्मद यूनिस ग्राम तथा पत्रालय मनोरी .. .. यूनानी
३—हकीम मुहम्मद लायक ग्राम तथा पत्रालय पुरखास .. .. यूनानी
} २४० रुपये प्रति चिकित्सालय प्रति वर्ष।

४—महिला वैद्या व हकीमाओं को नये सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत राजकीय सहायता प्राप्त महिला वैद्या

(इस योजना में निर्धारित योग्यता की वैद्या या हकीम महिलाओं को ९० रुपये मासिक मिलता है जिसमें उनका अपना भत्ता ५० रुपये मासिक है।)

२० रुपये मासिक कम्पाउन्डर के लिये।

१५ रुपये मासिक दवाओं के लिये।

५ रुपये मासिक रिपेयर्स, साज-सज्जा और आकस्मिक व्यय के लिये। इसके अलावा प्रथम वर्ष में साज-सज्जा तथा फर्नीचर के लिये ३५० रुपये एकमुश्त मिलता है।

श्रीमती शुक्ला शान्ति वाला नैनी, इलाहाबाद .. १,०८० रुपये प्रति वर्ष तथा ३५० रुपये प्रथम वर्ष में साज-सज्जा तथा फर्नीचर के लिये।

५—पुरुष वैद्य व हकीमों को नये सब्सीडी स्कीम के अन्तर्गत राजकीय सहायता प्राप्त हकीम

(इस योजना में डिस्पेन्सरी चलाने के लिये प्रथम वर्ष में ६० रुपये प्रति मास, द्वितीय वर्ष में ४० रुपये प्रति मास और तृतीय वर्ष में २० रुपये प्रति मास वैद्य व हकीम को दिया जाता है।)

प्रथम दो वर्षों में निम्न कर्मचारी (कम्पाउन्डर) के लिये २० रुपये मासिक किराया, १० रुपये मासिक आकस्मिक व्यय, २० रुपये मासिक तथा दवाइयों के लिये ३५० रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है।

तीसरे वर्ष तथा उसके उपरान्त केवल दवाइयों के लिये २५० रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है।

इनके अलावा प्रथम वर्ष में साज-सज्जा तथा फर्नीचर के लिये ३५० रुपये एकमुश्त दिया जाता है।

हकीम जमीलउद्दीन, मऊऐमा, इलाहाबाद। १—प्रथम वर्ष में ३५० रुपये साज-सज्जा तथा फरनीचर के लिये।
२—१,६७० रुपये प्रथम वर्ष, १,४३० रुपये द्वितीय वर्ष, ४९० रुपये तृतीय वर्ष।
इसके उपरान्त २५० रुपये प्रति वर्ष।

६—सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी, सिरसा का आयुर्वेदिक चिकित्सालय .... ४,००० रुपये प्रति वर्ष।

७—स्वास्थ्य मंत्री महोदय के ऐच्छिक अनुदान से आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्रदान की गई सहायता (१९५६-५७)

		अनावर्त्तक रु०
१—श्री ठक्कर बप्पा आयुर्वेदिक औषधालय, खीरी (इलाहाबाद)	..	१,०००
२—श्री बजरंग बहादुर सिंह वैद्य, स्थान माहवारी डाकखाना, नैनी	..	१००
३—श्री हरिविलास आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जलालपुर अन्डिया	..	५००
४—श्री केदारनाथ शुक्ल वैद्य, मेजारोड	..	१५०
५—श्री मुमताज उद्दीन हकीम, यूसुफपुर	..	१५०

८—होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड को २४ होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये ११,२०० रुपये का वार्षिक अनुदान राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय सब्सीडी योजना के अन्तर्गत दिया जाता है। इलाहाबाद में धूमनगंज तथा कोहन्डार में होम्योपैथिक चिकित्सालय इसी सब्सीडी योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं तथा बोर्ड से उक्त धनराशि में से सहायता प्राप्त करते हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट, १८६९ को, कतिपय प्रयोजनों के निमित्त, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, संशोधित करने का

ऐक्ट संख्या ४, १८६९।

विधेयक

यह इष्टकर है कि इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट, १८६९ को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय,

ऐक्ट संख्या ४, १८६९।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ऐक्ट संख्या ४, १८६९ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट, १८६९ को अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित आयति पर्यन्त संशोधित किया जायगा तथा एतत्द्वारा संशोधित किया जाता है।

अपवाद (savings)

३—इस अधिनियम द्वारा किया हुआ कोई संशोधन, पहले से की गयी अथवा हुई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव अथवा परिणाम पर अथवा पहले से प्रयुक्त किसी भी क्षेत्राधिकार (jurisdiction) पर प्रभाव न डालेगा, तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व निविष्ट या आरब्ध कोई भी कार्यवाही यहां पर किये गये किसी भी संशोधन के होते हुये भी, ऐसे न्यायालय द्वारा सुनी जाती रहेगी तथा निर्णीत की जायगी मानों कि यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

अनुसूची (Schedule)

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३
१	१०	इस धारा में शब्द "or to the High Court" जहां कहीं भी ये आये हों, निकाल दिये जायं।
२	१३	अंतिम पैराग्राफ, अर्थात् "when a petition is dismissed by a District Court under this section, the petitioner may, nevertheless, present a similar petition to the High Court." निकाल दिया जाय।

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३
३	१६	(१) प्रथम पैराग्राफ में से शब्द "made by a High Court, not being a confirmation of a decree of a District Court" तथा शब्द "or special" निकाल दिये जायं। (२) दूसरे पैराग्राफ में शब्द "General" तथा "Order" के बीच में आये हुये शब्द "or special" निकाल दिये जायं। (३) चौथे तथा पांचवें पैराग्राफ में शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय।
४	१७	(१) पैराग्राफ १ से ५ तक निकाल दिये जायं। (२) पैराग्राफ ६ में शब्द "General" तथा "Order" के बीच में आये हुये शब्द "or special" निकाल दिये जायं।
५	१८	शब्द "District or to the High Court" के स्थान पर शब्द "District Court" रख दिये जायं।
६	१९	अंतिम पैराग्राफ में शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय।
७	२०	यह धारा निकाल दी जाय।
८	२३, २७, ३२, तथा ३४	शब्द "or the High Court" निकाल दिये जायं।
९	३७	(१) शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय। (२) दूसरा पैराग्राफ, अर्थात् "and the District Judge, may, if he thinks fit, on the confirmation of any decree of his declaring a marriage to be dissolved, or on any decree of judicial separation obtained by the wife," निकाल दिया जाय।
१०	४०	(१) शब्द "High Court" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय। (२) दूसरा पैराग्राफ अर्थात् "and the District Court, after its decree for dissolution of marriage or of nullity of marriage has been confirmed," निकाल दिया जाय।
११	४३	(१) पहले पैराग्राफ में से शब्द "instituted in, or removed to a High Court" निकाल दिये जायं। (२) दूसरा पैराग्राफ निकाल दिया जाय। (३) तीसरे पैराग्राफ में शब्द "High Court or District Court (as the case may be)" के स्थान पर शब्द "Court" रख दिया जाय।

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३
१२	४४	(१) पहले पैराग्राफ में शब्द "High Court" के स्थान पर "Court" रख दिया जाय। (२) दूसरा पैराग्राफ अर्थात् शब्द "and the District Court, after a decree for dissolution of marriage or of nullity of marriage has been confirmed," निकाल दिये जायं।
१३	५०	शब्द "High Court by general or special order from time to time directs" के स्थान पर शब्द "Court may direct" रख दिये जायं।
१५	५५	(१) प्रथम प्रतिबन्धक (Proviso) निकाल दिया जाय। (२) द्वितीय प्रतिबन्धक में से शब्द "also" निकाल दिया जाय।
१६	५७ Liberties to parties to marry again.	वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : "57. When six months after the date of any decree absolute dissolving a marriage have expired, and no appeal has been presented against such decree, or when any such appeal has been dismissed, or when in the result of any such appeal any marriage is declared to be dissolved, but not sooner, it shall be lawful for the respective parties to the marriage to marry again, as if the prior marriage had been dissolved by death."
१७	Schedule of forms. (प्रपत्रों की अनुसूची)	१—प्रपत्र संख्या (Form number) १ में : (१) शब्द तथा कोष्ठक "(High)" और "(or to the Judge of)" तथा शब्द "To the Hon'ble Mr. Justice" निकाल दिये जायं। (२) शब्द तथा कोष्ठक "(Hon'ble)" जहां कहीं भी आये हों निकाल दिये जायं। २—प्रपत्र संख्या २ में से शब्द तथा कोष्ठक "(Hon'ble)" निकाल दिये जायं। ३—प्रपत्र संख्या ३ में से शब्द तथा कोष्ठक "(High)" तथा "(Hon'ble)" निकाल दिये जायं। ४—प्रपत्र संख्या ४ तथा ५ में से शब्द तथा कोष्ठक "(High)", "(or to the Judge of)" और "(Hon'ble)" तथा शब्द "To the Hon'ble Mr. Justice" निकाल दिये जायं। ५—प्रपत्र संख्या ६ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" और "(Hon'ble)" निकाल दिये जायं।

क्रम-संख्या	मूल अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३

६--प्रपत्र संख्या ७ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" निकाल दिये जायं।

७--प्रपत्र संख्या ८ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)," "(Hon'ble)" और "(or to the Judge of)" तथा शब्द "To the Hon'ble Mr. Justice" निकाल दिये जायं।

८--प्रपत्र संख्या ९ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" निकाल दिये जायं।

९--प्रपत्र संख्या १० में शब्द तथा कोष्ठक "(High)", "(or to the Judge of)" और "(Hon'ble)" तथा शब्द "(To the Hon'ble Mr. Justice)" निकाल दिये जायं।

१०--प्रपत्र संख्या ११ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)" और "(or to the Judge of)" तथा शब्द "(To the Hon'ble Mr. Justice)" निकाल दिये जायं।

११--प्रपत्र संख्या १२ में शब्द तथा कोष्ठक "(High)", "(or to the Judge of)" और "(Hon'ble)" तथा शब्द "(To the Hon'ble Mr. Justice)" निकाल दिये जायं।

१२--प्रपत्र संख्या १३ तथा १४ में शब्द और कोष्ठक "(High)" निकाल दिये जायं।

उत्तर प्रदेश

उद्देश्य तथा कारण

श्री जस्टिस के० एन० वांचू की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त यू० पी० जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी ने सिफारिश किया था कि इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट से संबद्ध विषयों में हाई कोर्ट तथा जिला न्यायालयों (District Courts) का समवर्ती क्षेत्राधिकार (Concurrent Jurisdiction) न रखा जाय तथा उक्त ऐक्ट के अधीन अधिकार केवल जिला न्यायालयों (District Court) को ही प्राप्त हों तथा डिस्ट्रिक्ट जजों को अंतिम डिक्री पारित करने के अधिकार भी होने चाहिये तथा पुष्टीकरण के निमित्त कार्यवाहियों को हाई कोर्ट के पास प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

अतएव हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट जजों का समवर्ती क्षेत्राधिकार न रखने के उद्देश्य से इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट की अनेक धाराओं एवं अनुसूची को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

सम्प्रति इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की डिक्री के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसे पुष्टीकरण के निमित्त हाईकोर्ट के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। चूंकि हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट जजों के समवर्ती क्षेत्राधिकार के उन्मूलन का प्रस्ताव है इसलिए इंडियन डाइवोर्स ऐक्ट की धारा ५५ के प्रतिबन्धक को निकाल देने का प्रस्ताव है और ऐसा करने पर इस ऐक्ट के अधीन किसी वाद अथवा कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा प्रदत्त समस्त डिक्रियां तथा आज्ञायें उसी प्रकार अपील योग्य (appealable) होंगी जिस प्रकार न्यायालयों की, अपने मूल दीवानी क्षेत्राधिकार के प्रयोग स्वरूप प्रदत्त डिक्रियां तथा आज्ञायें अपील योग्य होती हैं।

तदनुसार इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जाता है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४५ एल० ए०—१९५७—७९१।